चंडीगढ़, मंगलवार, 13 अगस्त, 2019 रु. 5.00 (16 पेज) चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली ईद मुबारक

छिटपुट प्रदर्शनों के बीच अमन के माहौल में नमाज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 अगस्त।

कश्मीर घाटी में सोमवार को छिटपुट विरोध प्रदर्शनों को छोड़कर मस्जिदों में ईद-उल-अजहा की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हुई। हालांकि, कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगे रहे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, जम्मू कश्मीर में लोग नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकले। श्रीनगर और शोपियां में प्रमुख मस्जिदों में नमाज अदा की गई। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ट्वीट किया, 'घाटी के अनेक हिस्सों में ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। एक भी गोली नहीं चली।' अधिकारियों ने विभिन्न मस्जिदों में मिठाइयां भी बांटीं।

विभिन्न जिलों में अलग-अलग स्थानों पर बाजारों में सरकार ने कुर्बानी के लिए पर्याप्त संख्या में भेड़ उपलब्ध कराए थे। गृह मंत्रालय के अनुसार, हजारों लोगों ने नमाज पढ़ी। प्रवक्ता ने ट्वीट किया, 'अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, बांदीपुर में बिना किसी अप्रिय घटना के सभी मस्जिदों में शांतिपूर्ण ढंग से ईद-उल-अजहा की नमाज संपन्न हुई। बारामूला के जामिया मस्जिद में करीब दस बाकी पेज ८ पर

श्रीनगर की एक मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए लोग।

डोभाल ने हवाई सर्वे किया

नई दिल्ली, 12 अगस्त (ब्यूरो)।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने घाटी की सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए शहर और दक्षिण कश्मीर के इलाकों का सोमवार को बाकी पेज ८ पर

एकांत में गुजरी कश्मीरी नेताओं की ईद

श्रीनगर, 12 अगस्त (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों- फारुक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बाकी पेज ८ पर

पाक पत्रकार का दावा गलत : सुरक्षा बल

नई दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा)।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और जम्मू-कश्मीर पुलिस के बीच कथित आपसी झगड़े के संबंध में पाकिस्तानी पत्रकार के दावों को फर्जी बताकर उन्हें खारिज करते हुए सुरक्षा बलों ने कहा कि सूचना गलत और निराधार है। कश्मीर पुलिस ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया है कि उसने आगे की कार्रवाई के लिए इस ट्वीट के बारे में माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट को सूचित कर दिया है। जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने की पृष्ठभूमि में झड़प होने का दावा पाकिस्तान के पत्रकार वजाहत सईद खान ने अपने सत्यापित ट्विटर हैंडल से किया है।

खान ने लिखा है, कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के बीच तनाव बढ़ रहा है। मुसलिम कश्मीरी पुलिसकर्मी ने गोली मार कर भारतीय सीआरपीएफ के पांच जवानों की हत्या कर दी। सुरक्षा बलों ने बाकी पेज ८ पर

पी चिदंबरम का बयान गैरजिम्मेदाराना : भाजपा

जनसत्ता ब्यूरो/भाषा
नई दिल्ली/चेन्नई, 12 अगस्त।

भाजपा ने सोमवार को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के अनुच्छेद-370 से संबंधित बयान को भड़काऊ और गैरजिम्मेदाराना बताया और कहा कि अनुच्छेद-370 को हटाया जाना जम्मू कश्मीर और देश हित में है।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चिदंबरम के इस बयान कि मुसलिम बहुल होने के कारण जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया गया, पर कहा कि कांग्रेस नेता का बयान भड़काऊ है और उनसे इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। हम उनके (चिदंबरम) बयान की निंदा करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अनुच्छेद-370 को हटाया जाना जम्मू-कश्मीर के हित में है और देशहित में है। उन्होंने पूछा कि क्या ये सच्चाई नहीं है कि राज्य में दशकों तक चली हिंसा में लगभग 42 हजार निर्दोष लोग मारे गए जिसमें ज्यादातर हिंदू थे।

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमारी सरकार ने दशकों पहले की गई गलती को सुधारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि चिदंबरम ने जो कहा है, वह इस विषय को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास है। वहीं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने चिदंबरम के बयान पर कहा कि यह कांग्रेस की छोटी मानसिकता का परिचायक है कि वह इस मुद्दे को बाकी पेज ८ पर

बेजिंग में एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री की वार्ता के बाद रुख बदला

चीन ने कश्मीर मुद्दे से बनाई दूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 अगस्त।

बेजिंग के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी एवं वहां के उपराष्ट्रपति वांग किशान से मुलाकात के बाद कश्मीर मुद्दे पर चीन का रुख बदला है। चीन ने इसे द्विपक्षीय मुद्दा करार देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर उसकी पैनी नजर है। उसने इस मसले पर शांतिपूर्ण एवं सकारात्मक प्रयास की उम्मीद जताते हुए भारत से क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया है।

चीन का यह बयान एक तरह से पाक के लिए झटका माना जा रहा है। कश्मीर मसले पर हाल ही में पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन गए थे और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सख्त बयान जारी करने एवं दखल देने की गुजारिश की थी। लेकिन चीन ने द्विपक्षीय मसले को शांति से निपटाने की बात कह इस मुद्दे पर दूरी बना ली है।

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि कोई भी द्विपक्षीय मतभेद विवाद का कारण नहीं बनना चाहिए। चीन ने शांति की अपील करते हुए कहा

द्विपक्षीय मुद्दा करार करार देते हुए शांतिपूर्ण तरीके से सकारात्मक हल निकालने पर जोर दिया

कि भारत इस मसले पर सकारात्मक प्रयास करे।

दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के दौरान जयशंकर का स्वागत करते हुए वांग यी ने कहा कि भारत और चीन का क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में अहम योगदान होना चाहिए। वांग ने कहा, 'भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की बात है तो हमारी इस पर पैनी नजर है। हमें बाकी पेज ८ पर

उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भूस्खलन से नौ लोगों की मौत

जनसत्ता ब्यूरो/भाषा
नई दिल्ली, 12 अगस्त।

उत्तराखंड और जम्मू में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन की घटनाओं में नौ लोगों की मौत हो गई जबकि केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में सोमवार को भी बचाव अभियान जारी रहे। बाढ़ प्रभावित राज्यों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 173 हो गई है।

भारी बारिश और भूस्खलन से जूझ रहे पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जिले में तीन अलग-अलग गांवों में एक महिला और नौ महीने की उसकी बेटी समेत छह लोग भूस्खलन की चपेट में आकर जिंदा दफन हो गए। चुफलागड़ नदी में आई बाढ़ के तेज बहाव में इसके तट पर बनी दो इमारतें बह गईं।

देहरादून में राज्य आपदा अभियान केंद्र ने बताया कि जिले के घाट इलाके में बंजबगड़, अलीगांव और लांखी गांव में तीन घरों पर भूस्खलन का मलबा गिरने से वहां रहने वाले लोग फंस गए। केंद्र ने बताया कि छह लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में भूस्खलन के दौरान एक बड़े पत्थर के नीचे आ जाने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। घटना जिले के महोर क्षेत्र के लार गांव में रविवार शाम को हुई, जिसमें दो लोग घायल हुए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ प्रभावित राज्यों के कई इलाकों में बारिश थम गई है, जहां 12 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और जलमग्न इलाकों से जलस्तर घटना शुरू हो गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मानसूनी बारिश के प्रकोप के चलते केरल में सोमवार को

बाढ़ प्रभावित राज्यों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 173 हुई

महाराष्ट्र में कोल्हापुर के पास पिछले छह दिन से बंद मुंबई-बंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग-4 को सोमवार यातायात के लिए आंशिक रूप से खोल दिया गया और वहां जरूरी सामान से लदे फंसे हजारों ट्रकों को आगे जाने की इजाजत दी गई। कोल्हापुर और कर्नाटक के बेलगाम के बीच यातायात की भी मंजूरी दी गई। बाढ़ प्रभावित राज्यों में एहतियात बरती जा रही है क्योंकि अधिकतर नदियां उफान पर हैं।

मरने वालों की संख्या बढ़कर 76 हो गई। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलप्पुरम में 50 लोग अब भी लापता हैं। कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में अब तक 97 लोगों की मौत हुई है। केरल के 14 जिलों के लिए मंगलवार को बारिश का कोई 'रेड अलर्ट' जारी नहीं किया गया, लेकिन छह राज्यों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया बाकी पेज ८ पर

खबर पेज 14 पर

प्रदर्शन हांगकांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन कक्ष में सोमवार को जमा लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों की भीड़।

बबीता पिता महावीर संग भाजपा में शामिल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 अगस्त।

अंतरराष्ट्रीय स्तर की कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट और उनके पिता व कुश्ती कोच महावीर फोगाट सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। वे खेल व युवा मामलों के मंत्री किरण रिजीजू व पार्टी महासचिव और हरियाणा के पार्टी मामलों के प्रभारी अनिल जैन व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुभाष बडाला की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए।

बबीता फोगाट व महावीर फोगाट का पार्टी में स्वागत करते हुए रिजीजू ने कहा कि बबीता ने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते और देश का नाम रौशन किया है। महावीर और बबीता फोगाट ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधी अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। अर्जुन पुरस्कार विजेता बबीता ने संवाददाताओं से

कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान को समाप्त करके इतिहास रचा है। उन्होंने यह भी कहा कि वह मोदी की बड़ी प्रशंसक हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त महावीर फोगाट ने कहा कि मोदी बड़े फैसले करने में सक्षम हैं। इस अवसर पर रिजीजू ने कहा कि उनके पिता भी अनुकरणीय हैं जिन्होंने अपनी पुत्रियों को कोचिंग दी और उन्हें विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनाया। उन्होंने कहा कि महावीर जी देश के लिए बाकी पेज ८ पर

मनमोहन सिंह आज दाखिल करेंगे नामांकन

राज्यसभा उपचुनाव

जयपुर, 12 अगस्त (भाषा)।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरेंगे।

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने बताया, 'पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को प्रत्याशी बनाने का फैसला किया है। वे मंगलवार को यहां नामांकन के चार सैट दाखिल करेंगे।' भाजपा के बाकी पेज ८ पर

सातवें शौर्य रक्तदान शिविर में 300 यूनिट खून जमा | **खून का रिश्ता** | दो साल में 5000 लोग कर चुके हैं सेना के लिए रक्तदान

हजारों लोगों का दिया लहू दौड़ रहा भारतीय सैनिकों की धमनियों में

नई दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा)।

रक्तदान को महादान का दर्जा दिया गया है और यदि आपका खून देश की हिफाजत करने वाले जवानों के काम आए तो निश्चय ही इससे भारत माता के इन सच्चे सपूतों के साथ आपका खून का रिश्ता जुड़ जाता है। देश का एक गैर सरकारी संगठन 2016 के उड़ी हमले के बाद से समय-समय पर सेना के लिए रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रहा है और इस कार्य में अब तक करीब 5000 लोग अपना योगदान दे चुके हैं।

चंडीगढ़ स्थित गैर सरकारी संगठन 'आइ एम स्टिल ह्यूमन' ने हाल ही में दिल्ली में भारतीय सेना के साथ सातवें शौर्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया। संगठन के संस्थापक विवेक मेहरा ने बताया कि इस शिविर के दौरान विभिन्न ब्लड ग्रुप का 300 यूनिट खून जमा किया गया है, जिसे सेना के ब्लड बैंक एएफटीसी भेजा गया, ताकि जरूरत पड़ने पर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके।

अपना खून देने वालों को इस दौरान अपने सैनिकों और अपने देश से जुड़ने का एक अद्‌भुत एहसास होता है। यह मात्र रक्तदान शिविर न होकर युवकों को सेना में शामिल करने के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास भी है

पहले रक्तदान शिविर का आयोजन 16 जनवरी, 2017 को वेटर्न्स डे के मौके पर चंडीगढ़ में किया गया। इसके बाद मोहाली, पंचकुला, चंडीमंदिर छावनी, जिरकपुर में इन शिविरों के आयोजन के बाद इसी वर्ष मार्च में दिल्ली में ही छठे और गत 4 अगस्त को सातवें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

मेहरा ने बताया कि रक्तदान की पूरी प्रक्रिया का संचालन सेना की चुस्त चौकस मेडिकल टीम द्वारा किया जाता है और अपना खून देने वालों को इस दौरान अपने सैनिकों और अपने देश से जुड़ने का एक अद्‌भुत एहसास होता है। यह मात्र रक्तदान शिविर न होकर युवकों को सेना में शामिल करने के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास भी है। दिल्ली में आयोजित शिविर में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने रक्तदान के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि सीमा पर तैनात सैनिक को कभी अपने प्राणों का भय नहीं होता क्योंकि वह इस जुनून के साथ आगे बढ़ता है कि उसपर अपने देश और समाज की रक्षा का दायित्व है और पूरा देश उसके साथ है। उन्होंने कहा कि अपने शरीर का खून देकर हमारे राष्ट्रभक्त नागरिकों ने सीमा पर कठिन परिस्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए अपने हिस्से का दायित्व निभाया है।

विवेक बताते हैं कि पहले रक्तदान शिविर का आयोजन 16 जनवरी, 2017 को वेटर्न्स डे के मौके पर चंडीगढ़ में किया गया। इसके बाद मोहाली, पंचकुला, चंडीमंदिर छावनी, जिरकपुर में इन शिविरों के आयोजन के बाद इसी वर्ष मार्च में दिल्ली में ही छठे और गत 4 अगस्त को सातवें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

उन्होंने बताया कि सशस्त्र सेनाओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए उसी दिन सुबह बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 500 प्रोफेशनल बाइक राइडर्स ने हिस्सा बाकी पेज ८ पर

जनसत्ता

क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I,Vijay Bharti S/o Krishan Lal R/o-33-34, Swayam Sewa Coop. Group Housing Society Jhilmil Colony,East Delhi, Delhi-110096,inform that name of mine hasbeen wrongly written as Vijay Maggo in School Records in my minor Son's Kartik Maggo age-14Years.The actual name of mine is Vijay Bharti respectively which may be amended accordingly 0040507479-7

I,hitherto known as Amita Chaudhury Mehta,Daughter of,Indar Nath Chaudhury,Wife of,Krishan Kanhaiya Mehta,Residing at-243,Kailash Hills ,East-of-Kailash.New Delhi-110065.have changed my name and shall hereafter be known as Amita Mehta . 0040507568-6

I Hitherto known as SheelaDevi W/o Vijay Kumar Sharma R/o-149,Swayam Sewa Group Housing Society Jhilmil Colony,Delhi-110092,have changed my name and shall hereafter be known as SushilaRani. 0040507479-8

I Kavita Banga w/o Dharminder Singh R/o GH-5&7/404, Paschim Vihar, Delhi-110087 have changed my name to Kavita Kaur. 0040507523-2

I Lalita Gulati W/o Sh. Sanjeev Gulati R/o H.NO.25, Triveni Apartment, H.Block, Vikas Puri, New Delhi-110018. Do hereby inform that Deepa Gulati & Lalita Gulati is one person 0040507490-1

I Rajesh Kumar Gupta R/o Khasra No. 577, Chipiyana Buzurg,Crossing Republic, Sai Garden, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201301 Have Changed My Name To Rajesh Gupta For All Purposes. 0070669674-1

I Ram niwas kashyap S/o Ganga Singh R/o 225/11 Rajpura Gurmandi Delhi-110007 have changed my name to RAM NIWAS 0040507490-2

I Savia Saifi D/o,Riyaz Ahmed has been lost my original certificate 10th.class, year-2015 ,Roll no.-8713357,from CBSE-Board Delhi Finder cont.-7428345413. 0040507479-9

I hitherto known as Praveen alias Umesh,S/o Raj Kumar, Residing at-C-2/464, Nand-Nagri, Mandoli, Saboli, North-East, Delhi-110093.have changed my name and shall hereafter be known as Praveen. 0040507523-1

I, Vineeta D/O Harikrishan R/O 271, Gali No-13 Badarpur Moalarband Extn ND-44 Have Changed My Name To Vineeta Singh For All Purposes. 0040507568-2

I, Vineeta D/O Harikrishan R/O 271, Gali No-13 Badarpur Moalarband Extn ND-44 Have Changed My Name To Vineeta Singh For All Purposes. 0040507568-1

I, Vikrant S/o Satpal R/o-257, Pitampura Village, Sarswati Vihar, Delhi-34, have changed my name to Vikrant Beniwal 0040507479-5

I, Vikash Varshney S/o Late Krishna Murti Varshney R/o 1302-M, Regalia Heights, Shipra Sun City, Indirapuram, Ghaziabad, UP-201014 have changed my minor son's name from Avyakta Varshney to Avyakt Varshney. 0040507520-1

I, Vikash Barariya S/O Bachh Raj R/O-2537, 1st-Floor, Hudson Lane, Delhi-110009. Changed My Name To Vikash Bararia. 0040507546-2

I, Vijay Luxmi,W/o Jagdish kumar chhabra, R/o-Flat-280, 3rd-floor,Sector-A pkt-B&C Vasant Kung,N.D-110070,have changed my name to Vijay Laxmi Chhabra,for all purpose 0040507568-5

I, Suresh / Suresh Kumar s/o Sita Ram r/o Q-8/73, Mangol Puri, Delhi-110083, have changed my name to SURESH BAGORIA. 0040507529-3

I, Sunita Rani W/o Dharmender R/o-34-S, Basant Vihar, Ganaur, Sonipat. Have changed my to Sunita Kapoor for all purposes. 0040507513-3

I, Sudeep Jain S/O H.K Jain, R/O-F1-42, Mangal-Bazar Laxmi-Nagar, Delhi-110092. Changed my minor daughter's name, Himika Jain to Himieka Jain. 0040507513-8

I, Shashi Raj Chauhan S/o Amrit Singh R/o C-22 B, Acharya Kriplani Road, Adarsh Nagar, Delhi-110033, that name of my father has been wrongly written as Amrit Singh Chauhan in my Passport. The actual name of my father is Amrit Singh. 0070669703-1

I, Angura Devi W/o Bangali Prasad, R/o H.No.2, Deep enclave, Vikas nagar, Uttam Nagar Delhi-110059, have changed my name to Vijay Shanti. 0040507479-1

I, Alashika Maddukuri D/O Rajaratnam Maddukuri.,R/O-FLAT. NO.1608, Block-A, 16th-Floor, Ace-City, Greater-Noida West, Gautambudh-Nagar, U.P-201306,Changed My Name To Sindhupriyanjali Chowdary Maddukuri. 0040507523-7

व्यक्तिगत

I, Sharda Soni D/O Ramesh Chand R/O-B-245, Hari Nagar, New Delhi-110064.Changed My Name To Aarti. 0040507523-4

I, Shankar S/o Shyam Sunder Singhal R/o-WZ-631/B Gali. No.2 Sri. Nagar Rani-Bagh Delhi-110034. changed my name to Shankar Singhal. 0040507523-5

I, Seema Kumari D/o Sukhdev Raj Handa W/o Kuldeep Madhok R/o-A-134-A Sector-26 Noida,Gautambudh Nagar-U.P.,have changed my name to Rachna Madhok for all future purposes 0040507479-6

I, Ruma w/o Sourabh Chatterjee r/o D-71, Kiran Garden, Uttam Nagar, Delhi-110059, have changed my name to Ruma Chatterjee. 0040507524-3

I, Rishab Sharma S/O, Pritam Chand Sharma R/o H.No.1971 Azad Colony,kalka HR 133302.have changed my name to Rishabh Sharma for all purposes. 0040507568-3

I, Richa Choubey W/O Gaushul Akram, R/O A-56/S-1, Surya-Nagar, Chander-Nagar, Ghaziabad, U.P.201011, Changed My Name To Roba Mohammad. 0040507523-8

I, Reta D/o Amarnath W/o Faiz Ullahkhan R/o-783/9, Jheel Khurenja,Scooter Market Delhi-51,have changed my name to Riya Francis for all purposes 0040507479-2

I, Rashmi W/o Parveen Kumar R/o-1179/12, Janta Colony, Sonipat. Have changed my name to Rashmi Sharma for all purposes. 0040507513-4

I, Rajinder Kumar S/o Satpal R/o D-4, Plot No. 3, Mansarovar Appartment, Sector-5, Dwarka, New Delhi-110075 have changed my name as Rajinder Marwah for all future purposes. 0040507471-2

I, Rahul s/o Raju Aswal r/o Q-8/73, Mangol Puri, Delhi-110083, have changed my name to RAHUL ASWAL. 0040507529-4

I, Promila Chaudhry D/O, Prabhu Dass R/o C-75, GF, C-block, Vivek Vihar Phase-1, New Delhi-110095, have changed my name to Promila Choudhary for all purposes. 0040507503-1

I, Preet Kanwar Singh, S/O Jagjit Singh H.No-M70 Market-Greater Kailash-2, New-Delhi-110048. Have changed my name to Preet Singh. 0040507513-7

I, Praneet Singh Gambhir, S/O Gunjeet Singh H.No.A96 Dayanand-Colony, Lajpat-Nagar-4, New Delhi-110024. Have changed my name to Praneet Singh. 0040507513-6

I, Pramod Mittal and Parmod Mittal, S/o-Tika Ram R/o-76, Sector-14, Sonipat, have changed my name to Parmod Kumar for all purposes. 0040507513-2

I, Manoj Kumar Vishwakarma, S/O Radhe Shyam Vishwakarma Address-1230F, Lig-Housing Board-colony, Sector-31, Gurgaon-122001, Haryana. Changed my name to Manoj Vishwakarma. 0040507513-5

I, Pramod Kumar Kalra S/o Thana Ram Kalra R/o House No.E-29, Adarsh Nagar, Ballabgarh Dist. Faridabad-121004 (Haryana) have changed my minor childs name from Satyam to Satyam Kalra. 0070669710-1

I, Pramod Kumar Kalra S/o Thana Ram Kalra R/o House No. E-29, Adarsh Nagar Ballabgarh Dist., Faridabad-121004 (Haryana) have changed my minor childs name from Vaishali to Vaishali Kalra. 0070669706-1

I, Prabhakar, S/O Jagdish Singh Kushwaha R/O-C-100a, Ganesh-Nagar, Pandav-Nagar Complex,-Delhi-110092. Changed My Minor Son Name Devansh Chandra Kushwaha To Devansh Chandra. 0040507523-3

I, Poonam Kataria W/o Ajay Kataria R/o 43/3 Laxman Vihar Phase-II, Gurugram, Haryana, have changed the name of my son from Vihan Kataria to Vivaan Kataria permanently. 0040507560-1

I, Pavan Bassy S/o Tarsem Lal Bassy R/o 6-A, Suraj Nagar, Azadpur Delhi-33, have changed my name to Pawan Kumar 0040507479-4

I, Pankaj Kapoor D/o Kamal Kishore Kapoor W/o Deepak Mehra R/o-F-14/6-B,Krishna Nagar,Delhi-110051,have changed my name to Prerna Mehra for all purposes 0040507479-3

I, Nitish Bikash Mishra S/O Bikash Narayan Mishra R/O-C-278, Shekh-Sarai Phase-I, Malviya-Nagar, N.Delhi-110017.Changed My Name To Nitish Mishra 0040507546-1

I, Ishika Mittal D/o Parmod Kumar R/o-76, Sector-14, Sonipat. Have change my name to Ishika for all purposes. 0040507513-1

I, Gurmeet Singh s/o Narinder Singh R/o J-7/102, Second Floor, Rajouri Garden, New Delhi-110027, have changed my name to Gurmeet Singh Sachdeva. 0040507473-1

I, Ankit Batra, S/O Mr. Suresh Kumar Batra, R/O-414, Second-Floor, Sant-Nagar, East-Of-Kailash, New-Delhi-110065, informs that I have changed my name to Om Suresh Ankkit Batra, for all purposes. 0040507513-10

I, Nikita Balasubramaian D/O-Balasubramanian Natarjan R/O-L-61C, Saket, Delhi-110017. Changed my Name to Have Changed my Name to Nikita Balasubramanian. 0040507523-6

I, Neelam W/o Rajinder Marwah R/o D-4, Plot No. 3, Mansarovar Appartment, Sector-5, Dwarka, New Delhi-110075 have changed my name as Neelam Marwah for all future purposes. 0040507471-1

I, Naresh Chandra, Son/Of Late Mr.Bachi Dutt R/O-G-642/C, Sangam-Vihar, Deoli, New-Delhi-110080, informs that I, have changed my name to Naresh Bhatt for all purposes. 0040507513-9

I, Manju, D/o Lal Bahadur Singh, R/O D-53/1, LGF, Suman Chowk, Chhattarpur Extension, South Delhi-110074 have changed my name to Manju Singh. 0070669700-1

I, Mamta Rani W/O, Kapil Sharma R/o H.No. 119, First Floor, Greenwood City, G Block, Huda Market, Sec-40, Gurugram (HR), have changed my name to Mamta Sharma for all purposes. 0040507480-1

I, Kulpreet Mehta R/o wz-18 Golden Park Rampura New Delhi-110035 have changed my name to Kulpreet Kaur. 0070669699-1

I, Km Deepa d/o Hira Singh r/o A-76, first floor, Jeevan Park, Uttam Nagar, Delhi-110059 have changed my name to Deepa Negi. 0040507524-4

I, Karuna Kharbanda D/O, Kishan Lal Kharbanda R/o A-42, first Floor, Rishi Nagar, Rani Bagh, Shakur Basti Rs, North-West Delhi, Delhi-110034, have changed my name to Karruna Kharbanda for all purposes. 0040507493-1

I, Kapil Parkash Sharma S/O, Suresh Kumar Sharma R/o H.No. 119, First Floor, Greenwood City, G Block, Huda Market, Sector 40, Gurugram (HR), have changed my name to Kapil Sharma for all purposes. 0040507486-1

I, Jagdish kumar, S/o-Lal Chand Chhabra, R/o Flat-280,3rd-floor Sector-A,pkt-B&C VasantKung,N.D-110070,have changed my name to Jagdish kumar Chhabra for all purpose. 0040507568-4

I, Sunil Kumar/Sunil Kumar Sholanki S/o Balram Singh R/o 106/1, Village Pooth Kalan, Delhi-110041, have changed my name to Sunil Solanki. 0040507244-3

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, Dharam Dev Ojha S/o Sh. Ram Dutt Ojha R/o B-35/6, Double Storey, Ramesh Nagar, New Delhi- 110015 declare that name of my and my wife has been wrongly written as Dharam Dev and Anita respectively in my minor son Ujjwal Ojha his 10th standard CBSE Marksheet. The actual name of my and my wife is Dharam Dev Ojha and Anita Devi Ojha respectively which may be amended accordingly. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PUBLIC NOTICE

Be known to all that my client Avtar Singh S/o Late Sh. Saudagar Singh and Smt. Taranjeet Kaur w/o Sh. Avtar Singh R/O 326/4 Govind Puri, Kalkaji, New Delhi 110019 has debarred /disowned their son Sh. Gurvinder Singh and daughter-in-law Yashika from their moveable and immoveable properties and severe all relations with them, due to their unpleasant acts and behavior and my client will not liable from any act/omissions/loan/Debt committed by the aforesaid persons in future.

VEENU MITTAL (Advocate)
ENR. NO. D-1749/2005

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, PATRIC MASSI EKKA a/o M L Richard Ekka r/o Staff Quarters, Air House, Nirman bhavan 23, Akbar Road, New Delhi 110011 declare that name of mine and my minor son has been wrongly written as PATRIC MASSI / PATRIC MESSY and WILSON P. MESSY in school records of my minor son, WILSON PATRIC MASSI, aged 14 years and of my daughter, NANCY PATRIC MASSI. The actual name of mine/ my son is PATRIC MASSI EKKA and WILSON PATRIC MASSI respectively.

PUBLIC NOTICE

Be it known that my clients Shri Bhagwan son of Late Shri Deep Chand & Smt. Nirmala Devi wife of Shri Bhagwan, both R/o Pole No. 49, Sultanpur Road, Village Karala, Delhi-110081, have been left/debar all relations from their son Sunil Kumar & his wife Priyanka from their all movable and immovable properties. Anybody dealing with them in civil and criminal matter shall be doing at his/her/their own risk, cost and responsibility.

Sd/-
Satyam Sisodia
Advocate

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to general public at large that my client Ravinder Singh S/o Late Jagat Singh R/o 24/13-A, Second Floor, Mall Road, Tilak Nagar, New Delhi-110018 do hereby disown and debar his Son Jasmeet Singh from all his movable and immovable properties with immediate effect because he is out of control of my client. Anybody dealing with him shall be doing so at his/her/their own risk cost and responsibility.

Sd/- B. B. N. DEO, ADVOCATE
SR-II,B.Campus,Janakpuri,N.Delhi-58

PUBLIC NOTICE/DECLARATION

IT IS INFORMED TO THE PUBLIC IN LARGE THAT MY CLIENT SMT. SUNITA GUPTA W/O LATE SH. SURESH GUPTA R/O O-42, KRISHAN VIHAR, SULTANPURI, C-BLOCK, NORTH WEST DELHI, DELHI- 110086 HAS DISOWNED DEBARRED AND DISINHERITED HER DAUGHTER NAMELY LATA FROM ALL HER MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTIES DUE TO HER BAD CONDUCT AND BEHAVIOR AND FALSE ALLEGATION MADE BY LATA AND HER IN LAWS FAMILY AND MY CLIENT SEVERED ALL RELATIONS FROM HER AS SHE IS NO MORE IN THE CONTROL OF MY CLIENT AND ANYBODY DEALS WITH HER MY CLIENT AND HER ALL FAMILY MEMBERS WILL NOT BE RESPONSIBLE IN ANY MANNER WHATSOEVER IN FUTURE.

PRATIMA SHARMA (ADVOCATE)
OFFICE AT F-144, GROUND FLOOR, DHARAM MARKET ROAD, KRISHAN VIHAR, DELHI-110086

नाम परिवर्तन

[illegible]

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किलान प्रदीप कुमार पुत्र श्री राजा राम एवं उनकी पत्नी मुन्ना रानी निवासी एफ-7/255, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86, ने अपने पुत्र पवन से उसके दुर्व्यवहार, कहना न मानना एवं गलत आचरण के कारण उसे अपनी समस्त चल व अचल संपत्ति से बेदखल करके तथा उससे अपने सभी पारिवारिक संबंध विच्छेद कर लिये हैं। भविष्य में उसके किसी आपराधिक क्रियाकलाप (कार्य) तथा लेन देन से मेरे मुवक्किलान का कोई वास्ता नहीं होगा। अगर उससे कोई भी किसी भी प्रकार का लेन देन करता है तो उसका वह खुद जिम्मेवार होगा मेरी मुवक्किलान की इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

VISHAL SINGH
ADVOCATE
Enrl No. D-749/2014

PUBLIC NOTICE

This is to inform to the general public at large that my client Mr. P N Jha S/o Late Shri S.N Jha resident of 12, Reading Lane, Talkatora Road, New Delhi-110001 is intend to purchase a residential Plot No. 49 & 49AL-2A Block, Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi-110059 measuring area 120 sq. yards, belongs to Mr. Chirag Chopra, Son of Mr. Harish Chopra, and Mrs. Meenu Chawla W/o Mr. Prem Chawla, the present owners of above said property. A registered agreement to be executed in favour of to Mr. P N Jha. Anyone having any claim/objection in this regard may contact the undersigned within 7 days.

Rajarshi Jain (Advocate)
17, Lawyers chambers, Supreme Court of India, New Delhi-110001,
Mobile:- 8010348877

PUBLIC NOTICE

TO WHOMESOEVER IT MAY CONCERN, that my client Sh. Bale Ram, S/o. Late Sh. Sohan Lal, R/o. H. No. 1, Gali - 1, Village Bihari Pur, Delhi 110094, do hereby cancel, revoke and withdraw his wills, Gifts, notarized on 01.11.2011 and General Power of Attorney registered with Sub Registrar as Document No. 1474, Book No. 4, Vol. No. 10803, Pages from 185-189, and General Power of Attorney registered as Document No. 1475, Book No. 4, Vol. No. 10803, Pages from 190-194, both registered on 29.09.2011, executed by my client in favour of Sh. Prithvi Singh @ Sanjay, S/o. Sh. Bale Ram, R/o. Village Bihari Pur, Delhi 110094, in respect of certain properties acquired by my client from his own funds and source. If anyone deals with the aforesaid Prithvi Singh, in respect of the properties mentioned in the aforesaid documents, he/she shall be solely responsible for the same as Sh. Prithvi Singh @ Sanjay ceases and has no right, title or interest in the properties mentioned in the aforesaid documents.

Sd/-
KUMAR GAURAV (Advocate)
D/1117A/04
Ch. No. 822, Patiala House Courts, New Delhi-110001.

स्कूटर व बाइकों का इस्तेमाल कर 2.60 लाख किलो चावल चुराए गए

शिकायत मिलने पर सीबीआइ ने दर्ज की प्राथमिकी

नई दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा)।

चोरी की आश्चर्यजनक घटना में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के कुछ अधिकारियों और एक निजी कंपनी ने स्कूटरों और मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल कर लगभग 85 लाख रुपए मूल्य के 2.60 लाख किलो से ज्यादा चावल की कथित तौर पर चोरी कर ली। इतना ही नहीं, इन लोगों ने आंखों में धूल झोंकने के लिए कहा कि चावल की खेप ट्रकों में भेजी गई, लेकिन इन्होंने जो पंजीकरण नंबर दिए थे, वे स्कूटर और मोटरसाइकिल के निकले।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने जांच अपने हाथों में ले ली है और एफसीआइ से मिली शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। यह आरोप लगाया गया है कि सात मार्च 2016 से 22 मार्च 2016 के बीच असम के सल्चप्रा रेल टर्मिनल से 9,191 क्विंटल (9,19,100 किलो) चावल निजी ट्रांसपोर्टर जेनिथ एंटरप्राइजेज के 57 ट्रकों के जरिए मणिपुर के कोइरेंगेई भेजा गया। दो महीने बाद खेप 275.5 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने गंतव्य पर पहुंची, जबकि इतनी दूरी तय करने में लगभग नौ घंटे ही लगते हैं।

जांच-पड़ताल में पता चला कि 16 वाहनों के जरिए भेजे गए 2601.63 क्विंटल (2,60,163 किलो) चावल की खेप के मामले में गबन किया गया जिसकी कीमत 84.98 लाख रुपए थी। चावलों की यह खेप कोइरेंगेई डिपो नहीं पहुंची, लेकिन कागजों में यह पहुंची हुई दिखा दी गई। ट्रांसपोर्टर ने शपथ पत्र में कहा कि विलंब ट्रकों में खराबी की वजह से हुआ जिसकी वजह से खेप दूसरे ट्रकों में चढ़ानी पड़ी।

आगे की जांच में पता चला कि खराब ट्रकों के जो पंजीकरण नंबर दिए गए थे, वे ट्रकों के नहीं, बल्कि एलएमएल और होंडा एक्टिवा स्कूटरों, मोटरसाइकिलों, पानी के टैंकरों, बस, मारुति वैन, कारों और काल्पनिक वाहनों (जिनका कोई पंजीकरण था ही नहीं) के थे। पंजीकरण नंबरों के रिकॉर्ड से पता चला कि लापता चावलों की 16,300 किलो और 10,000 किलो की खेप स्कूटरों के जरिए भेजी गईं और चुराए गए 16,300 किलो चावल की एक अन्य खेप एक मोटरसाइकिल के जरिए भेजी गई।

प्राथमिकी का ब्योरा देते हुए एक अधिकारी ने कहा, 'उक्त 2601.63 क्विंटल चावल कोइरेंगेई नहीं भेजा गया और इसका गबन किया गया, यह बात इस तथ्य से भी साबित होती है कि रिकॉर्ड में दर्ज वाहन नंबर, और खेप भेजने में शामिल उक्त 16 सड़क परिवहन परमिटों वाले वाहनों ने लींगांगपोक्पी पुलिस नाके और कीथेलमान्बी पुलिस नाका क्षेत्र में प्रवेश किया ही नहीं।'

प्राथमिकी में कहा गया है कि सल्चप्रा स्थित एफसीआइ शाखा के अधिकारियों आशीष कुमार पॉल और रजनीश कुमार ने चावल लोड किए बिना ही फर्जीवाड़ा कर ये 16 परमिट जारी कर दिए तथा ट्रांसपोर्टर जेनिथ एंटरप्राइजेज के प्रतिनिधि एल जॉनसन ने इन परमिटों पर फर्जी हस्ताक्षर किए। इसमें कहा गया है कि ट्रांसपोर्टर कंपनी के सोइबम सुरजीत ने ट्रकों के खराब होने और चावल दूसरे वाहनों में चढ़ाने के बारे में फर्जी हलफनामे पेश किए। अधिकारियों ने कहा कि कोइरेंगेई में पदस्थ अधिकारियों ने कथित तौर पर रसीद संबंधी फर्जी प्रविष्टियां कीं। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने भी 16 ट्रकों के फर्जी बिल तैयार किए।

द्विपक्षीय वार्ता के बाद चार समझौतों पर दस्तखत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 अगस्त।

भारत और चीन ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों एवं लोगों के बीच संपर्क को और अधिक मजबूत करने के लिए सोमवार को चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सांस्कृतिक संबंधों एवं लोगों के बीच संपर्क पर भारत-चीन उच्चस्तरीय तंत्र की दूसरी बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के शरीक होने के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, स्वास्थ्य सुविधाएं, खेल और संग्रहालय प्रबंधन में सहयोग के क्षेत्र में चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन और पुरातात्विक धरोहर स्थलों के प्रबंधन को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। जयशंकर और वांग यी ने पारंपरिक औषधि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की अहमियत का जिक्र किया। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि दोनों नेता अपने राष्ट्रीय खेल एसोसिएशनों, खिलाड़ियों और युवाओं के बीच आदान प्रदान बढ़ाने पर सहमत हुए, ताकि अंतरराष्ट्रीय खेल कार्यक्रमों पर सहयोग मजबूत किया जा सके।

कश्मीर के लोग अपने ही घरों में कैद हैं : येचुरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 अगस्त।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी ने सोमवार को आरोप लगाया कि कश्मीर के लोगों को उनके ही घरों में कैद किया गया है। साथ ही उन्होंने सरकार को आगाह किया कि जम्मू-कश्मीर के दर्जे में बदलाव का असर विशेष दर्जा प्राप्त अन्य राज्यों में महसूस किया जाएगा। येचुरी ने लोगों को ईद-उल-अजहा के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि उन्हें अब तक कश्मीर में अपने सहयोगियों की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। येचुरी ने ट्वीट किया कि ईद खुशी और जश्न का पर्व है और हम कश्मीर की जनता के साथ हैं जिन्हें उनके ही घरों में कैद किया गया है।

मौत के आगोश में जाकर भी मां ने नहीं छोड़ा डेढ़ साल के बेटे का हाथ

मलप्पुरम (केरल), 12 अगस्त (भाषा)।

केरल के कोट्टाकुन्नू के पास बचावकर्मी एक मृत मां और उसके मृत बच्चे के मर्मस्पर्शी दृश्य को देखकर खुद के आंसू रोक नहीं पाए। दो दिन पहले इस क्षेत्र में अभूतपूर्व बाढ़ आई थी और भीषण भूस्खलन हुआ था। बचाव कार्य एवं तलाश अभियान में जुटे कर्मियों ने कोट्टाकुन्नू के पास महिला और उसके बच्चे का शव निकाला। मृत मां ने अपने कलेजे के टुकड़े के हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था।

समझा जाता है कि शुक्रवार दोपहर गीतू नामक यह महिला (21) अपने डेढ़ साल के बेटे ध्रुव का हाथ थामे हुए अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आ गई। कई घंटे के तलाश अभियान के बाद रविवार को बचावकर्मियों ने सरत की पत्नी गीतू और उसके बच्चे का शव बरामद किया।

स्थानीय लोगों और बचाव अधिकारियों के लिए यह दृश्य देखना बड़ा मर्मस्पर्शी था। मां और बच्चा कीचड़ में दबे थे और दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थाम रखा था। इस घटना में सरत बच गया। हालांकि सोमवार को उसकी मां सरोजिनी का भी शव बरामद कर लिया गया। सरत और उसका परिवार मलप्पुरम के कोट्टाकुन्नू में किराए के मकान में रहता था। पिछले सप्ताह भारी बारिश और भूस्खलन की घटना के कारण इलाके में चौतरफा तबाही का मंजर नजर आ रहा है।

जंगली हाथियों ने ट्रक चालक को कुचला

रायगढ़, 12 अगस्त (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जंगली हाथियों ने एक ट्रक चालक को कुचल कर मार डाला है। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र के वन मंडल अधिकारी प्रणय मिश्रा ने सोमवार को यहां बताया कि जिले के छाल क्षेत्र में आज तड़के जंगली हाथियों ने एक ट्रक चालक को कुचलकर मार डाला है।

मिश्रा ने बताया कि धरमजयगढ़ क्षेत्र के छाल वन परिक्षेत्र के अंतर्गत घरघोड़ा मुख्य मार्ग पर बीती रात एक ट्रक खराब हो गया था, जिसके बाद ट्रक चालक ट्रक के भीतर केबिन में ही सो गया था। सोमवार तड़के जब जंगली हाथियों का दल वहां से गुजरा तब उन्होंने ट्रक में तोड़फोड शुरू कर दी। जब इस घटना से डर कर ट्रक चालक वहां से भागने लगा तब हाथियों ने कुचलकर उसको मार डाला। ट्रक चालक की पहचान बिहार के औरंगाबाद जिले के निवासी सनोज राम (35 वर्ष) के रूप में हुई है।

अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद वन अमला घटनास्थल पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। उन्होंने बताया कि मृतक सनोज राम अन्य राज्य का निवासी है। परिजनों के आने के बाद ही तत्कालिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

दलित विरोधी है केंद्र सरकार : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 अगस्त।

कांग्रेस ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा दसवीं व 12वीं कक्षा के परीक्षा शुल्क में की गई भारी वृद्धि का कड़ा विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा की अगुआई वाली केंद्र की हुकूमत दलित विरोधी है। पार्टी ने कहा कि बीते छह वर्षों की अपनी हुकूमत में भाजपा की अगुआई वाली सरकार ने सबसे ज्यादा हमले दलित व आदिवासी समाज के साथ किए हैं। अब अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के दसवीं व 12वीं कक्षा के परीक्षा शुल्क में 250 फीसद की शुल्क वृद्धि कर इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को जारी अपने एक बयान में केंद्र सरकार पर एक बार फिर संवेदनहीन होने का आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों के पंजीकरण शुल्क में वृद्धि के फैसले से इस बार नई पीढ़ी व देश के भविष्य पर वार हुआ है। उन्होंने कहा कि सीबीएसई ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा शुल्क को 250 प्रतिशत बढ़ा दिया है। उन्हें अब 350 रुपए की जगह 1200 रुपए का शुल्क भरना होगा। इसी प्रकार सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भी शुल्क की दरों में 100 फीसद तक की वृद्धि करते हुए इसे 750 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। सुरजेवाला ने कहा कि शोषण और असमानता से लड़ने व दलित और पिछड़ों को ताकत देने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है लेकिन भाजपा सरकार देश को पीछे की ओर धकेल रही है।

झारखंड में हजारों आदिवासी महिलाओं को गुजारना पड़ रहा 'दुखनी' का जीवन

दुखनी यानी ऐसी स्त्री जो बिना ब्याह के घर में प्रवेश करती है

खूंटी (झारखंड), 12 अगस्त (भाषा)।

झारखंड के खूंटी के दूरदराज के आदिवासी इलाके में एक युवा दंपति कुंदुंगी मुंडी और कुदराइस संगा को पहली नजर में ही प्यार हो गया और वे साथ रहने लगे। जल्द ही उनके आंगन में एक प्यारी बेटी ने भी कदम रखा लेकिन दावत देने के क्रूर नियमों की वजह से वे विवाह नहीं कर सके और उन्हें वर्षों सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। उनके समाज ने कुंदुंगी पर 'दुखनी' महिला का ठप्पा लगा दिया। दुखनी यानी ऐसी स्त्री जो बिना ब्याह के घर में प्रवेश करती है। समाज ने अपने क्रूर नियम कानूनों के कारण न केवल उसे बल्कि अब पांच साल की हो चुकी बेटी को भी मान्यता देने से इनकार कर दिया।

हालांकि, इस साल जनवरी महीने में हालात तब बदले जब एक स्वयंसेवी संगठन ने सामूहिक विवाह के जरिए उन्हें अपने रिश्ते को समाज की निगाहों में कुबूल करवाने का मौका दिया। कुदराइस ने बताया, 'जब हमें इस सामूहिक विवाह के बारे में पता चला तो लगा कि सालों से आंखों में पल रहा सपना साकार हो गया। अब हम वैधानिक रूप से ब्याहता हैं और हमारे बच्चे को भी कानूनी मान्यता मिल गई है।'

कुंदुंगी और कुदराइस इन सामाजिक नियमों की जकड़न में फंस कर तिल-तिल घुटने वाले अकेले दंपति नहीं हैं। उनके जैसे हजारों युवा दंपति हैं जिनकी शादी को समाज ने महज इसलिए मान्यता नहीं दी क्योंकि उनके पास अपने समुदाय को दावत देने के लिए धन नहीं था। यह दावत अनिवार्य मानी जाती है और अगर इसे नहीं दिए जाने पर विवाह को सामाजिक मान्यता नहीं मिलती। गरीबी की दलदल और कर्जे के न खत्म होने वाले सिलसिले में फंसे इन आदिवासियों के लिए यह मुमकिन नहीं हो पाता कि वे ऐसी दावत का आयोजन कर सकें। इसका नतीजा निकलता है ऐसे शादी करने वाले जोड़े को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है और इसकी सबसे अधिक मार पड़ती है ऐसा विवाह करने वाली महिला पर, जिसे 'दुखनी' करार दिया जाता है।

ऐसी 'दुखनी' को न तो सिंदूर लगाने की इजाजत होती है न ही चूड़ियां पहनने की। ऐसे ब्याह से पैदा हुए बच्चों को उनके पिता की संपत्ति से हिस्सा तक नहीं मिलता। दुखनी की तकलीफों का सिलसिला ताउम्र तो रहता ही है, मरने के बाद भी यह खत्म नहीं होता। दुखनी महिला को गांव के दक्षिणी इलाके में दफनाया जाता है, न कि उस जगह जहां सामान्य लोगों को मिट्टी दी जाती है।

- हजारों युवा दंपति हैं जिनकी शादी को समाज ने महज इसलिए मान्यता नहीं दी क्योंकि उनके पास अपने समुदाय को दावत देने के लिए धन नहीं था।
- गरीबी की दलदल और कर्जे के न खत्म होने वाले सिलसिले में फंसे आदिवासियों के लिए यह मुमकिन नहीं हो पाता कि वे दावत का आयोजन कर सकें।
- बिना दावत दिए शादी करने वाले जोड़े को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है और इसकी सबसे अधिक मार पड़ती है ऐसा विवाह करने वाली महिला पर, जिसे 'दुखनी' करार दिया जाता है।

खूंटी के टोडंकेल गांव में 85 घर हैं, जहां कुंदुंगी और कुदराइस रहते हैं। कुदराइस ने कहा, 'हमारी सबसे बड़ी चिंता बड़ी हो रही बेटी को नहीं मिल रही सामाजिक मान्यता को लेकर थी। उसके कान वे इसलिए नहीं छिदवा पाए क्योंकि उसे सामाजिक मान्यता नहीं मिली थी। पूरे समाज को खाना खिलाने के लिए 50 हजार रुपए की जरूरत पड़ती, जिसे जुटा पाना उनके बूते की बात नहीं थी।' उन्होंने कहा कि इन 85 घरों के लोगों को दावत में मुर्गा और हंडिया (चावल से बनी स्थानीय मदिरा) परोसना जरूरी होता है।

गैरसरकारी संगठन 'निमित्त' की सचिव निकिता सिन्हा को जब इस सच का पता चला तो वे अवाक रह गईं। जब उन्होंने इस तकलीफ को समझना शुरू किया तो पता चला कि कई दंपति अपने जीवन में ऐसे बहिष्कार की पीड़ा को भोग रहे हैं और उनसे से कुछ के नाती पोते तक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह तकरीबन 200 जोड़ों का विवाह करा चुकी हैं और इस काम के लिए उन्हें आदिवासी समुदाय के कड़े विरोध का भी सामना करना पड़ा। वे कहती हैं झारखंड में करीब 32 हजार गांव हैं और अगर हर गांव में ऐसे तीन से चार दंपति हैं तो पीड़ित परिवारों की संख्या एक लाख से अधिक हो सकती है। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसे दंपतियों की पहचान करने और उनका सामूहिक विवाह कराने के काम में बरसों लग गए।

खूंटी के कुमकुमा गांव में अपने दो बच्चों के साथ रह रहे सुमित्रा टूटी (24) और किशोर मुंडा(26) ने कहा कि निमित्त संगठन ने उनकी दुनिया को बदल दिया। लालमुनी कुमारी (65) ने कहा कि उन्होंने दुखनी की तकलीफ को देखते हुए ही तय किया वो शादी ही नहीं करेंगी। झारखंड में सहजीवन (लिव-इन रिलेशनशिप) की परंपरा मुंडा, उरांव और हो जनजातियों में खासतौर पर प्रचलित है।

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि उन्होंने दूरदराज के इलाकों में बड़े स्तर पर विकास कार्य शुरू किए हैं और धीरे-धीरे हालात बदल रहे हैं। सरकार की कुछ योजनाएं है जिससे मदद हो सकती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत तीस हजार रुपए की मदद की जाती है ताकि गरीब की बेटी की शादी हो सके।

मौसम
पूर्वानुमान: नगर में आसमान साफ रहने की संभावना।
तापमान: ▲ 33.5 डिग्री, ▼ 26.4 डिग्री
सूर्योदय: 05:46 सूर्यास्त: 07:08

चंडीगढ़, सेक्टर-20 की मस्जिद के बाहर सोमवार ईद का जश्न मुस्लिम समुदाय ने कुछ यूं मनाया। —जसबीर मल्ही

एलांते मॉल में बम की सूचना से पुलिस के पसीने छूटे

हजारों की संख्या में मौजूद लोगों में मचा हड़कंप, पुलिस ने सतर्कता के साथ मॉल कराया खाली

चंडीगढ़ 12 अगस्त (जनसत्ता)।

'बम होने की सूचना पर तुरंत पुलिस ने पूरे मॉल को खाली कराया और बम स्क्वाड ने चप्पे-चप्पे की तलाशी ली। दोपहर 1.15 बजे मॉल में शुरू तलाशी का काम शाम 5.50 बजे पूरा हुआ और फिर मॉल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। चंडीगढ़ पुलिस को कॉल कर झूठी सूचना देने वाले शख्स को नामजद कर लिया गया। पुलिस उस फर्जी कॉलर का सुराग लगा रही है।'
निलांबरी जगदाले, एसएसपी चंडीगढ़ पुलिस

स्वतंत्रा दिवस के मद्देनजर जहां पुलिस विभाग तैयारियों में जुटा है वहीं आज सोमवार स्थानीय एलांते मॉल में घूमने आए लोगों में तब अचानक हड़कंप मच गया जब मॉल में बम होने की जानकारी दी गई जिस पर पुलिस हरकत में आई और करीब साढ़े तीन घंटे की सघन तलाशी के बाद बम नहीं होने की पुष्टि के बाद जनता का डर कोरी अफवाह निकला, पुलिस ने भी राहत की सांस ली।

सोमवार दोपहर 1.00 बजे किसी अज्ञात शख्स ने वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल- वीओआईपी के जरिए यूटी पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल कर कहा कि एलांते मॉल में बम रखा गया है। सूचना के मिलते ही मॉल को कुछ ही देर में पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और वहां मॉल में मौजूद हजारों लोगों को पुलिस ने ध्यानपूर्वक और सुरक्षित मॉल से बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस विभाग ने साढ़े तीन घंटे की सघन तलाशी ली परंतु पूरे मॉल में कही भी बम नहीं मिलने से कॉल फर्जी निकली।

जैसे ही मॉल में बम होने की सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर ऑपरेशन सैल, एंटी सेबोटाज, बम डिस्पोजल टीम, क्राइम ब्रांच, क्यूआरटी के अलावा ईस्ट डिविजन के तमाम एसएचओ मॉल पहुंच गए। तुरंत एसएसपी निलांबरी जगदले भी पहुंचीं और वहां हजारों लोगों को देख अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए इस तलाशी अभियान को मॉक ड्रिल बताकर विश्वास में लिया और बाहर भेजना शुरू किया। पुलिस जब मॉल को खाली करा रही थी तब मॉल के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी जसविंदर सिंह ने स्थिति संभालते हुए एलांते की पार्किंग से निकल रहे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया व बेरिकेडिंग कर लोगों की आवाजाही बंद करनी पड़ी।

अंतरराष्ट्रीय नगर कीर्तन का भव्य स्वागत

पचंकूला, 12 अगस्त (जनसत्ता)।

गुरु साहिब की खड़ाऊ भी हैं शामिल

एसजीपीसी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने बताया कि गुरु साहिब के जन्म स्थल से आए महान नगर कीर्तन में श्री गुरु नानक देव जी महाराज की खड़ाऊ भी शामिल हैं। गुरु साहिब की चरण छोह प्राप्त करने वाली इन ऐतिहासिक एवं पवित्र खड़ाऊ के दर्शन कर संगत स्वयं को सौभागयशाली बन रही है। उनके मुताबिक गुरुद्वारा साहिब की यह खड़ाऊ विशेष तौर पर कोट लखपत से मंगवाए गए हैं। इसके अलावा अन्य गुरु साहिबान कीऐतिहासिक निशानियां भी इस नगर कीर्तन में शामिल हैं।

श्री गुरु नानक देवजी के जन्म स्थान श्रीननकाना साहिब, पाकिस्तान से आरंभ हुए अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन का हरियाणा में भव्य स्वागत किया गया। सोमवार सुबह 3 बजे हरियाणा की सीमा पर एसजीपीसी वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुजीत सिंह विर्क, पूर्व मंत्री तोता सिंह, एसजीपीसी के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष जत्थेदार बलदेव सिंह कैमपुर, डेरा बस्सी से विधायक एनके शर्मा, असंध से विधायक बख्शीश सिंह विर्क, एसजीपीसी मैंबर जत्थेदार हरभजन सिंह मसाना, जत्थेदार भूपिंदर सिंह असंध, जत्थेदार बलदेव सिंह खालसा, शिरोमणि अकाली दल के हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष शरणजीत सिंह सोथा और धर्म प्रचार कमेटी सदस्य जत्थेदार तजिंदरपाल सिंह लाडवा सहित भारी संख्या में संगत ने गर्मजोशी से पुष्पवर्षा से नगर कीर्तन का स्वागत किया। नगर कीर्तन के अभिनंदन में उमड़े संगत के हजूम ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के समक्ष शीश नवाया और गुरु साहिब की ऐतिहासिक निशानियों के दर्शन कर स्वयं को पुण्य भागीदार बनाया। ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाडा साहिब में पहुंचने पर संगत ने बोले सो निहाल सत्श्री अकाल और फूलों की बौछार करके नगर कीर्तन का स्वागत किया। यहां संगत को संबोधित करते हुए एसजीपीसी वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुजीत सिंह विर्क ने कहा कि श्री गुर नानक देव जी महाराज के जन्म स्थान से भारत देश में नगर कीर्तन का आना देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। पंजाब के कोने-कोने से लाखों की तदाद में संगत ने नगर कीर्तन में शीश नवाया। संगत का उत्साह और श्रद्धा के सामने एसजीपीसी द्वारा किए गए प्रबंध भी सीमित नजर आ रहे हैं। मगर संगत का प्यार देख कर सभी कर्मचारी भी काफी उत्साह से लबरेज हैं। उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब पंचकूला के बाद अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन डेरा बस्सी, लालड़ू, बलदेव नगर अम्बाला, ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब अम्बाला, शहजादपुर, नारायणगढ़, सढौरा, बिलासपुर से होकर ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री कपाल मोचन साहिब पहुंचेगा। यहां रात्रि ठहराव के उपरांत नगर कीर्तन 10 अगस्त सुबह बिलासपुर, छछरौली, शेरपुर, खिजराबाद से होकर श्री पांवटा साहिब पहुंचेगा। पांवटा साहिब से होकर यह महान नगर कीर्तन देहरादून के लिए रवाना हो जाएगा।

पत्नी पर चाकू से हमला करने वाला पति काबू

▌अवैध संबंधों के शक में वारदात को अंजाम दिया ▌पीड़ित महिला की हालत नाजुक

चंडीगढ़ 12 अगस्त (जनसत्ता)।

महीने से रच रहा था साजिश

जानकारी मुताबिक आरोपी पति ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि वह एक महीने पहले से ही अपनी पत्नी को मारने की योजना बना रहा था जिसके तहत उसने एक महीने पहले चाकू खरीदा था और सोमवार को उसी चाकू से वारदात को अंजाम दे दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी से वारदात में इस्तेमाल चाकू, कटर और पेपर मौके से जब्त कर लिया।

चंडीगढ़ एयरपोर्ट लाइट पॉइंट के समीप आज सोमवार सुबह वहां गुजरते राहगीरों के बीच तब हड़कंप मच गया, जब एक पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी पर तेजधार चाकू से हमला कर दिया और फिर मौके से फरार हो गया। लोगों ने मामले की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में दी और मौके पर पहुंचे पीसीआर वाहन ने सड़क पर लहूलुहान हालत में पड़ी पीड़ित महिला को सेक्टर-32 स्थित जीएमसीएच में भर्ती कराया जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

घायल महिला की पहचान हल्लोमाजरा वासी नीलम (35) के रूप में हुई है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया जिसकी पहचान हल्लोमाजरा वासी लाल बहादुर (40) के रूप में हुई। थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

अस्पताल में उपचारधीन नीलम की भाभी शीला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि दोनों की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी लेकिन शादी के कुछ साल बाद से ही दोनों में आए दिन खटपट रहने लगी जिस कारण पत्नी ने उससे अलग रहना शुरू कर दिया। नीलम के पति को शक है कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है। रोज की ही तरह सोमवार को भी आरोपी सुबह अपने काम पर निकला था कि रास्ते में उसने अपनी पत्नी के गर्दन और सिर पर चाकू से हमला कर दिया जिसमें वह बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर गई। पुलिस का कहना है कि घायल नीलम अभी बयान देने की हालत में नहीं है जैसे ही वह ठीक होगी, उसके बाद मामले में खुलासा हो सकता है। वह अभी अस्पताल में ही उपचााराधीन है।

पुलिस आरोपी को अब जिला अदालत में पेश करेगी।

मुलाना के विधायक को थप्पड़ मारने वाला युवक काबू

अंबाला, 12 अगस्त (जनसत्ता)।

आज सोमवार दोपहर मुलाना से भाजपा विधायक को एक युवक ने थप्पड़ मार दिया जब वह मुलाना हलके के गांव सरदेहरी में एक सभा को संबोधित करने के बाद लोगों से मिल रही थीं। हमलावर की पहचान इसी गांव वासी तलविंदर सिंह के रूप में हुई।

जानकारी के अनुसार विधायक जब लोगों से मिल रही थीं तभी तलविंदर अचानक वहां आया और विधायक पर हमला कर दिया। भाजपा कार्यकताओं ने हमलावर को काबू कर लिया और जमकर उसकी पिटाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जाता है कि युवक मानसिक रूप से कमजोर है और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक जोरवाल का कहना है कि युवक को गिरफ़्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

थोक कपड़ा बाजार के अग्निकांड में तीन दुकानें खाक

अंबाला, 12 अगस्त (जनसत्ता)।

अंबाला शहर स्थित थोक कपड़ा बाजार में तीन दुकानें आज सोमवार सुबह भीषण आग की चपेट में आ जाने से वहां ाखों रुपए मूल्य का कपड़ा खाक हो गया। मौके पर पहुंचे करीब एक दर्जन दमकल वाहनों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आज सोमवार सुबह जब कुछ लोगों ने एक दुकान के अंदर से धुआं उठते देखा तो उसके मालिक और दमकल विभाग को इत्तेलाह दी। आग इतनी भीषण थी की धुआं दूर से देखा जा सकता था। अंबाला के थोक कपड़ा बाजार में करीब 700 दुकानें हैं और यह प्रदेश के सबसे बड़ी थोक कपड़ा मार्केट है। यहां रोजाना हरियाणा के अलावा पंजाब और समीपवर्ती चंडीगढ़ से बड़ी संख्या में लोग कपड़ों की खरीदारी करने आते हैं।

आग लगने की जानकारी मिलते ही बाजार में अफरातफरी मच गई। दुकानदार घरों से अपने दुकानों पर पहुंचने लगे थे। लोगों को आशंका थी कि यदि आग आसपास की दुकानों में फैली तो संभालनी मुश्किल हो जाएगी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और सड़क पर यातायात रोक दिया गया। दमकल कर्मियों को दुकान की छत पर चढ़कर एक दीवार तोडनी पड़ी ताकि दुकानों के भीतर पानी डाला जा सके। अंबाला की सबसे ज्यादा पुररौनक कपड़ा बाजार होने के कारण देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में लोग मौके पर जमा हो गए।

आग लगने की सही वजह का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। कहा जा रहा है कि आग शार्ट सर्किट की वजह से लगी `एक ऐसे ही दुकानदार ने बताया कि उसकी दुकान को लेकर उसका किसी से विवाद चल रहा है और वह उसकी दुकान हथियाना चाहता है। इस पर पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही इस अग्निकांड की असल वजह का खुलासा होगा।

जोश, उत्साह के साथ होगा जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज

18 अगस्त को कालका से होगा आगाज, हर दिन के यात्रा प्रमुख नियुक्त

चंडीगढ़, 12 अगस्त (जनसत्ता)।

हर दिन की यात्रा के बने प्रभारी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा 18 अगस्त से प्रारंभ होगी, जिसमें हर दिन की यात्रा के प्रभारी बनाए गए हैं। 15 दिन की इस यात्रा के दौरान यह प्रभारी उनको निर्धारित दिन को लेकर पूरी रूपरेखा की अगुवाई करेंगे। जानकारी के अनुसार 18 अगस्त की यात्रा के प्रभारी राजीव जैन, 19 अगस्त को अशोक सुखीजा, 20 अगस्त को सत्यवान शेरा, 22 अगस्त को धुमन सिंह किरमिच, 23 अगस्त को वीरकुमार यादव, 25 अगस्त को संजय शर्मा, 27 अगस्त को मुकेश गौड, 28 अगस्त को ललित बत्रा, 29 अगस्त को जवाहर सैनी, 31 अगस्त को अजय गौड, 1 सितंबर को जगदीश चोपडा, 2 सितंबर को दीपक मंगला, 4 सितंबर को मनीष मित्तल, 5 सितंबर को गोबिंद भारद्वाज व 6 सितंबर को कर्णसिंह रानौलिया को प्रभारी नियुक्त किया गया है।

आगामी विधानसभा चुनाव में मिशन 75 पार के लिए कमर कस चुकी भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा को मजबूती के साथ जमीन पर उतारने का खाका तैयार कर लिया है। प्रदेश में माहौल बनाने की दिशा में इस अहम कदम के लिए व्यवस्था प्रमुख, टोली प्रमुख से लेकर एक-एक दिन की यात्रा के प्रमुख भी नियुक्त किए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक आमजन को भाजपा विचारधारा के साथ जोडा जा सके।

प्रदेश में आचार संहिता लगने से पूर्व ही भाजपा पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पहुंचने की पूरी तैयारी कर चुकी है। प्रदेश व्यवस्था टोली की अगुवाई सांसद एवं प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया करेंगे, जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कैथल व कुरूक्षेत्र जिला में यात्रा की व्यवस्था देखेंगे, जबकि सांसद नायब सिंह सैनी करनाल, पानीपत, सोनीपत व जींद, विधायक डा कमल गुप्ता सिरसा, फतेहाबाद व हिसार, प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद यादव फरीदाबाद, मेवात, गुरूग्राम, पलवल, रेवाडी व महेंद्रगढ व जेपी दलाल भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक व झज्जर जिला की व्यवस्था संभालेंगे।

यात्रा के सुनियोजित संचालन के लिए संबंधित जिलाध्यक्ष जिला व्यवस्था प्रमुख बनाए गए हैं। इसी प्रकार यात्रा समापन पर विजय संकल्प रैली के प्रमुख के तौर पर संयुक्त रूप से प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल एवं राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर, प्रचार-प्रसार टोली जवाहर यादव, साहित्य निर्माण टोली प्रमुख भारत भूषण मिड्डा, रथ व्यवस्था व सज्जा प्रमुख प्रवीण जैन व नितिन नारंग, मीडिया व्यवस्था टोली में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन, अमित आर्य, सूरजपाल अम्मू, राजीव जेटली व रणदीप घनघस, सोशल मीडिया अरूण यादव व पुनीत अरोडा, कार्यकर्ता व सहयोगी भोजन प्रमुख जीएल शर्मा, कार्यकर्ता एवं सहयोगी आवास व्यवस्था प्रमुख विशाल सेठ, यात्रा रूट सज्जा व यात्रा सज्जा प्रमुख मनीष यादव, चिकित्सा टोली डा वेद बैनीवाल, प्रेरक गीत प्रमुख संजय भसीन की जिम्मेदारी तय की गई है।

श्रीमती कृष्णा खेतान स्मारक जूनियर बेडमिंटन मुकाबले आज से

चंडीगढ़, 12 अगस्त (जनसत्ता)।

श्रीमती कृष्णा खेतान स्मारक 28वें अखिल भारतीय जूनियर रैंकिंग प्राइज मनी बेडमिंटन टूर्नामेंट- 2019 कल मंगलवार से पंचकूला के सेक्टर-3 स्थित मल्टीपरपज इंडोर स्टेडियम-ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कांप्लेक्टस में शुरू होगा। यह जानकारी आज सोमवार आयोजकों की ओर से दी गई। प्रतिष्ठित जूनियर बेडमिंटन मुकाबलों का आयोजन 28वें वर्ष में प्रवेश कर गया है।

संजीव सचदेव, भारत के पूर्व मुख्य जूनियर कोच एवं बीएआई की जूनियर चयन समिति में सदस्य व बीएआई में सलाहकार ने बताया, 'क्वालिफाइंग राउंड में इस साल 900 से ज्यादा प्रविष्टियां आईं हैं जो 13-14 अगस्त को होंगे। इन मुकाबलों का मेन ड्रॉ 15 से 18 अगस्त, 2019 के बीच चलेगा, जिनमें सिंगल्स के तहत टॉप 16 खिलाड़ी व डबल्स के तहत टॉप आठ युगल हिस्सा लेंगे। ये मुकाबले दरअसल, वर्ल्ड जूनियर मुकाबलों के लिहाज से दो चयन मुकाबले होंगे।'

कल मंगलवार मुकाबलों के पहले दिन सुबह 9.00 बजे क्वालिफाइंग राउंड के लिए यू. विमल कुमार, पूर्व राष्ट्रीय बेडमिंटन चैंपियन एवं राष्ट्रीय कोच मुख्यातिथि होंगे जबकि संजय महाजन, चीफ इंजीनियर- एचपीएचसी और एके रैना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर- एचएसवीपीबतौर माननीय अतिथि उपस्थित रहेंगे। फिर 15 अगस्त को ओपनिंग सेरेमनी में पंचकूला के स्थानीय विधायक एवं हरियाणा सरकार में मंत्री ज्ञानचंद गुप्ता मुख्यातिथि होंगे। गुजरात से बतौर चीफ रेफरी विनोद शाह होंगे।

बताया गया कि बेडमिंटन मुकाबलों के क्वालिफाइंग राउंड कल मंगलवार सुबह 9.00 बजे से शुरू होंगे। इनका आयोजन हर साल यहां एक्सप्रेस शटल क्लब ट्रस्ट की ओर से हरियाणा बेडमिंटन एसोसिएशन और योनेक्स सनराइज के दशकों पुराने सहयोग से होता आया है। इस बार विजेता खिलाड़ियों को उपहार स्वरूप चार लाख रुपए की राशि रखी गई है। बेडमिंटन मुकाबलों के लिए इस वर्ष हरियाणा की बेस्ट प्लेयर (लड़की) के लिए एक नई ट्रॉफी शामिल की गई है जिसे तमिलनाडू की पूर्व स्टेट प्लेयर नीरा दत्त के नाम पर शुरू किया गया है। इसमें लाइव स्कोरिंग की खूबी भी शामिल की गई है।

हरियाणा में तो अब तक उलटा ही पड़ता आया गठबंधन का पासा

चंडीगढ़, 12 अगस्त (जनसत्ता)।

- सियासी दलों ने गठबंधन से सत्ता तो हासिल की पर धर्म नहीं निभाया
- बसपा की छवि मौकापरस्त राजनीतिक दल की बनी
- पहली बार गठबंधन के साथ लड़ेगी विधानसभा चुनाव

हरियाणा में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही गठबंधन की राजनीति का दौर फिर से शुरू हो गया है। हरियाणा में अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता गंवा चुकी बहुजन समाज पार्टी ने रविवार को एक बार फिर से जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके नए समीकरणों को जन्म दे दिया है। हालांकि बसपा द्वारा दो साल से भी कम समय में तीसरी बार गठबंधन किए जाने को लेकर हरियाणा में बसपा का पारंपरिक वोट बैंक अब खिसकता जा रहा है लेकिन हरियाणा के अस्तित्व में आने से लेकर आजतक गठबंधन की राजनीति कभी भी लंबी नहीं चली है। हरियाणा की राजनीति में विरोधियों के साथ गठबंधन करके सत्ता की सीढ़ी चढने की परंपरा राज्य बनने के साथ ही शुरू हो गई थी।

राजनीतिक रूप से आपात स्थिति में देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल सरीखे नेताओं ने गठबंधन से गुरेज नहीं किया, लेकिन गठबंधन की सरकारों ने कभी अपना शासन काल पूरा नहीं किया। प्रदेश में अब तक हुए राजनीतिक दलों के गठबंधनों के टूटने का मुख्य कारण इनका नेतृत्व करने वाले नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाएं हैं। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति हमेशा मौकाप्रस्त राजनीतिक दल की रही है।

जब भजनलाल ने गिराई थी देवीलाल की सरकार: हरियाणा गठन के एक साल बाद राव बीरेंद्र सिंह ने 1967 में हरियाणा विशाल पार्टी का गठन करके सत्ता हासिल की। कुछ समय बाद उनके दो विधायकों गया राम और हीरानंद आर्य ने मोर्चा खोल दिया। सबसे पहले वर्ष 1977 में देवीलाल के नेतृत्व में महागठबंधन बना। जिसमें कई राजनीतिक दलों और वरिष्ठ नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस गठबंधन ने सत्ता भी हासिल कर ली। कुछ समय बाद भजनलाल ने विधायकों को अपने साथ ले लिया और देवीलाल की सरकार गिरा दी। वर्ष 1980 में भजनलाल कांग्रेस में शामिल हो गए और सरकार बना ली।

भाजपा के कारण गिरी थी चौटाला व बंसीलाल की सरकार: भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 1987 में देवीलाल के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। इसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम के बीच ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी ने गठबंधन तोड़ लिया और सरकार अल्पमत में चली गई। 1996 में बंसीलाल ने कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा विकास पार्टी बनाई और बीजेपी के साथ गठबंधन करके सत्ता में आ गए। वर्ष 1999 में बीजेपी ने समर्थन वापस लिया तो बंसीलाल की सरकार चली गई। इस बीच कुछ समय के लिए इंडियन नैशनल लोकदल (इनेलो) और बीजेपी का गठबंधन हुआ तो चौटाला भी सत्ता की सीढ़ी चढ़ गए। यह गठबंधन भी लंबा नहीं चला। हरियाणा में इनेलो सरकार अल्पमत में आ गई और उसने केंद्र में बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया। इस बीच हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इनेलो ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया। यह गठबंधन भी लंबा नहीं चल सका।

मतभेद की भेंट चढ़े भाजपा-इनेलो व भाजपा हजकां गठबंधन: हरियाणा में गठबंधन की राजनीति कुछ समय के लिए शांत रही, लेकिन 2008 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और इनेलो ने गठबंधन तो किया लेकिन यह भी ज्यादा लंबा नहीं चल सका। 2009 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा जनहित कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन हुआ। इस गठबंधन में भी वैचारिक मतभेद पैदा हो गए। 2014 में हुए चुनाव के दौरान भी हरियाणा जनहित कांग्रेस और बीएसपी के बीच गठबंधन हुआ। यह गठबंधन भी लंबा नहीं चला।

बसपा ने दो साल में किया तीसरा गठबंधन: बहुजन समाज पार्टी ने वर्ष 2018 में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन किया। जींद में हुए उपचुनाव के बाद यह गठबंधन टूट गया और बसपा ने राजकुमार सैनी के नेतृत्व वाली लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। सैनी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लडने. वाली बसपा का यहां भी जल्दी मोहभंग हो गया और बसपा ने लोसुपा के साथ गठबंधन तोड़ लिया। लोकसभा चुनाव के दौरान जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच भी गठबंधन हुआ था लेकिन यह गठबंधन भी चुनाव के साथ ही खत्म हो गया। अब बसपा ने विधानसभा के मद्देनजर जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक
www.bankofbaroda.in

बड़ौदासन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
की ओर से
भर्ती सूचना

बड़ौदासन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी द्वारा निम्नलिखित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है.

क्र.सं.	पद	रिक्तयों की संख्या
1.	डाटा एनालिस्ट	4
2.	डाटा मैनेजर	2
3.	डाटा इंजीनियर	4
4.	बिजनेस एनालिस्ट	2
5.	मोबिलिटी एंड फ्रंट एंड डेवलपर	6
6.	इन्टीग्रेशन एक्सपर्ट	2
7.	इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एक्सपर्ट	4
8.	टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट	1
	कुल	25

विस्तृत विज्ञापन के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in (कैरियर पेज) देखें. योग्य इच्छुक उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे पात्रता मानदंडों को सावधानीपूर्वक पढ़ें और आवेदित पद हेतु अपना विस्तृत सीवी, संबंधित योग्यता / अनुभव / एक्सपोजर का ब्यौरा देते हुए दिए गए लिंक पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर, 2019 (23:59 बजे तक) है.

स्थान : वडोदरा
दिनांक : 13.08.2019
प्रमुख – मा.सं. परिचालन
बैंक ऑफ़ बड़ौदा

धांधली के बाद सरकार ने रद्द कर दी परीक्षा

पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा

शिमला, 12 अगस्त (जनसत्ता)।

पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में धांधलियां सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने लिखित परीक्षा को ही रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां एलान किया लिखित परीक्षाएं अब नए सिरे से होंगी, इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए एसआइटी का गठन कर दिया गया है और सरगना अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने बड़ी रकम पकड़ी है और मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों न हो। जय राम ठाकुर ने कहा कि बीते रोज पुलिस भर्ती परीक्षा में कुछ बाहरी लोगों के परीक्षा केंद्र के आसपास व परीक्षा केंद्र के अंदर किसी अन्य नाम से परीक्षा देते हुए पकड़े जाने की जांच के लिए उप-मंडल पुलिस अधिकारी पालमपुर के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है व परीक्षा को तुरंत रद्द कर दिया गया ताकि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो।

आज यहां गेइटि थियेटर में संस्कृत अभिनंदन समारोह के उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि लिखित परीक्षा से पहले ही कांगड़ा में गुप्त सूचना मिली थी कि प्रदेश के बाहर के राज्यों के कुछ लोग अन्य लोगों के स्थान पर लिखित परीक्षा देने की योजना बना रहे हैं, जिसके आधार पर परीक्षा शुरू होने से पहले ही तीन लोगों को पुलिस ने धर लिया था जबकि दो अन्य को परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी दौरान परीक्षा केन्द्र के आसपास संदिग्ध हालात में घूमती एक हरियाणा के नंबर की गाड़ी को पकड़ा गया, जिसमें नकल करने के उपकरणों से लैस तीन बनियानें बरामद की गईं और ज्वाली क्षेत्र में मुख्य सरगना के घर से पुलिस ने 11 लाख रुपए भी बरामद किए। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से तीन हिमाचल प्रदेश के 10 बाहरी राज्यों से है। पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपनाई जाने वाली बेहतर प्रणाली का प्रयोग करें और इसी आधार पर पुलिस भर्ती के लिए दोबारा लिखित परीक्षा का आयोजन करें, जिसके लिए उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी।

आईजी एटीपी हिमांशु मिश्रा ने कहा कि सभी 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है व उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सभी आरोपियों को 16 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

बीते रोज एक हजार से ज्यादा कांस्टेबल के पदों के लिए 39 हजार से ज्यादा युवक-युवतियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों में लिखित परीक्षा दी थी। मिश्रा के मुताबिक, इनमें से कांगड़ा में 11378, शिमला में 2576, चंबा में 3115, ऊना में 2935, हमीरपुर में 2514, बिलासपुर में 2471, मंडी में 7357, कुल्लू में 1794, लाहुल स्पिति में 25, किन्नौर में 200, सोलन में 1989 और सिरमौर में 2485 लोगों ने परीक्षा दी लेकिन बीच में धांधली हो गई व लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया। सरकार व पुलिस की फजीहत पुलिस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में दूसरे की जगह पेपर देने व तकनीक के आधार पर धांधली मचाने के इस मामले से प्रदेश सरकार व पुलिस की बहुत फजीहत हुई ह। प्रदेश पुलिस अरसे से संदेह के घेरे में है जब पुलिस विभाग अपने ही विभाग में हो रही भर्ती में धांधलियां नहीं रोक पा रहा है तो वह बाकी जगह क्या कर पाएगा।

एक हजार से ज्यादा कांस्टेबलों की ये भर्ती प्रक्रिया विवादों में रही। शरीरिक परीक्षा के दौरान तीन हजार युवा व युवतियों को पहले ही फीस के नाम पर परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जा चुका। युवाओं के खातों से फीस की रकम पुलिस विभाग के खातों के लिए चली गई लेकिन सर्वर की वजह से वहां नहीं पहुंची तो पुलिस ने एक युवाओं व युवकों को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जबकि इन युवकों ने बैंक की स्टेटमेंट भी अधिकारियों को दिखाई। पुलिस की साख गुडिया कांड से लेकर अब तक संदेह के घेरे में है। शिमला में ही एक चलती कार में कथित दुष्कर्म मामले की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई। चंबा में नशा तस्करी मामले में विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाए हैं और अब यह एक नया कांड हो गया।

कांग्रेस बोली, बेरोजगारों के साथ अन्याय

शिमला: प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि रोजगार के लिए लिखित परीक्षा को आयोजित करने के बाद उसे रद्द करना प्रदेश के पढ़े- लिखे गरीब बेरोजगारों के साथ एक बड़ा धोखा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि यह प्रशासन की पूरी तरह की विफलता है,जो इन परीक्षार्थियों को भुगतनी पड़ी है। परीक्षा के लिए जो मापदंड तैयार किये जाते है उस में साफ तौर पर कौताही बरती गई है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच कर इस के पीछे सरगनाओं के नाम उजागर किये जाने चाहिए।कहीं इस के पीछे कोई राजनीतिक सरंक्षण तो नहीं,जो अपने लोगों को परीक्षा में सफल करवाने के लिये उनकी जगह किसी अन्यों को बिठाया गया था। राठौर ने सरकार से मांग की है कि इस पुलिस भर्ती के लिये आए प्रदेश के उन युवाओं को आने जाने का पूरा खर्चा वहीं सहित आगे होने वाली इस भर्ती परीक्षा का होने वाला उनका खर्चा भी प्रदान किया जावे। प्रशासन की विफलता का खामियाजा आखिर बेरोजगार युवा क्यों भुगते।

मुन्ना भाई पांच दिन के पुलिस रिमाड पर

धर्मशालाः पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में कांगड़ा जिले के परौर केंद्र से काबू किए 13 आरोपियों को अदालत ने आज सोमवार पांच दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने रविवार को प्रदेश के असल अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने जा रहे जिन युवकों को गिरफ्तार किया था उनमें हिमाचल से तीन, हरियाणा से सात, उत्तर प्रदेश से दो और एक राजस्थान का है। पूछताछ के बाद पुलिस इनको 16 अगस्त को फिर अदालत में पेश करेगी। कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन के मुताबिक सभी आरोपियों के विरुद्ध भवारना थाने में धारा 420 और 411 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अब तक वायरिंग, मोबाइल उपकरणों और ईयर फोन के साथ चार विशेष रूप से गढ़े गए पुर्जों को आरोपियों से जब्त करने के साथ की हरियाणा की नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी को भी जब्त किया है। जिला पुलिस प्रमुख ने बताया कि आरोपियों के आपराधिक रिकार्ड का पता लगाने के लिए हरियाणा, यूपी और राजस्थान पुलिस से संपर्ककायम किया जा रहा है तथा इस मामले में अन्य संदिग्धों और मुख्य सरगना के संभावित ठिकानों पर छापे जारी हैं। उन्होंने कहा कि पालमपुर के डीएसपी अमित शर्मा के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल साक्ष्य एकत्रित करने में जुटा है।

मंडी में सावन के आखिरी सोमवार को बाबा भूतनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना की। फोटो : बीरबल शर्मा

धारा 118 पर जुबानी जंग तेज

हमीरपुर, 12 अगस्त (जनसत्ता)

हिमाचल में धारा 118 को लेकर सत्ता पक्ष-प्रतिपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। आज सोमवार कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार धारा 118 के साथ एक बार खिलवाड़ करने का जिगरा तो दिखाए, फिर हम बताएंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा नेता अहंकार में चूर हैं व उसके चलते मनमानी पर उतारू हैं।

कौशल ने कहा कि बाहरी लोगों को प्रदेश में जमीनें बांटने के सरकार के मनसूबों पर कांग्रेस का विरोध देख भाजपा में बौखलाहट है। भाजपा के सहयोगी अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल का बयान स्पष्ट करता है कि भाजपा के जिगरी यार यानी बाहरी लोग हिमाचल की जमीन पर गिद्धदृष्टि गड़ाए हैं।

दूसरी ओर भाजपा अध्यक्ष का यह दावा कि कांग्रेस सरकार ने पांच बार 118 से छेड़छाड़ की, सर्वथा अनुचित बयान है। यदि सरकार को लगता है कि पूर्व में भू आवंटन गलत हुआ है तो उसे उजागर कर रद्द कराए। इससे पूर्व में भी भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की जमीनें बाहरी लोगों के हाथ लुटाई जाती रहीं और अकेले सोलन में ही करीब 7 निजी विवि खोलने के लिए जमीनें दी गईं। जहां तक कांग्रेस के 'हिमाचल बचाओ' आंदोलन का सवाल है तो भाजपा निश्चिंत रहे, वह भी जोरदार ढंग से चलेगा। कांग्रेस में गुटबाजी पर दिया भाजपा अध्यक्ष का बयान राजनीतिक है क्योंकि कांग्रेस एकजुट है और इसके प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर तथा नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित सभी आला नेता बेहतर तालमेल में काम कर रहे हैं जबकि कांगड़ा और हमीरपुर में भाजपा की फूट आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनती है।

पैराग्लाइडिंग से हुई पर्यटक की मौत पर ग्लाइडर मालिक गिरफ्तार

कुल्लू, 12 अगस्त (जनसत्ता)।

मनाली के सोलंग नाला में रविवार को हैदराबाद के मेडिकल कॉलेज के छात्र की पैराग्लाइडिंग करते वक्त ग्लाइडर के क्रैश होने से मौत हो गई थी। 25 साल का यह पर्यटक लखाचंद्र रेड्डी हैदराबाद से मनाली घूमने आया था। कुल्लू घाटी में इनदिनों पर्यटन विभाग द्वारा हर साल बरसात के मौसम को देखते हुए 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन कुल्लू जिला में प्रतिबंध के बावजूद पर्यटकों को पैराग्लाइडिंग करवाई जा रही थी। पुलिस ने ग्लाइडर मालिक पर धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने पर्यटको से आग्रह किया कि वह ऐसी अवैध साहसिक गतिविधियों से मानव जीवन को खतरे में न डाले।

कई स्थानों पर हलकी बरसात

शिमलाः पिछले 24 घंटों में प्रदेश में मानसून के कमजोर रहने के बावजूद अनेक स्थानों पर बारिश हुई है। आज दिन को भी प्रदेश में कुछ ही स्थानों पर हलकी बारिश हुई जबकि मौसम विभाग ने मैदानी व मध्य हिमाचल में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई थी। बीती रात नगरोटा सूरियां में 58 व गुलेर में 55 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। धर्मशाला में 43, नादौन में 29, सुंदरनगर, खदराला और बैजनाथ में 20, देहरा गोपीपुर में 18, मेहरे व कोटखाई में 15, गगल में 14, राजगढ़ में 13, सुजानपुर टीहरा में 11, शिमला में 9, हमीरपुर, जोगेंद्रनगर व रामपुर में 7 पालमुपर, गोहर, जंजैहली और मंडी में 5 तिलीतीटर बारिश दर्ज की गई है।

विभाग ने आज दिन को धर्मशाला में 1, ऊना में 3, बंगाधा में 11 और फागू में तीन मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के मैदानी व मध्य हिमाचल में कई स्थानों पर भारी बारिश कीचेंतावनी जारी की है।

'सीएम साहब मेरे मासूम बच्चों का पता लगवाओ'

पत्नी 20 दिन पहले बच्चों के साथ लापता, पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा सहयोग

मंडी, 12 अगस्त (जनसत्ता)।

सराज हलके के थुनाग वासी एवं सौ प्रतिशत दृष्टिहीन कुंदन लाल की पत्नी पिछले करीब 20 दिनों से अपने दो छोटे-छोटे बच्चों को लेकर अचानक लापता हो गई है।

इस मसले में कुंदन लाल ने पुलिस और प्रशासन में बार बार शिकायत करने के बावजूद भी 20 दिन के बीत जाने पर भी कुंदन लाल के दो छोटे, छोटे बच्चे और बीवी का पता नहीं लगा पाए हैं। चाहे परिवारिक परिस्थितियां कुछ भी रही हों, लेकिन कुंदन लाल को शासन और प्रशासन ने प्रताड़ित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, जबकि कानून 2016 के लागू होने के बाद प्रशासन और पुलिस को इस तरह दिव्यांगता के शिकार हुए कुंदन लाल को उसके घर जाकर मदद करनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर दृष्टांत कुछ उल्टा ही नजर आया है।

प्रशासन पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी उल्टा कुंदन लाल के ऊपर हावी होते दिखे हैं। जिससे कुंदन लाल अत्याधिक मानसिक परेशानी में है और उन्होंने मन बनाया है कि अगर पुलिस, प्रशासन और विभागीय अधिकारियों का ऐसा ही रवैया रहा तो वह हताश होकर कहीं वह कोई आत्मघाती कदम न उठा ले। ऐसा करना पड़ा तो इसके लिए सीधे तौर पर पुलिस, प्रशासन और शासन सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा। कुंदन लाल का कहना है कि वर्ष 2008 में उसकी शादी बबली देवी निवासी खरठीं डाकघर सराहन तहसील रामपुर बुशहर के साथ हुई थी। तब से लेकर अब तक उसकी पत्नी अपने पति कुंदन के साथ सही तरह का व्यवहार करती नहीं नजर नहीं आई है। जिसके लिए कुंदन लाल के ससुराल वाले भी उसके ऊपर हावी होते नजर आए हैं और आए दिन पैसा देने की और जान से मारने की धमकियां तक कुंदनलाल को देते आए हैं।

कुंदन लाल ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि वह इस मसले में उनकी मदद करें। अन्यथा वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। इस मामले की भनक जब हिमाचल प्रदेश दिव्यांगजन संगठन के प्रदेशाध्यक्ष एवं समाजसेवी कानूनी सलाहकार दिव्यांगजन कुशल कुमार सकलानी को लगी तो उन्होंने पूरा ब्यौरा शासन प्रशासन और विभागीय अधिकारियों से लिया और थुनाग निवासी दिव्यांग कुंदन लाल की गाथा को अपने निवास स्थान महादेव में सुनकर काफी चिंतित हैं।

सैंज घाटी की शैंशर पंचायत में बारिश ने मचाई तबाही

मकान व दुकानों में भरा पानी, एक घराट भी आया बारिश की चपेट में

कुल्लू, 12 अगस्त (जनसत्ता)।

जिला कुल्लू में पिछले कुछ दिनों से बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं ने तबाही मचाई हुई है। बरसात के चलते भूस्खलन और नदी-नालों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

रविवार रात को सैंज घाटी की शैंशर पंचायत में भी भारी बारिश ने खूब कहर बहरपाया। रात को हुई तेज बारिश से शेंशर के मझिना गांव में एक मकान में पानी घुस जाने से लोगों घर से बाहर निकलना पड़ा। वहीं मूसलाधार बारिश से नाले में पानी का जलस्तर बढ़ जाने से एक घराट भी बारिश की चपेट में आने से बह गया है। ग्रामीण आलम चंद ने बताया कि सड़क में पानी निकासी की नाली न होने के कारण सारी पानी मकान के कमरों के अंदर आ गया जिसके कारण परिवार के लोगों में अफरा तफरी मच गई। जंगला गांव निवासी ठाकर दास का घराट भी बाढ़ की चपेट में आ गया है।

लगातार हो रही बारिश से जगह जगह भूस्खलन के चलते न्यूली शेंशर तलियारा सड़क यातायात के लिए बंद हो गई है। इन दिनों लोगों द्वारा फल सब्जियों को मंडियों तक पहुचाने का कार्य जोरों चलाया गया है लेकिन सड़क बंद होने से ग्रामीण अपने उत्पादों को मंडी तक न पहुंचा पा रहे हैं तथा उन्हें लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। ग्रामीण जवाहर नेगी, राजकुमार व हेमराज ने बताया कि सड़क में डंगा न लगने के कारण भूमि कटाव से उनके खेत पूरी तरह से नष्ट हो गये हैं। ग्रमीणों गिरधारी लाल, सोहनलाल, दुनी चंद, प्रेम सिंह व निमत राम का कहना है कि बरसात में हर साल उनकी सड़क बंद रहने से सेब व टमाटर की फसलें खेतों में ही सड़ रही है।

संस्कृत को लोकप्रिय बनाने को कृतसंकल्पः जय राम

शिमला, 12 अगस्त (जनसत्ता)।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में संस्कृत भाषा को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि संस्कृत भाषा को पुनः उचित स्थान प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा को राज्य की दूसरी भाषा घोषित करने के लिए सप्ताह भर चलने वाले संस्कृत सप्ताह के उपलक्ष्य पर आयोजित संस्कृत अभिनंदन समारोह में दी। समारोह का आयोजन हिमाचल राज्य संस्कृत शिक्षा परिषद, हिमाचल संस्कृत अकादमी, हिमाचल संस्कृति एवं कला अकादमी व संस्कृत भारती हिमाचल प्रदेश के सौजन्य से किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत को राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित करने से कुछ नहीं होगा जब तक संस्कृत समाज इसे आगे बढ़ाने के लिए आगे नहीं अएगा। कानूनी प्रक्रिया पूरी करना तो एक औपचारिकता है। उन्होंने कहा कि इस अनूठी भाषा ने न केवल देश के लोगों को ज्ञान का पाठ पढ़ाया है बल्कि उचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक सामानांतर मार्गदर्शन भी किया जो समस्त विश्व के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत विश्व की सबसे अधिक कम्प्यूटर अनुकूल भाषा है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में संस्कृत भाषा को पढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे उसी तरह से लिखा जाता है जिस प्रकार इसका उच्चारण होता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा की खोई हुई पहचान को पुनः स्थापित करने व इसे आमजन में अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए हमें मिल-जुलकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वित्त साल के दौरान 50 विद्यालय व 50 महाविद्यालयों में संस्कृत प्रयोगशालाएं आरम्भ की जाएंगी।

ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार शास्त्री अध्यापकों जिन्होंने बी.एड. की है को टी.जी.टी संस्कृत री-डेजीग्नेट करने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करोड़ों हिन्दुओं द्वारा किया जाता है वअधिकतर धार्मिक अनुष्ठानों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत लाहौल-स्पीति के एक गांव में बोली जाने वाली मुख्य भाषा है। उन्होंने कहा कि यदि संस्कृत का और अधिक प्रचार किया जाए, तो यह दूसरे राज्यों के लोगों के मध्य एक कड़ी के रूप में काम कर सकती है। उन्होंने कहा कि संस्कृत को शास्त्र के भंडार के रूप में और हिंदू धर्म में प्रार्थना की भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। हिमाचल प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां देवनागरी को विशेष रूप से प्रयोग में लाया गया।

घूस सहित रंगे हाथ दबोचा डीएसपी

धर्मशाला, 12 अगस्त (जनसत्ता)।

धर्मशाला स्थित सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते ने सोमवार को कांगड़ा जिले जवाली के डीएसपी ज्ञान चंद ठाकुर को 45 हजार की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मामले की पुष्टि करते हुए विजिलैंस के पुलीस अधीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि जवाली के अनुसचित जाति के कुछ लोगों ने जातिगत अभद्र टिप्पणियां करने को लेकर वहां के एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस के पास शिकयत दे रख थी लिहाजा उस मामले को दबाने को लेकर डीएसपी ठाकुर ने कथित तौर पर 50 हजार की मांग की थी।

शिकायतकर्ता इस पुलिस अधिकारी को पांच हजार पहले ही दे चुका था और बाकि के 45 हजार बाद में देना तय हुआ था लेकिन इस बीच शिकायतकर्ता विजिलेंस के पास पहुंच गया। इस पर सतर्कता विभाग के दल ने जाल बिछाया और नूरपुर के डीएसपी का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे आरोपी डीएसपी को जब शिकायतकर्ता यह रकम देने पहुंचा तो विजिलैंस ने कार्यालय उसे में रंगे हाथ दबोच लिया।

नशा तस्करों के लिखाफ मुहिम शुरू

बिलासपुरः *जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम रंग ला रही है। आज पुलिस टीम ने शहर के नजदीक बामटा चौक पर नाका लगाया हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कोई युवक नशे की बड़ी खेप ला रहा है। जैसे ही उन्होंने युवक को पहचाना तो तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 562 ग्राम चरस बरामद की गई। युवक की पहचान करीबी चांदपुर गांव के विनय चौहान के रूप में हुई है। पुलिस ने एनडीपीएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर युवक को हिरासत मे ले लिया है। यह कारवाई सदर पुलिस की विशेष अन्वेषक टीम ने की है।*

कसोल में खुलेआम नशा करते 14 लोग धरे

कुल्लू, 12 अगस्त (जनसत्ता)।

प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कसोल में खुलेआम नशा करते 14 पर्यटकों सहित लोकल लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें प्रोबेशन पर आए डीएसपी, शक्ति सिंह की अगुआई में यह छापेमारी की गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 14 व्यक्ति कसोल व इसके आस पास सार्वजनिक स्थानों में नशा करते हुए पाए गए और सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसमें पंजाब, दिल्ली, हरियाणा व स्थानीय लोग व पर्यटक सार्वजनिक जगह पर नशा हुडदंग मचा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने कुल 18 पर्यटकों व स्थानीय लोगों को चैक किया। इसमें अल्को सेंसर से सभी की जांच की गई इसमें 14 लोगों ने नशा पाया गया। जांच करने पर आठ पर्यटकों में भारी मात्रा में नशा किया हुआ था। इसमें विक्रांत निवासी हरियाणा, निशांत सिंह निवासी हरियाणा, आशीष सिंह निवासी दिल्ली, रविंदर सिंह हरियाणा, रिकी पवार दिल्ली, नवीन कुमार हरियाणा, मोहित दिल्ली, गौतम दिल्ली, भूपेंद्र गुप्ता दिल्ली, गौरव शर्मा निवासी पंजाब, रिची चोलिन पंजाब, मुनीश वर्मा पंजाब, रोहित बिष्ट निवासी कुल्लू, कुंदन कुल्लू को गिरफ्तार किया गया है।

नशे के खिलाफ उतरी घोरला की महिलाएं, शाणी गांव तक निकाली रैली

कुल्लू, 12 अगस्त (जनसत्ता)।

नशे के जहर ने समाज के बड़े तबके को जहां तबाही के रास्ते पर धकेल दिया है वहीं महिलाएं अब इस मानसिकता के खिलाफ उतर रही हैं। इसी कड़ी में आनी तहसील की पलेही पंचायत के घोरला गांव की महिलाओं ने नशे के खिलाफ हमला बोला। महिलाओं ने रैली के माध्यम से नशे की मुखालफत की।

इस रैली में महिला मंडल घोरला की सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। मंडल की सदस्याओं ने घोरला से शाणी गांव तक रैली निकालकर नशे के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। रैली के समापन से पहले महिला मंडल की अध्यक्षा स्नेहा मेहता सहित अन्य सदस्यों ने कहा कि समाज का एक बड़ा तबका, विशेष तौर पर युवा नशे की चपेट में आ रहा है, जोकि समाज के लिए खतरे के संकेत हैं। एक बार युवाओं के इस दलदल में फंसने के बाद इससे उबर पाना मुश्किल होता है जोकि परिवार और समाज पर नाकारात्मक प्रभाव डालता है। महिला मंडल ने लोगों से अपील की कि नशे से दूर रहें और इसी में ही समाज की भलाई है, साथ ही महिला मंडल ने आगामी समय में इसके खिलाफ और ज्यादा मुखर होने का संकल्प भी दोहराया। रैली में महिला मंडल घोरला की अध्यक्षा स्नेहा मेहता के अलावा उपाध्यक्षा सपना, सचिव नीना, सदस्या स्नेहलता, रीनू, ऊषा, रचना, किरन, राजकुमारी, नूरी देवी, साबू देवी, कांता देवी, सूमा देवी, रमीला, गुड्डी, पार्वती ने भाग लिया, इसके अलावा कुछ बच्चों ने भी रैली में भाग लिया।

पंजाब की महिला झुलसी, हालत नाजुक

कुल्लूः *पुलिस थाना मनाली के तहत एक महिला के आग से झुलसने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 अगस्त को समय करीब साढे 11 बजे पंजाब की रहने वाली महिला अपने पति के साथ घर में थी अचानक बेटी किचन में गई और नाश्ता बनाने के लिए रसोई में गैस ऑन की और इससे गैस ज्यादा निकलने की बजह से गैस ने एक दम आग पकड़ ली, जैसे लड़की की मॉ ने बेटी को बचाते हुए महिला स्वयं आग की चपेट में आ गई। पहले इसके कपडे में आग लगी इसके बाद महिला चिल्लाई और दौडती हुई अपने कमरे में आई तथा इसकी चिल्लाने की आबाज सुन कर इसके पति बाथरुम से बाहर आया और इसे जलता देखकर इस पर पानी फैंका तथा आग बुझने के बाद इसे चादर में लपेटा। आग इतनी भयानक लग चुकी थी कि महिला का शरीर काफी जल गया था। इसके बाद महिला को मिशन अस्पताल मनाली लाया गया। यहां पर चिकित्सक महिला का इलाज कर रहे हैं। अभी तक महिला की हालात नाजुक बनी हुई है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि महिला की पहचान सुखजीत कौर पत्नी लखा सिंह निवासी खेतला जिला संगरुर पंजाब उम्र 27 वर्ष हाल 38 बीअआटीएफ अलेऊ मनाली में जली हुई हालत में इलाज के लिए मिशन अस्पताल लाया गया। यहां पर महिला के परिजनों के ब्यान दर्ज किए गए हैं।*

एसजीआरसी की सिफारिशें नहीं मानी तो कॉलेज की मान्यता होगी खत्म

इंजीनियरिंग कॉलेजों के अनुदान पर भी लग सकती है रोक : एआइसीटीई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 अगस्त।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) ने नए नियम मसौदे में कहा गया है कि छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) की सिफारिशों का पालन नहीं करने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों और अन्य तकनीकी संस्थानों की मान्यता और संबद्धता वापस ली जा सकती है। इसके अलावा उनको मिलने वाले अनुदान पर रोक लगाई जा सकती है।

तकनीकी शिक्षा नियामक ने 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (छात्र शिकायत निवारण) नियम 2019' का मसौदा तैयार किया है जो एआइसीटीई से मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों की शिकायतों के प्रभावी समाधान पर केंद्रित है। मसौदे के संबंध में विभिन्न हितधारकों से 20 अगस्त से पहले फीडबैक और परामर्श मांगा गया है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई तकनीकी संस्थान प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी या छात्र शिकायत निवारण समिति की सिफारिशों की जानबूझकर अवज्ञा करता है या ऐसी सिफारिशों का पालन करने में बार-बार विफल रहता है तो परिषद कार्रवाई करेगी।

मसौदे में यह भी कहा गया है कि कार्रवाई के तहत संबंधित संस्थान की मान्यता वापस लेने, संस्थान की उपयुक्तता या अनुदान लेने संबंधी पात्रता घोषणापत्र वापस लेने या परिषद से मिलने वाली वित्तीय सहायता और संस्थान को मिलने वाले किसी अनुदान को रोकने संबंधी कदम उठाए जा सकते हैं।

नियमों के मुताबिक एआइसीटीई से मान्यताप्राप्त किसी भी संस्थान को अपने यहां छात्र शिकायत निवारण समिति बनानी होगी और किसी असंतुष्ट छात्र से संस्थान के संबंध में मिली शिकायत को समिति के पास भेजनी पड़ेगी जिसे सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर देनी होगी। संस्थानों से कहा गया है कि वे एसजीआरसी के संबंध में सभी उपयोगी सूचना अपनी वेबसाइट और विवरण पत्रिका में प्रमुखता से दें तथा अपील के उद्देश्य से प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी का विवरण भी दें।

डीटीसी ने दिल्ली-लाहौर बस सेवा रद्द की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 अगस्त।

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने दिल्ली-लाहौर बस सेवा सोमवार को रद्द कर दी। निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने के बाद इस बस सेवा को बंद करने का फैसला किया था। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ मंत्री ने शनिवार को इस मैत्री बस सेवा को सोमवार से निलंबित करने का एलान किया था। निगम के अधिकारी ने बताया कि डीटीसी की एक बस सोमवार को सुबह छह बजे लाहौर के लिए रवाना होने वाली थी लेकिन पाकिस्तान के बस सेवा निलंबित करने के निर्णय के कारण वह बस रवाना नहीं हुई।

डीटीसी के एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली-लाहौर बस सेवा निलंबित करने के पाकिस्तान के फैसले के आलोक में डीटीसी 12 अगस्त से (दिल्ली से लाहौर के लिए) बस भेजने में समर्थ नहीं है। पाकिस्तान के पर्यटन विभाग ने शनिवार को टेलीफोन करके डीटीसी को सोमवार से बस सेवा निलंबित करने की सूचना दी थी। लाहौर के लिए आखिरी बस शनिवार सुबह को दिल्ली से रवाना हुई थी जिसमें दो यात्री थे।

बलात्कार मामलों की सुनवाई के लिए

विशेष अदालतों पर काम दो अक्तूबर से शुरू होने की उम्मीद

नई दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा)।

बलात्कार के लंबित मामलों पर सुनवाई के लिए देश भर में 1,000 से ज्यादा त्वरित, विशेष अदालतों के गठन पर काम दो अक्तूबर से शुरू होने की संभावना है। विधि मंत्रालय ने यह बताया है। विधि मंत्रालय के न्याय विभाग ने 767.25 करोड़ रुपए की लागत से 1023 त्वरित अदालतों के गठन का प्रस्ताव दिया था। निर्भया कोष के तहत एक साल के लिए 474 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।

वर्ष 2012 के निर्भया कांड के बाद केंद्र ने महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित सरकारी पहलों और एनजीओ को सहयोग पहुंचाने के लिए 2013 में इस कोष की घोषणा की थी। आठ अगस्त को कैबिनेट सचिवालय को भेजे एक पत्र में न्याय विभाग ने कहा कि 11 जुलाई को व्यय वित्त समिति की सिफारिश और कानून मंत्री की सहमति मिलने के बाद इस मामले को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। विभाग ने लिखा, 'इसके साथ अन्य संबंधित कदम उठाया जा रहा है क्योंकि दो अक्तूबर 2019 से त्वरित अदालतों के शुरू कर दिए जाने की योजना है।'

पूर्व में महिला व बाल विकास मंत्रालय के बयान में कहा गया था कि पहले चरण में नौ राज्यों में इस तरह की 777 अदालतें गठित की जा सकती हैं और दूसरे चरण में 246 अदालतों का गठन होगा। संसद ने हाल में यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण (पॉक्सो) कानून में संशोधनों को मंजूरी दी थी।

हरियाणा विधानसभा चुनाव में कश्मीर को मुद्दा बनाएगी भाजपा

कश्मीर में सबसे ज्यादा हरियाणा के जवान हुए शहीद : बराला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 अगस्त।

हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को एक बड़े चुनावी मुद्दे के तौर पर पेश करने की तैयारी में है। पार्टी का मानना है कि केंद्र में उसकी अगुआई वाली हुकूमत ने एक ऐतिहासिक काम किया है और हरियाणा में इसका खास तौर पर ताल्लुक इसलिए है क्योंकि कश्मीर में सीमाओं की रक्षा करते या आतंकवादियों से लोहा लेते बलिदान हो जाने वाले जवानों में हरियाणा के रणबांकुरों की तादाद सबसे ज्यादा रही है। भाजपा नेताओं का मानना है कि कश्मीर में आतंकवाद के दर्द को हरियाणा के लोगों ने भी झेला है।

राजधानी स्थित हरियाणा भवन में सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत में सूबे के भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि कश्मीर में सबसे ज्यादा संख्या में शहादत देने वाले जवान हरियाणा के हैं। उन्होंने कहा कि आज समूचे हरियाणा में कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने से खुशी की लहर है। प्रदेश के हर कोने और हर तबके के लोग केंद्र सरकार के इस फैसले के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता की ओर से वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर में चौतरफा सुख शांति का माहौल है। उन्होंने दावा किया कि उनकी खुद भी कश्मीर घाटी के कुछ छात्रों से बातचीत हुई और वे केंद्र सरकार के इस फैसले से बेहद खुश हैं।

बराला ने कश्मीर से धारा 370 हटाने के मुद्दे पर कांग्रेस की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाने के बावजूद कांग्रेस बाज आने का नाम नहीं ले रही और वह लगातार सांप्रदायिकता की भाषा बोल रही है। पार्टी के नेता लगातार गलत बयान दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि पूर्व की सरकारों ने कभी भी कश्मीर से धारा 370 को हटाने का प्रयास नहीं किया और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने यह ऐतिहासिक काम किया है तो कांग्रेस के नेता इस फैसले पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। यह अलग बात है कि इसी पार्टी के हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले कुछ नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया है।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती सामुदायिक दिवस के रूप में मनाएगी रेलवे

नई दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा)।

रेलवे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती सामुदायिक दिवस के रूप में मनाएगी।

रेलवे बोर्ड की एक कार्य योजना के अनुसार इसमें अधिकारियों द्वारा श्रमदान और मोहन दास से महात्मा तक नामक एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन भी शामिल हैं। सभी रेलवे मंडलों को जारी निर्देशों के अनुसार बोर्ड ने कार्यक्रमों की सूची बनाई है, जिन्हें दो अक्तूबर तक चलाया जाना है।

अपने सभी मंडलों को भेजे पत्र में रेलवे बोर्ड ने कहा, 'रेलवे दो अक्तूबर, 2019 का दिन 'सामुदायिक दिवस' के रूप में मनाएगा जहां रेलवे कर्मी और हितधारक श्रमदान करेंगे...राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में मोहन दास से महात्मा तक की यात्रा पर एक सप्ताह के लिए विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी।' पत्र के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि पटरियों से सटी रेलवे की भूमि पर 150 छोटी पौधशालाएं स्थापित की जाएंगी।

चंद्रमा की कक्षा में 20 अगस्त को पहुंचेगा चंद्रयान-2 : इसरो

अमदाबाद, 12 अगस्त (भाषा)।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष के. सिवन ने सोमवार को कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान-2 के 20 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने की संभावना है और सात सितंबर को यह चंद्रमा की सतह पर उतरेगा।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि अंतरिक्ष यान दो दिनों बाद पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलना शुरू करेगा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक समझे जाने वाले डॉ. विक्रम साराभाई की जन्मशती समारोह में हिस्सा लेने सिवन शहर आए हुए थे। इसरो प्रमुख ने कहा कि 3850 किलोग्राम के चंद्रयान-2 में तीन हिस्से हैं जिसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर है। अभियान के तहत 22 जुलाई को प्रक्षेपण कार्यक्रम के बाद सात सितंबर को यह चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। उन्होंने कहा, '22 जुलाई को चंद्रयान-2 के प्रक्षेपण के बाद हमने पांच बार प्रक्रिया को अंजाम दिया। चंद्रयान-2 का समग्र हिस्सा फिलहाल धरती के इर्द-गिर्द घूम रहा है।' अगली सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया बुधवार सुबह में शुरू होगी। उन्होंने कहा, '14 अगस्त को तड़के साढ़े तीन बजे हम ट्रांस लूनर इंजेक्शन नामक प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस प्रक्रिया में चंद्रयान-2 पृथ्वी की कक्षा से बाहर होकर चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। इसके बाद 20 अगस्त को हम चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेंगे।' सिवन ने कहा कि फिलहाल अंतरिक्ष यान बहुत अच्छा कर रहा है और इसकी सभी प्रणाली सही से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसरो में वैज्ञानिक दिसंबर में काफी व्यस्त होंगे जब अंतरिक्ष एजंसी छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का अभियान शुरू करेगी।

> अंतरिक्ष यान दो दिनों बाद पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलना शुरू करेगा। -इसरो के अध्यक्ष के. सिवन

SAI MOH AUTO LINKS LIMITED
CIN : L34300DL1985PLC020510
Regd. Off.: C-582, SARASWATI VIHAR, PITAMPURA, DELHI-110034 Phone.: 011-27017987, Fax No.: 011-27017987 Website : www.saimohauto.com; Email:saimohauto@gmail.com
EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2019 (Rs. In Lacs) Except EPS

Sl. No.	Particulars	For the Quarter Ended 30.06.2019 (Unaudited)	For the Quarter Ended 30.06.2018 (Unaudited)	For year Ended 31.03.2019 (Audited)
1	Total income from operations (net)	729.69	516.00	2364.03
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary items)	5.08	0.44	4.25
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	5.08	0.44	4.25
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	4.14	(10.56)	5.57
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)	4.14	(10.56)	5.57
6	Equity Share Capital	330.25	330.25	330.25
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	(22.03)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and Discontinued operation)			
	Basic:	0.13	(0.32)	0.17
	Diluted:	0.13	(0.32)	0.17

NOTE: 1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2019 filed with the BSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Quarterly Financial Results is available on the BSE's website, i.e. www.bseindia.com and on the Company's website www.saimohauto.com
2. The above Unaudited Financial results are prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind As), prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder.

For and on behalf of Board Directors of
Sai Moh Auto Links Limited
Sd/-
Anand Kumar
Managing Director
DIN:01381489

Place: New Delhi
Date: 12th August, 2019

BRILLIANT PORTFOLIOS LIMITED
Regd. Office : B - 09, 412, ITL Twin Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110088
CIN NO: L74899DL1994PLC057507, Website: www.brilliantportfolios.com
Tel: 011-45058963, Email: brilliantportfolios@gmail.com
EXTRACT OF UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30/06/2019

Particulars	Quarter Ending 30.06.2019	Quarter Ending 30.06.2018
	(Unaudited)	(Unaudited)
Total Income from Operations	48.91	42.43
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	10.68	8.89
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	10.68	8.89
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.58	8.48
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	8.58	8.48
Equity Share Capital	310.18	310.18
Reserves (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year)	-	-
Earning per share (for continuing and discontinued operations) (Face value of Rs.10/- each)		
(a) Basic	0.28	0.27
(b) Diluted	0.28	0.27

The financial results of the Company for the Quarter ended June 30, 2019 have been reviewed & recommended by Audit Commitee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 12/08/2019.
Note 1: The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2019 filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2019 is available on the Stock Exchange Website www.bseindia.com and on the Company Website www.brilliantportfolios.com
Note 2: The figures of the previous period/year have been regrouped/rearranged wherever necessary to make them comparable with the current period's figures
Note 3: The Company has adopted Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under section 133 of the Companies Act 2013 ("the Act") read with Companies (India Accounting Standard) Rules 2015 (as amended), from 1st April, 2019 and the effective date of such transition is 1st April, 2018. Such transition has been carried out from the erstwhile Accounting Standards notified under the Act, read with relevant rules.
Note 4: As per exmeption given in para 2.6.1 (iii) of SEBI Circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated 5th July, 2016, the Ind AS compliant financial results for the preceeding quarter 31st March, 2019 and previous year ended on 31st March, 2019 have not been provided.

For and on behalf of
The Board of Directors of Brilliant Portfolios Limited
Sd/-
Ravi Jain
MANAGING DIRECTOR
(DIN - 02682612)

Place: New Delhi
Date: 12/08/2019

सूचना
(धारा 485 के अनुसरण में)
बिल एंड पेगी बिट मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 220, विनोबा पुरी, प्रथम तल, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली-110024
CIN: U74140DL1998PTC094521
के मामले में

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिल एंड पेगी बिट मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारकों की अति-विशिष्ट आम बैठक मंगलवार, 2 जुलाई, 2019 को प्रातः 11.00 बजे 220, विनोबा पुरी, प्रथम तल, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली-110024 में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित किये गये।

आकस्मिक रिक्ति पर नये परिसमापक की नियुक्ति:

"**संकल्प किया जाता है कि** कम्पनी (न्यायालय) नियम 1959 तथा लागू के आशय पठित कम्पनी अधिनियम 1956 या 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसरण में श्री साहिल गौड़ पुत्र श्री दिनेश कुमार, कम्पनी सचिव, गुरुग्राम (हरियाणा) को कम्पनी के मामलों के स्वैच्छिक परिसमापन के प्रयोजन हेतु श्री ए के पापनी (पुरानी परिसमापक) की मृत्यु के कारण एतदद्वारा कम्पनी के नये परिसमापक के रूप में नियुक्त करना"।

"**संकल्प किया जाता है कि** श्री साहिल गौड़ परिसमापक कम्पनी अधिनियम 1956 या 2013, जैसा लागू हो, के प्रावधानों के अनुसार सभी अधिकारों का उपयोग करने के लिए एतद्द्वारा अधिकृत है"।

"**संकल्प किया जाता है कि** परिसमापक की नियुक्ति के उपरांत कम्पनी के निदेशक मंडल एतद्द्वारा कम्पनी के परिसमापन से जुड़े मामले जैसे परिसमापन मामलों पर विवरण दाखिल करना, कंपनी पंजीयक के पास रिटर्न दाखिल करना, परिसमापक के कार्यालय में रिक्तियों को भरना और ऐसे मामले जो कम्पनी के परिसमापन के लिए प्रासंगिक है, पर विचार करने के लिए सभी अधिकारों का उपयोग करने हेतु अधिकृत हैं"।

बिल एंड पेगी बिट मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
साहिल गौड़
परिसमापक

GULMOHAR INVESTMENTS AND HOLDINGS LIMITED
Regd Off: 324A, IIIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
Website: www.gulmoharinvestments.com, Email id: gulmoharlimited@gmail.com, Tel.: 011-27860681
CIN: L65993DL1982PLC013956
Extracts of the Standalone Unaudited Financial Results For the Quarter ended 30th June, 2019 (₹ in lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ending 30.06.2019	Quarter Ending 31.03.2019	Quarter Ending 30.06.2018	Year Ended 31.03.2019 (Audited)
1.	Total income from operations	2.57	12.00	17.67	30.52
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1.30	(9.34)	(2.41)	(9.54)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.30	(9.34)	(2.41)	(9.54)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.96	(8.55)	(2.41)	(9.54)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	0.96	(8.55)	(2.41)	(9.54)
6.	Equity Share Capital	24.50	24.50	24.50	24.50
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	(8.66)	1.58	1.58	1.58
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)-				
	1. Basic :	0.39	(3.49)	(0.99)	(3.90)
	2. Diluted :	0.39	(3.49)	(0.99)	(3.90)

Note:
1. The Standalone Audited Financial Results for the quarter 30th June, 2019, 2019 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 12th August, 2019.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Quarterly Financial Results are available on the Website of the Company i.e. (www.gulmoharinvestments.com) and website of the stock Exchange(s) where the securities of the company are listed i.e. The Calcutta Stock Exchange Limited (www.cse-india.com) and Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in)

For and on behalf of the Board of Directors
Gulmohar Investments and Holdings Limited
Sd/-
Pawan Kumar Mittal
Director
DIN: 00749265

Place: New Delhi
Date: 12.08.2019

निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
NIMBUS
पंजीकृत कार्यालयः 1001-1006, 10वीं मंजिल, नारायण मंजिल, 23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : 011-42878900, ईमेल : nimbusindialtd@gmail.com, वेबसाईट : www.nimbusprojectsltd.com CIN : L74899DL1993PLC055470
30 जून 2019 को समाप्त तिमाही स्टैंडअलोन एवं कन्सोलिडेटेड अन-अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार (₹ लाख में)

विवरण	स्टैंडअलोन समाप्त तिमाही 30.06.2019 (अन-अंकेक्षित)	स्टैंडअलोन समाप्त तिमाही 31.03.2019 (अंकेक्षित)	स्टैंडअलोन समाप्त तिमाही 30.06.2018 (अन-अंकेक्षित)	स्टैंडअलोन समाप्त वर्ष 31.03.2019 (अंकेक्षित)	कन्सोलिडेटेड समाप्त तिमाही 30.06.2019 (अन-अंकेक्षित)	कन्सोलिडेटेड समाप्त तिमाही 31.03.2019 (अंकेक्षित)	कन्सोलिडेटेड समाप्त तिमाही 30.06.2018 (अन-अंकेक्षित)	कन्सोलिडेटेड समाप्त वर्ष 31.03.2019 (अंकेक्षित)
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	198.94	61.95	313.33	465.40	198.94	61.95	313.33	465.40
अवधि का शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर पूर्व तथा असाधारण मदों के उपरान्त)	(–)828.03	(–)908.40	(–)159.70	(–)1539.15	(–)872.77	(–)1526.00	(–)263.89	(–)2163.02
अवधि का कर के बाद शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण मदों के उपरान्त)	(–)829.24	(–)899.09	(–)185.99	(–)1552.56	(–)873.98	(–)1516.69	(–)290.18	(–)2176.43
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/ (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	(–)830.08	(–)895.87	(–)185.69	(–)1549.22	(–)874.17	(–)1514.10	(–)289.91	(–)2173.09
समता अंश पूंजी	743.80	743.80	743.80	743.80	743.80	743.80	743.80	743.80
कोष (पूर्नमूल्याकंन कोष हटाकर, पूर्व लेखा वर्ष के बैलेंसशीट के अनुसार)	–	–	–	(–)5177.04 (As on 31.03.2019)	–	–	–	(–)6307.10 (As on 31.03.2019)
आय प्रति अंश (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक) मूलभूत :	(–)11.15	(–)12.09	(–)2.50	(–)20.87	(–)11.75	(–)20.39	(–)3.90	(–)29.26
डाइल्यूटिड :	(–)11.15	(–)12.09	(–)2.50	(–)20.87	(–)11.75	(–)20.39	(–)3.90	(–)29.26

टिप्पणी:
उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता एवं प्रकटीकरण आवश्कताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल परिणामों के विस्तृत प्रारुप का उद्धरण है। समाप्त तिमाही के परिणामों का पूर्ण प्रारुप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट: www.bseindia.com तथा कंपनी के वेबसाइट : www.nimbusprojectsltd.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड की ओर से
निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर
बिपिन अग्रवाल
(प्रबन्ध निदेशक)
डीआईएनः 00001276

तिथि : 12 अगस्त, 2019
स्थान : नई दिल्ली

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

स्वच्छ भारत

पंजीकृत कार्यालयः
आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस
नई दिल्ली-110019
फोन : 011-41732000
फैक्स : 011-26230201
वेबसाइट : www.ifciltd.com
CIN : L74899DL1993GOI053677

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के गैर लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टेण्डअलोन और समेकित) का सार (करोड़ रुपए)

	विवरण	स्टेण्डअलोन परिणाम 30.06.2019 को समाप्त तिमाही (गैर लेखा-परीक्षित)	स्टेण्डअलोन परिणाम 31.03.2019 को समाप्त वर्ष (लेखा-परीक्षित)	स्टेण्डअलोन परिणाम 30.06.2018 को समाप्त तिमाही (गैर लेखा-परीक्षित)	समेकित परिणाम 30.06.2019 को समाप्त तिमाही (गैर लेखा-परीक्षित)	समेकित परिणाम 31.03.2019 को समाप्त वर्ष (लेखा-परीक्षित)	समेकित परिणाम 30.06.2018 को समाप्त तिमाही (गैर लेखा-परीक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	489.23	2,466.20	651.91	648.49	3,134.49	811.22
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/या असाधारण मदों से पूर्व)	403.04	(691.29)	(518.66)	405.00	(693.98)	(498.01)
3	कर-पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के पश्चात)	403.04	(691.29)	(518.66)	404.80	(695.64)	(498.01)
4	कर-पश्चात अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के पश्चात)	(10.37)	(443.83)	(340.77)	(6.72)	(475.99)	(350.29)
5	अवधि के लिए कुल समग्र आय {जिसमें अवधि के लिए (कर पश्चात) लाभ/(हानि)} तथा अन्य समग्र आय (कर पश्चात) शामिल है	31.20	(483.18)	(434.37)	(146.23)	(501.96)	(448.56)
6	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक का अंकित मूल्य 10/- रुपए)	1,695.99	1,695.99	1,695.99	1,695.99	1,695.99	1,695.99
7	अन्य इक्विटी (31 मार्च को लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार)	-	2,529.31	-	-	3,660.68	-
8	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक का अंकित मूल्य 10/- रुपए) (अंतरिम अवधियों के लिए गैर-वार्षिकीकृत)						
	(क) बेसिक (रुपए)	(0.06)	(2.62)	(2.01)	(0.06)	(2.88)	(2.08)
	(ख) डायल्यूटिड (रुपए)	(0.06)	(2.62)	(2.01)	(0.06)	(2.88)	(2.08)

टिप्पणियां:-
1. उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा दिनांक 12 अगस्त, 2019 को हुई लेखा परीक्षा समिति की बैठक द्वारा की गई थी और इन्हें निदेशक बोर्ड द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2019 को हुई बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया। ये परिणाम मै. केपीएमआर एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखापाल द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन है। तथापि चूंकि कम्पनी के समेकित वित्तीय परिणाम 1 अप्रैल, 2019 से आदेशात्मक अपेक्षा के अनुसरण में पहली बार प्रस्तुत किए जा रहे हैं अतः इन वित्तीय परिणामों में यथासूचित 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए तुलनात्मक अवधियों के समेकित आंकड़े समीक्षा के अधीन नहीं हैं।
2. दिनांक 05 जुलाई, 2016 के आशोधित परिपत्र सख्या सीआईआर/सीएफडी/एफएसी/62/2016 के अनुसार उपर्युक्त विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सूचीबद्धता और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं, विनियम 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रपत्र का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रपत्र स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.nseindia.com तथा www.bseindia.com) व कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
हस्ता/-
(डॉ. ई एस राव)
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 12 अगस्त, 2019

1948 से राष्ट्र के विकास में

उम्मीद और चुनौती

वित्त मंत्री ने रियल एस्टेट कारोबार को मंदी से उबारने की दिशा में जो पहल शुरू की है उससे यह उम्मीद बंधती है कि सरकार आने वाले दिनों में ऐसे बड़े कदम उठाएगी, जिनसे इस क्षेत्र में पिछले चार-पांच साल से चला आ रहा संकट खत्म हो और बिल्डरों के साथ-साथ ग्राहकों का भी भला हो। अभी रियल एस्टेट क्षेत्र एक तरह से दम तोड़े हुए है। जायदाद खरीदने-बेचने का कारोबार करने वाले सड़क पर हैं और सिर्फ बड़े कारोबारी थोड़ी-बहुत हिम्मत से डटे हैं। रियल एस्टेट में लंबे समय से खरीदार नहीं हैं। नोटबंदी के बाद यह संकट और गहराता चला गया। ये उसी का असर है कि आज लाखों फ्लैट बन कर तैयार हैं, लेकिन खरीदार नहीं हैं। जमीन-जायदाद का कारोबार दरअसल लंबे समय से नगदी संकट की मार झेल रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि बैंक और गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) पहले तो इस क्षेत्र के लिए पैसे दे रही थीं, लेकिन अब इन्होंने हाथ खींच लिए हैं। एनबीएफसी तो खुद नगदी संकट में फंसी हैं और ऐसी आशंका भी बनी हुई है कि कहीं इन्हें भी एनपीए की बीमारी न लग जाए।

रियल एस्टेट क्षेत्र में जान फूंकने के लिए सरकार को एक साथ कई मोर्चों पर जूझना होगा। इनमें सबसे जटिल काम इस क्षेत्र को पूंजी मुहैया कराने का है, ताकि बिल्डर अटकी हुई परियोजनाएं पूरी कर सकें। दूसरी बड़ी समस्या मकान खरीदारों को लेकर है। आम्रपाली, जेपी जैसे कुछ बड़े समूहों की परियोजनाओं में बयालीस हजार से ज्यादा लोगों के पैसे फंसे हुए हैं और सर्वोच्च अदालत ने अब इनका काम पूरा करने और लोगों को मकान दिलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाली है। इसलिए ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार अटकी परियोजनाओं को पूरा करने और खरीदारों को संकट से निकालने के लिए अलग से कोष बना सकती है। हाल में रिजर्व बैंक ने भी अपनी मौद्रिक नीति में चौथी बार नीतिगत दरों में कटौती है और साथ ही बैंकों पर कर्ज सस्ता करने के लिए दबाव बनाया है। आने वाले दो-तीन महीने त्योहारों के हैं और इनमें जमीन-जायदाद की खरीदारी खासतौर से होती है। अगर बैंक कर्ज सस्ता करते हैं तो इससे भी रियल एस्टेट क्षेत्र को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी।

इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वक्त फिर से मंदी जैसे हालात का सामना कर रही है। ऐसे में रियल एस्टेट उद्योग को फिर से खड़ा कर पाना कोई आसान काम नहीं हैं। उसे हर स्तर पर भारी रियायतों की जरूरत है। इसीलिए बिल्डरों और क्रेडाई (कनफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) और नारेडको (नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल) ने सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया है कि सरकार बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर इस क्षेत्र में पैसा डालने के लिए दबाव बनाए। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर बैंक पहले ही एनपीए की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में वे कोई जोखिम नहीं ले सकते। सीमेंट और इस्पात जैसे क्षेत्र रियल एस्टेट कारोबार पर टिके होते हैं। इसमें मंदी का मतलब है सीमेंट और इस्पात जैसे उद्योगों पर खतरा मंडराना। इसलिए सरकार को अब ऐसी रणनीति बनानी होगी, जिसमें बैंकों के जोखिम का खयाल रखते हुए रियल एस्टेट उद्योग में पैसा डलवाया जाए, ताकि इससे जुड़े दूसरे प्रमुख क्षेत्रों में भी मंदी के हालात दूर हों। मंदी की वजह से बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार जा रहा है, यह भी कम गंभीर चिंता का विषय नहीं है। ऐसे में सरकार के प्रयास कहां तक सफल हो पाते हैं, यह आने वक्त ही बताएगा!

महंगी शिक्षा

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से दसवीं और बारहवीं कक्षा के परीक्षा शुल्क में भारी बढ़ोतरी की घोषणा के बाद स्वाभाविक ही यह सवाल उठा है कि खासतौर पर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कमजोर तबके के विद्यार्थियों के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। सीबीएसई की ताजा घोषणा ने इसलिए भी लोगों को सोचने पर मजबूर किया है कि इसमें सामान्य तबके से आने वाले विद्यार्थियों के लिए निर्धारित फीस में जहां दुगनी राशि की बढ़ोतरी की गई है, वहीं अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के बच्चों को अब पुराने शुल्क के मुकाबले चौबीस गुनी ज्यादा रकम देनी होगी। यानी सामान्य वर्ग के बच्चों को पहले के साढ़े सात सौ के बजाय अब जहां पंद्रह सौ रुपए चुकाने होंगे, वहीं अनुसूचित जाति-जनजाति के बच्चों को पचास रुपए की जगह बारह सौ रुपए देने होंगे। यों सवाल उठने पर सीबीएसई ने यह सफाई पेश की है कि फीस में वृद्धि पांच साल बाद की गई है। लेकिन सवाल यह भी है कि पांच साल तक कोई वृद्धि नहीं करने के बाद अचानक इतनी बड़ी बढ़ोतरी की जरूरत क्यों पड़ गई! क्या ताजा वृद्धि के सहारे पिछले पांच सालों के घाटे को पूरा करने की कोशिश की जा रही है?

यह समझना मुश्किल है कि फीस में अचानक इतनी ज्यादा वृद्धि का क्या औचित्य है और क्या यह फैसला लेते हुए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा गया! गौरतलब है कि सीबीएसई के पाठ्यक्रमों के तहत एक ओर निजी स्कूल हैं तो दूसरी ओर सरकारी स्कूलों की संख्या भी बड़ी है। इस संदर्भ में देखें तो हो सकता है कि शुल्क में ताजा बढ़ोतरी से निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़े, लेकिन सरकारी स्कूलों में जिस आर्थिक और सामाजिक तबके के बच्चे आते हैं, उनके बारे में यही बात शायद दावे के साथ नहीं कही जा सकती। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ऐसे तमाम बच्चे होते हैं जिनके परिवारों की आर्थिक हैसियत संतोषजनक भी नहीं होती है। खासतौर पर अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के बच्चों के माता-पिता कई बार न्यूनतम खर्च से अपना काम चलाते हैं और सरकारी स्कूल में कम खर्च के भरोसे ही अपने बच्चों को पढ़ने भेज पाते हैं। ऐसे में उनकी फीस में सीधे चौबीस गुनी बढ़ोतरी का असर इन तबकों के बच्चों के भविष्य की पढ़ाई पर पड़ सकता है।

सवाल है कि अगर इस वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई बाधित होती है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी और क्या यह शिक्षा का अधिकार कानून के खिलाफ नहीं होगा? यह बेवजह नहीं है कि सीबीएसई की फीस बढ़ोतरी की ताजा पहलकदमी पर अभिभावकों ने भारी असंतोष जताया है। अखिल भारतीय अभिभावक संघ ने इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए अदालत में चुनौती देने की बात कही है। दरअसल, अच्छी शिक्षा के नाम पर निजी स्कूलों में जो फीस वसूली जाती है और उसे चुकाने में जो लोग सक्षम नहीं होते हैं, आमतौर पर वही अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। लेकिन अगर यहां भी सरकारी जिम्मेदारियों में जनता के कल्याण की अवधारणा को अहम मानने के बजाय फीस की रकम को प्राथमिक माना जाएगा तो गरीब तबकों के बीच शिक्षा के प्रसार पर इसका क्या असर पड़ेगा? साक्षरता दर के मामले में अभी हमारे देश को बहुत कुछ करना बाकी है। इस मकसद से सरकार अनेक तरह की योजनाओं पर काम कर रही है। इसके मद्देनजर यह ध्यान रखने की जरूरत होगी कि किसी स्थिति में स्कूली बच्चों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ की वजह से शिक्षा का अधिकार कानून बाधित न हो।

कल्पमेधा

विश्वास का मतलब है असंभव पर भरोसा करना और भरोसा करने के बाद यह समझना कि असंभव भी संभव है।
-पाओलो कोएल्हो

सिमटती पुस्तकालय संस्कृति

चंद्रशेखर तिवारी

> कई पुस्तकालय ऐसे भी हैं जहां पाठकों की संख्या तो पर्याप्त दिखाई देती है पर वे वित्तीय व अन्य संसाधनों की समस्या का सामना कर रहे हैं। इनमें प्रशिक्षित और व्यावसायिक पुस्तकालय कर्मियों का अभाव दिखाई देता है और पुस्तकें अलमारियों अथवा बंद बोरों में सिमटी पड़ी हैं। निस्संदेह इस तरह की परिस्थितियों ने पुस्तकालय और आम पाठक वर्ग के बीच की दूरी को बढ़ाने का ही काम किया है।

सार्वजनिक पुस्तकालय ऐसी सामाजिक संस्था है जिसके माध्यम से व्यक्ति का सतत बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास होता है। पुस्तकालयों में उपलब्ध साहित्य, दर्शन, इतिहास, धर्म, विज्ञान, राजनीति के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और कला, संस्कृति जैसे विविध विषयों की पुस्तकों से मानव अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करने का प्रयास करता है। स्थानीय समुदाय के सदस्यों को पुस्तकालय पीढ़ी-दर पीढ़ी शिक्षा, मनोरंजन व विकास के लिए सूचना और सेवा देने का काम करते आ रहे हैं। कुल मिला कर कहा जा सकता है कि एक सामाजिक मिशन के तहत सार्वजनिक पुस्तकालय ज्ञान संसाधन केंद्र के रूप में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

पुस्तकालय के पुराने इतिहास पर अगर नजर डालें तो माना जा सकता है कि भारतीय पुस्तकालयों का प्रारंभिक स्वरूप पुरातन काल में भी रहा था। वस्तुतः प्रागैतिहासिक काल की शिलाओं, गुफाओं और अन्य माध्यमों में उत्कीर्ण चित्र-लिपि व लेखों में हम एक तरह से पुस्तकालय की आरंभिक छवि पा सकते हैं। तत्कालीन मानव समुदाय के मध्य विचारों को पहुंचाने में इन शिलालेखों की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। वैदिक काल में समय-समय पर धर्म व दर्शन संबंधी साहित्य ताड़ और भोज पत्र, वस्त्र विशेष और हस्त निर्मित कागज पर लिखने की परंपरा विकसित होती रही। इस काल में वेद, इतिहास, पुराण और व्याकरण संबंधी कई ग्रंथों की रचना तत्कालीन ऋषि-मुनियों ने की। हाथ से लिखे गए इन ग्रंथों की पांडुलिपियां स्थान-विशेष यथा मठ-मंदिरों और गुरुकुलों में सुरक्षित रखी जाती थीं। बौद्ध काल में तक्षशिला व नालंदा जैसे महत्त्वपूर्ण शैक्षिक केंद्रों में भी आयुर्वेद, ज्योतिष कला, राज-व्यवस्था, विज्ञान आदि के ग्रंथ संग्रहित रहते थे। मुगलकाल में कई बादशाह अपने दरबार में विद्वानों द्वारा रचित संस्कृत और फारसी के विविध ग्रंथों का संकलन किया करते थे। सम्राट अकबर के पुस्तकालय में भी विविध विषयों के तकरीबन पच्चीस हजार ग्रंथ थे।

हालांकि आधुनिक भारत में पुस्तकालय का विकास उस गति से नहीं हुआ जितनी कि अपेक्षा की जा रही थी। देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इस वजह से शैक्षिक पुस्तकालयों की ओर अधिक ध्यान नहीं गया और पुस्तकालयों को राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप नहीं मिल पाया। सन 1882 में मुंबई राज्य, 1890 में कर्नाटक और 1910 के आसपास बड़ौदा राज्य में पुस्तकालयों की तरफ ध्यान देने का प्रयास किया गया। इसी तरह पुस्तकालयों के विकास के संदर्भ में 1924 में बेलगांव, 1927 में मद्रास राज्य व 1929 में कर्नाटक के धारवाड़ में पुस्तकालय संघों की बैठकें भी हुईं। सन 1933 में भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहे जाने वाले डॉ एसआर रंगनाथन के प्रयासों से मद्रास विधानसभा में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया। इसी दौर में पुस्तकालय विज्ञान के बीस ग्रंथ भी प्रकाशित किए गए।

एक समृद्ध और बहुआयामी सामाजिक संस्था के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका देश और समाज के विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। किसी भी समाज में ज्ञान को सवर्सुलभ बनाने में पुस्तकालय से बेहतर दूसरा विकल्प संभवतः नहीं हो सकता है। वर्ष 2005 में गठित भारतीय ज्ञान आयोग ने इसी बात को ध्यान में रख कर भारत में एक स्वायत्त राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग की स्थापना करने की शानदार पहल की है। वर्तमान में इस आयोग की देखरेख में देशभर में मौजूद पुस्तकालयों के विकास, संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है।

भारत में आज जिस गति से पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय में वृद्धि हो रही है और दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, पटना सहित अनेक शहरों में आयोजित छोटे-बड़े साहित्यिक उत्सवों और पुस्तक मेलों में कला व साहित्य प्रेमियों की जबरदस्त भागीदारी दिखाई दे रही है उसके सापेक्ष यदि हम सार्वजनिक पुस्तकालयों की ओर नजर दौड़ाएं तो स्थिति कदाचित इसके उलट है। ज्यादातर पुस्तकालय दयनीय हाल में हैं। इन पुस्तकालयों में पाठकों की वह आमद नहीं दिखाई देती जो दरअसल एक पुस्तकालय के लिए पर्याप्त मानी जाती है। इस तरह के सार्वजनिक पुस्तकालयों में इमारतों की खस्ताहाल स्थिति, अल्मारियों में धूल फांकती पुस्तकें, टूटे-फूटे फर्नीचर, अप्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारी, अन्य मूलभूत सुविधाएं न होने और वाचनालय के वीरान माहौल को देख कर पाठकों में निराशा होना स्वाभाविक है।

देश में प्रत्येक राज्य ने अपने यहां सार्वजनिक पुस्तकालयों के रखरखाव और उनके संचालन के लिए किसी न किसी तरह की व्यवस्था का प्रावधान तो कर रखा है लेकिन बावजूद इसके सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति निराशाजनक ही है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, केरल, मिजोरम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, लक्षद्वीप और ओड़िशा की राज्य सरकारों ने अपने यहां सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भी पारित किया हुआ है। फिर भी ये पुस्तकालय पाठकों के बीच पैठ नहीं बना पा रहे हैं। कई पुस्तकालय ऐसे भी हैं जहां पाठकों की संख्या तो पर्याप्त दिखाई देती है पर वे वित्तीय व अन्य संसाधनों की समस्या का सामना कर रहे हैं। इनमें प्रशिक्षित और व्यावसायिक पुस्तकालय कर्मियों का अभाव दिखाई देता है और पुस्तकें अलमारियों अथवा बंद बोरों में सिमटी पड़ी हैं। निस्संदेह इस तरह की परिस्थितियों ने पुस्तकालय और आम पाठक वर्ग के बीच की दूरी को बढ़ाने का ही काम किया है।

सार्वजनिक पुस्तकालयों का एक दूसरा स्वरूप यह भी है कि वे ज्ञान, शिक्षा और सूचना के भंडार होने के साथ ही स्थानीय समाज, इतिहास और संस्कृति के प्रबल संवाहक भी होते हैं। इस दृष्टि से इन्हें निकटवर्ती गांव क्षेत्र से लेकर जनपद और राज्य स्तर तक सांस्कृतिक व बौद्धिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाने की पहल की जानी चाहिए। इसके तहत सार्वजनिक पुस्तकालयों को आमजन से जोड़ते हुए संस्कृति, कला, साहित्य, समाज, इतिहास, पर्यावरण और समसामयिक विषयों से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन कारगर साबित हो सकते हैं। समय-समय पर व्याख्यान, वार्ताएं, साहित्यिक गोष्ठियां, प्रदर्शनी और फिल्म प्रदर्शन जैसे आयोजन किए जा सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए भी इस तरह के आयोजनों को उपयोगी बनाया जा सकता है। स्थानीय समाज व संस्कृति पर केंद्रित शोधपरक आलेखों को पुस्तिकाओं अथवा मोनोग्राफ के रूप में प्रकाशित कर पाठकों के सामने लाने की पहल भी सार्वजनिक पुस्तकालयों के माध्यम से की जा सकती है।

वर्तमान दौर संचार और सूचना तकनीक का है। ऐसे में सार्वजनिक पुस्तकालयों को कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा, लाइब्रेरी नेटवर्किंग, डिजिटल लाइब्रेरी सर्विस, ऑनलाइन सेवा जैसी अन्य महत्त्वपूर्ण सुविधाओं से जोड़ने की भी जरूतत है। हालांकि भारी-भरकम आर्थिक बजट के चलते ई-लाईब्रेरी और डिजिटलीकरण की योजना महंगी तो है पर फिर भी राज्य स्तरीय सार्वजनिक पुस्तकालयों को इस तरह की आधुनिक सुविधा से जोड़ने के प्रयास जरूरी हैं।

समाज में सार्वजनिक पुस्तकालयों को प्रभावी बनाने के लिए अंतःपुस्तकालय आदान-प्रदान सेवाएं, संदर्भ सेवाएं व परामर्शी सेवाएं जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। पुस्तकालय को समृद्ध करने के लिए बाल-खंड की स्थापना और वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक तौर पर अक्षम पाठकों के लिए सचल पुस्तकालय जैसी व्यवस्थाओं पर भी सोचा जाना जरूरी है। इस दिशा में पेशेवर पुस्तकालयकर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता, पाठकों के प्रति सहज व तत्पर सेवाएं भी पुस्तकालयों को संपन्न बनाने में मददगार साबित होंगी। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय से उम्मीद की जानी चाहिए कि निश्चित रूप से वह सार्वजनिक पुस्तकालयों की बदहाल व्यवस्था को दुरुस्त करने और उन्हें समाजोन्मुख बनाने की दिशा में और आगे आएगा। पुस्तकालयों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए गैरसरकारी और कॉरपरेट जगत की संस्थाओं से भी सहयोग लिया जा सकता है। इसके लिए समाज के हर प्रबुद्ध व्यक्ति से उम्मीद की जानी चाहिए कि वह पुस्तकालयों को संवाराने में अपना योगदान सुनिश्चित करे ताकि देश के वीरान पड़े सार्वजनिक पुस्तकालय पाठकों से गुलजार बने रहें।

झगड़े की खुशबू

रमाशंकर श्रीवास्तव

दुनिया मेरे आगे

वे चुप थे। मैंने पूछा कि क्या बात है... आज आप इतने उदास क्यों हैं! आप तो हमेशा खुशदिल रहते हैं तो उन्होंने कहा कि इस जिंदगी से ऊब गया हूं। जहां देखिए वहीं कोई न कोई झगड़ा-फसाद। न दफ्तर में राहत और न बाहर मुक्ति। घर आया तो मेरी पत्नी मायके जाने की तैयारी में थीं। पता चला कि उनके पिता जमीन-जायदाद के झगड़े में फंस गए हैं और उनकी तबीयत खराब है। उनके यह दुख जाहिर करने के बाद मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर उनकी मनःस्थिति नहीं बदली। मैंने अपने बारे में सोचा और याद किया कि कल शाम अगर मैं संयम नहीं बरतता तो मेरा झगड़ा बढ़ जाता। उनका कुत्ता सुबह-सुबह मेरे ही दरवाजे के सामने आकर अपने नित्यकर्म से मुक्ति पाता है। मैंने विरोध किया तो वे बोले कि वह पशु है, उसके मन का हाल मैं क्या बताऊं! यह सब चल रहा था कि आसपास के दो-चार लोग हमारी बातचीत सुनने आ गए। उन्हें शायद यह उम्मीद थी कि बात आगे बढ़ेगी। मगर मैंने प्रयास किया तो बात वहीं दब गई। सुनने की उम्मीद में आए लोग निराश होकर लौट गए।

जीवन में किन बातों पर लड़ाई-झगड़े खड़े हो जाएं, पता नहीं चलता। हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि झगड़े मत किया करो, मगर जब स्वार्थ पर चोट पहुंचती है तो लड़ ही पड़ते हैं। ज्यादातर झगड़े का कारण स्वार्थ पर चोट ही है। इसमें अहं की भावना प्रबल होती है। कोई क्यों हमारी भावना को ठेस पहुंचाता है, बात बढ़ती है और झगड़ा हो जाता है? लड़ाई-झगड़ा दो पक्षों के बीच होता है और दर्शक पचासों आ खड़े होते हैं। दर्शकों में शायद ही ऐसे दो-चार मिलें जो चाहते हों कि झगड़ा किसी तरह खत्म हो और शांति कायम हो जाए।

वाद-विवाद होने पर सबसे पहले अशांति पैदा होती है। शांति की कामना करने वाले थोड़े होते हैं और वहां खड़ा होने वाले तमाशे का मजा लेने वाले अधिक होते हैं। हम कल्पना करने लगते हैं कि अमुक तो अमुक को परास्त कर देगा। उसकी क्या औकात, वह तो पहलवान है। गर्दन पर बस एक मुक्का मारा कि दूसरे सज्जन चित्त। इसी उठा-पटक में दुनिया के धंधे चल रहे हैं। भूखे शिशु के रुदन से लेकर छोटे-बड़े देशों की भूमि सीमा पर झगड़े-विवाद हमेशा रहते हैं। सीमाओं के विवाद सौ-सौ साल भी पुराने हो जाते हैं। पूरे राष्ट्र की बौद्धिक, राजनीतिक और आर्थिक ऊर्जा-संपदा खर्च होती चलती है और झगड़े खत्म नहीं होते।

आप टीवी के सामने समाचार जानने के लिए बैठे हैं, लेकिन देखते हैं कि उनमें क्षेत्र और दल विशेष के प्रतिनिधि योद्धा की तरह मुस्तैद हैं। तर्कों से लड़ाई-झगड़े इस कदर बढ़ते जाते हैं कि मुख्य मुद्दा पीछे छूट जाता है और आपके कान झनझनाने लगते हैं। दलीलों की उठा-पटक में जो सफल होता है उसकी कद्र अपनी पार्टी में बढ़ जाती है।

ये झगड़े फूलों की खुशबू की तरह हमारे जीवन में गमकते रहते हैं। जहाज, ट्रेन, बस, बाजार, दफ्तर, स्कूल जहां जाइए आपको इसकी खुशबू लुभाएगी। यह खुशबू जिज्ञासा पैदा करती है कि झगड़े की जड़ में क्या है। क्या जायज है और क्या नाजायज। इन्हीं के बीच कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। झगड़े नहीं होते तो ये कोर्ट-कचहरी कैसे फूलते-फलते! जमीन-जायदाद, रुपए-पैसे, मकान, अपराध तरह-तरह के दावे सभी इन लड़ाई-झगड़ों के मूल में हैं। और कभी-कभी मुहल्ले की गलियों में नाली के लिए ताने-बाने। दुश्मनी सिर उठा लेती है। ऐसे मोर्चे सफलतापूर्वक संभालने वाले सैकड़ों मिल जाएंगे। कुछ का पेशा है, झगड़ा पैदा करना और उसके फैसले में टांग अड़ाना। दूसरों की बेचैनी से वे अपनी वंशी चैन से बजाते हैं। हर गली-मुहल्ले में कुछ औरतें और मर्द ऐसी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध होते हैं। उनकी दुर्भावनाओं, ईर्ष्या द्वेष-छल कपट का असर दूसरों पर पड़ता है। कुछ पेचीदा झगड़ों को सुलझाने के लिए दूर-दूर से सुलझे हुए लोग बुलाए जाते हैं। साधु-संत, महंथ, प्रवचनकर्ता सुबह-शाम इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि मनुष्य का जीवन शांति से बीते। दूसरी ओर, शांति पर प्रवचन के दौरान ही कुछ लोग उसी जनता-जनार्दन में बैठे अशांति की योजनाएं बनाते रहते हैं।

जंगल, जल, खेल-मैदान और मनुष्य समाज में झगड़े की खुशबू फैली होती है। वास्तव में लड़ाई-झगड़ों से मुक्त समाज के निर्माण के लिए युगों से चिंतक-दार्शनिक प्रयास में लगे हैं। बड़े ग्रंथों के विचार उद्धृत किए जाते हैं। तब भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती। हमें पुष्प गंध चाहिए जो जीवन-धारा बदल दे। जीने का सुख और आनंद प्रदान करे। जीवन बोझिल न बने और उस सुगंध के लिए लोग लालायित रहें। झगड़े हमारा कल्याण नहीं कर सकते। उस आदर्श स्थिति में जीने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें, तो लक्ष्य पाना कठिन नहीं है। हमें वह खुशबू चाहिए जो हमारी अपनी वास्तविकता की पहचान करा सके।

मिलावट पर नकेल

मध्यप्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए नकली घी बनाने के आरोप में उज्जैन के एक फैक्ट्री संचालक को रासुका में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपी पेशे से डॉक्टर है और उज्जैन में क्लीनिक चलाता है। पिछले दिनों छापा मार कर उसकी फैक्ट्री से 800 किलो नकली घी और घी बनाने का सामान बरामद किया था। घी बनाने के लिए सोया तेल, वनस्पति घी और एसेंस (सुगंध) का इस्तेमाल किया जा रहा था। यह घी आसपास के ग्रामीण इलाकों और खासतौर से शादी-ब्याह में सप्लाई किया जाता था। मिलावट के इस खेल में खाद्य विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से इंकार नहीं किया जा सकता। यह पहला मौका है जब नकली दूध और उससे बने अन्य उत्पाद बनाने वालों के विरुद्ध सिलसिलेवार, प्रदेशव्यापी, सख्त और एकजुट कार्रवाई की जा रही है। मिलावट मुक्त मध्यप्रदेश के संकल्प के साथ उन्नीस जुलाई से शुरू किए गए इस अभियान के तहत प्रदेश में नकली खाद्य सामग्री बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का साफ कहना है कि अभी दूध से बने पदार्थों में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसके बाद सब्जियों को रासायनिक पदार्थों से पकाए जाने के गोरखधंधे का पर्दाफाश होगा। एक अनुमान के अनुसार बाजार में मिलने वाला 30 से 40 प्रतिशत सामान मिलावटी होता है। यह मिलावट इतनी चतुराई से की जाती है कि कोई इनके नकलीपन को आसानी से पकड़ नहीं पाता। मिलावटी मिठाई, आटा, दाल, पाम ऑइल की त्योहारी सीजन में ही नहीं सामान्य दिनों में भी बिक्री आम बात है।

अपने देश में मिलावटखोरी के खिलाफ आवाज उठाते हुए इसके आरोपी को मृत्युदंड देने की बात कही जाती रही है। लेकिन व्यवहार की वास्तविकता यह है कि मिलावटखोरी की जांच नमूना भर कर मामला दर्ज होने के बाद फाइलों में दब कर रह जाती है। आवश्यकता मिलावटखोरी पर पूरी तरह नकेल कसने की है। सख्त कानून बना कर जांच करने वाले अधिकारी व विभाग की भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। त्वरित न्यायालय में मुकदमे चला कर तय समय सीमा में दोषी को कठोर दंड दिया जाए। आम आदमी को मिलावटी सामान बेचना भी किसी हत्या से कम नहीं है। इसलिए उसकी सजा कठोर से कठोर होनी चाहिए। इसके लिए कानून की सख्ती के साथ ही सरकार की तीव्र राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है। मिलावटखोरी राष्ट्रव्यापी समस्या है लेकिन इसे लेकर पूरे देश में एक जैसा कानून आज भी नहीं है। अभी हालत यह है कि ओड़िशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में दूध में मिलावट के अपराध पर उम्र कैद की सजा दिए जाने का प्रावधान है। जबकि अन्य राज्यों में ऐसा कानून नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है।

सख्त कानून बनाए जाने का जहां तक सवाल है, इन दिनों यह रिवाज-सा चल पड़ा है कि अगर कोई अपराध बढ़ रहा है तो उसकी सजा बढ़ाने की मांग उठने लगती है। जबकि नए कानून बनाने या सजा बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है पहले से मौजूद कानूनों का सही करह से क्रियान्वयन। मिलावटखोरी के लिए कानून में सजा बढ़ाने से कानून के दुरुपयोग की आशंका बढ़ने का खतरा है। ऐसे में कोई भी कदम पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद ही उठाया जाना चाहिए। इसे विडंबना ही कहा जाना चाहिए कि कानून बनाते समय या किसी घटना के घटित होने पर तो बहुत जोश दिखाया जाता है पर जब वास्तव में दोषी को सजा देने का मौका आता है तब सबके हाथ-पैर फूलने लगते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि मिलावट मुक्त मध्यप्रदेश के संकल्प के साथ मिलावटखोरी के खिलाफ शुरू किए गई मध्यप्रदेश सरकार की कार्रवाई इसका अपवाद साबित होगी।

● *देवेंद्र जोशी, महेशनगर, उज्जैन*

ऐसी बेचारगी

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद जिस तरह से पार्टी ने सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष चुना क्या उससे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि वह आगे बढ़ने के लिए दो कदम पीछे चली गई है! 134 साल पुरानी पार्टी में ऐसा बेचारगी का आलम कभी नहीं था। जब यह अपने घर के अंदर बिखरा पड़ा सामान ही सहेज नहीं पाई है तो ऐसे में तूफान का रूप धारण कर चुके भाजपा के राष्ट्रवाद से कैसे मुकाबला करेगी?

हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। सोनिया गांधी अभी दो साल पहले ही अध्यक्ष पद से हटी थीं। कहने को उन्हें अंतरिम अध्यक्ष कहा जा रहा है मगर यह पद स्थायी भी हो सकता है। विडंबना है कि 1984 में जिस दल ने 414 लोकसभा सीटें जीती थीं आज वह इतना बिखर गया है कि उसके सदस्य सदन में और उसके बाहर पार्टी पर लगने वाले आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लगता है, अब युवा पीढ़ी यह मान चुकी है कि देश में जो भी गलत हुआ वह कांग्रेस के कारण हुआ और जो भी अच्छा हो रहा है वह 2014 के बाद हो रहा है। इससे देश अब न सिर्फ कांग्रेस मुक्त बल्कि विपक्ष मुक्त होने की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है।

● *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

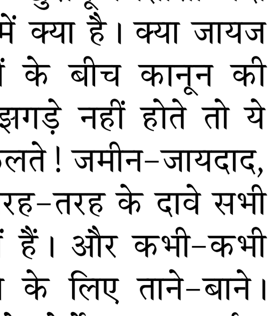

उपेक्षा का खेल

भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है लेकिन लोगों को शायद ही पता होगा कि अपनी हॉकी टीम का कप्तान कौन है! हॉकी का विश्व कप भारत जीता या हारा इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार भारत क्रिकेट विश्व कप हारा तो हर तरफ निराशा का माहौल था। हॉकी की तरह ही अन्य खेलों की भी उपेक्षा हो रही है। जहां एक तरफ क्रिकेटर करोड़ों कमा रहे हैं तो दूसरी तरफ अन्य खेलों के खिलाड़ी अपना घर भी मुश्किल से चला रहे हैं। वे सब देश के लिए स्वर्ण पदक लाकर भी पीतल के भाव हो जाते हैं। क्रिकेट कप हाथ से गया, इसका तो सबको बहुत सदमा लगा पर हिमा दास ने भारत को पांच स्वर्ण पदक दिलाए उस पर खुशी की कोई लहर नहीं!

आखिर भारत सरकार अन्य खेलों को प्रोत्साहित क्यों नहीं कर रही है? क्यों इनके खिलाड़ियों की हालत इतनी खराब है कि वे अपना गुजारा भी बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। देश के लिए जीत कर भी वे खुद क्यों हार रहे हैं? सरकार को अन्य खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े स्तर पर खेल स्पर्धाएं आयोजित करनी चाहिए। मीडिया को अन्य खेलों के बारे में भी लोगों को अवगत कराना चाहिए। अन्य खेलों के खिलाड़ियों को अच्छी नौकरियों के साथ-साथ आर्थिक प्रोत्साहन की व्यवस्था करनी होगी। मीडिया का इसमें बड़ा योगदान हो सकता है। वह मैच जीतने पर केवल क्रिकेट खिलाड़ियों के इंटरव्यू न ले बल्कि हिमा दास जैसे देश को गौरवान्वित करने वालों को भी आगे लाए।

● *राघव जैन, जालंधर*

epaper.jansatta.com

जरा हट के

हांगकांग के हजारों लोकतंत्र समर्थक सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मुख्य टर्मिनल में घुस आए जो दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है।

बोल

चीन को अमेरिका द्वारा एशिया में मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें तैनात करने की योजना पर हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस बारे में कुछ समय से बात कर रहे थे।
-मार्क एस्पर, अमेरिका के रक्षा मंत्री

विवाद

ऐसे में एक बार फिर पुलवामा जैसे हमले हो सकते हैं। मैं आशंका जता चुका हूं, यह होगा। वे हम पर फिर हमला कर सकते हैं और हम जवाब देंगे।
-इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री

सम-सामयिक

सोलो : अब दुनिया की निगाहों में लद्दाख का खास पौधा

जनसत्ता संवाद

लद्दाख का एक खास पौधा अच्छी-खासी चर्चा में है। अनुच्छेद 370 के प्रावधान खत्म किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीविजन पर देश को संबोधित करने के दौरान इस पौधे का जिक्र करते हुए इसे संजीवनी बूटी बताया। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में, 'लद्दाख में सोलो नाम का एक पौधा पाया जाता है। जानकारों का कहना है कि यह पौधा हाई ऐल्टिट्यूड पर रहने वालों के लिए, बर्फीली जगहों पर तैनात सुरक्षाबलों के लिए संजीवनी का काम करता है। कम ऑक्सीजन वाली जगह में इम्यून सिस्टम को संभाले रखने में इसकी भूमिका है। सोचिए, ऐसी चीज दुनिया भर में बिकनी चाहिए या नहीं? ऐसे अनगिनत पौधे, जड़ी-बूटियां जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बिखरी हुई हैं। उनकी पहचान होगी, बिक्री होगी तो वहां के किसानों को लाभ होगा।'

क्या है सोलो जड़ी-बूटी? सोलो नाम की यह औषधीय बूटी लद्दाख में पाई जाती है। यह साइबेरिया की पहाड़ियों में भी मिलती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक चमत्कारी जड़ी-बूटी है, जो शरीर की रोग-प्रतिरोधक प्रणाली को ठीक कर सकती है। यह जड़ी बूटी रेडियोधर्मिता से भी बचाव करती है। वैज्ञानिकों ने इस जड़ी-बूटी को 'रोडियोला' नाम दिया है। रोडियोला ठंडे और ऊंचाई वाली जगहों पर पाई जाती है। स्थानीय लोग रोडियोला को सोलो कहते हैं और इसकी पत्तियों का सब्जियों में प्रयोग करते हैं।

लेह स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च (डीआइएचएआर) ने सोलो के इस्तेमाल पर शोध कर रखा है। डीआइएचएआर के निदेशक आरबी श्रीवास्तव के मुताबिक, 'रोडियोला एक आश्चर्यजनक पौधा है, जो रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है, कठिन जलवायु की स्थितियों में शरीर को अनुकूल बनाता है और रेडियोधर्मिता से बचाव करता है। इस पौधे में सीकोंडरी मेटाबोलाइट्स और फायटोएक्टिव तत्व पाएं जाते हैं, जो विशिष्ट हैं।' यह जड़ी बूटी बम या बॉयोकेमिकल लड़ाई से पैदा हुए गामा रेडिएशन के प्रभाव को कम करती है। लेह स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर स्थित कृषि-जानवर शोध प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में रोडियोला पर एक दशक से शोध हो रहा है।

आरबी श्रीवास्तव का कहना है, 'इस पौधे की एडेप्टोजेनिक क्षमता सैनिकों और कम दवाब और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में अनुकूल होने में मदद कर सकती है, साथ ही इस पौधे में अवसाद-रोधी और भूख बढ़ाने वाला गुण भी है।' इस बूटी की मदद से भूख न लगने की समस्या को दूर किया जाता है। साथ ही यह बूटी याददाश्त को भी बेहतर करती है। इसका इस्तेमाल अवसाद की दवा के तौर पर भी किया जाता है।

अमेरिकी सरकार की एजंसी 'नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटिग्रेटिव हेल्थ' (एनसीसीआइएच) ने डीआरडीओ की शोध एजंसी से संपर्क साधा है। अमेरिकी एजंसी ने हाल में जारी अपने बयान में बताया है कि सोलो पौधों पर कुछ शोध हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया गया इसके सेवन से मानसिक तनाव दूर करने में मदद मिलती है।

मुख्य तौर पर सोलो की तीन प्रजातियां हैं। सोलो कारपो (सफेद), सोलो मारपो (लाल) और सोलो सेरपो (पीला)। सोलो कारपो (सफेद) का औषधीय उपयोग ज्यादा होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ती उम्र के प्रभाव से बचने में भी यह जड़ी-बूटी मददगार है। यह ऑक्सीजन में कमी के दौरान न्यूरॉन्स की रक्षा करती है। डीआरडीओ की प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने अपने संस्थान की दो एकड़ जमीन में सोलो की खेती की है और इस पर लगातार शोध जारी है।

सोलो जड़ी-बूटी

- देश में लद्दाख ही एकमात्र जगह है जहां सोलो उगाई जाती है। यहां के स्थानीय वैद्य और आयुर्वेदिक डॉक्टर इस पौधे से दवाइयां बनाते हैं। वे मुख्यत: सोलो कारपो (सफेद) का प्रयोग करते हैं।
- ये पौधे 15 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर उगते हैं। लद्दाख में ये खारदुंग-ला, चांगला और पेंजिला इलाको में मिलते हैं।
- लद्दाख के लोग इस पौधे के पत्तेदार भाग की सब्जी बनाते हैं, जिसे 'तंगथुर' कहते हैं। यह व्यंजन स्थानीय लोगों के बीच खासा प्रचलित है।

शोध-अनुसधान

भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा तपेदिक का मूल कारण

जनसत्ता संवाद

भारतीय वैज्ञानिकों ने तपेदिक या टीबी (ट्यूबरकुलोसिस) को जड़ से खत्म करने का इलाज ढूंढ निकाला है। कोलकाता स्थित तीन केंद्रीय शोध संस्थानों के वैज्ञानिकों ने उन कारकों की पहचान की है, जिससे तपेदिक बैक्टीरिया का संक्रमण फैसला है। दुनिया के कई देशों में इस विषय को लेकर शोध चल रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिक अब अपने शोध के नतीजों के चिकित्सकीय प्रयोग की तैयारी कर रहे हैं।

टीबी फैलाने वाला बैक्टीरिया लंबे समय तक मानव शरीर में निष्क्रिय रह सकता है, यहां तक कि संक्रामक होने से पहले कई दशकों तक निष्क्रिय रह सकता है। दरअसल, शुरुआती दौर में मैक्रोफेज नामक सफेद रक्त कोशिकाएं अन्य संक्रमणों की तरह ही, तपेदिक के बैक्टीरिया से भी लड़ती हैं। लेकिन इस मामले में मैक्रोफेज कोशिकाएं बैक्टीरिया को मारने के बजाय, इसके चारों ओर एक थैली के आकार में ढांचा बना देती हैं, जिसे ग्रेन्युलोमा कहा जाता है। इसकी मौजूदगी से बैक्टीरिया काफी समय तक निष्क्रिय बना रह सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की स्थिति में ग्रेन्युलोमा थैली फटती है और तपेदिक बैक्टीरिया का संक्रमण शुरू हो जाता है।

कोलकाता स्थित सीएसआईआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, बोस इंस्टीट्यूट और जादवपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पता लगाया है कि मैक्रोफेज नाम की श्वेत रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित थैलीनुमा ढांचे से टीबी का बैक्टीरिया कैसे बाहर निकलता है। यह एक ऐसा शोध है जिसपर दुनिया भर के शोधकर्ता अध्ययन कर रहे हैं। कोलकाता के शोधकर्ताओं के मुताबिक बैक्टीरिया एमपीटी 63 नामक प्रोटीन को शरीर से निकाल देता है। कभी-कभी इन प्रोटीन संरचनाओं में परिवर्तन भी हो जाता है। वह अचानक मेजबान कोशिकाओं यानी मैक्रोफेज के लिए जहरीला बन जाता है। यह कोशिकाओं को नष्ट कर शरीर में बैक्टीरिया फैला देता है।

कोलकाता स्थित सीएसआइआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, बोस इंस्टीट्यूट और जादवपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पता लगाया है कि मैक्रोफेज नाम की श्वेत रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित थैलीनुमा ढांचे से टीबी का बैक्टीरिया कैसे बाहर निकलता है। यह एक ऐसा शोध है जिसपर दुनिया भर के शोधकर्ता अध्ययन कर रहे हैं।

शोधकर्ताओं की टीम

आइआइसीबी में स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड बायोइनफॉरमैटिक्स डिवीजन के प्रमुख और टीम लीडर डॉ. कृष्णानंद चट्टोपाध्याय के मुताबिक उनकी टीम अब ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस में इन निष्कर्षो का प्रयोग करने की कोशिश करेगी और देखेगी कि क्या इसका उपयोग नए चिकित्सीय उपायों के लिए किया जा सकता है या नहीं। शोधकर्ताओं की टीम में अचिंत्य सन्निग्रही, इंद्राणी नंदी, सायंतनी चैलेंज, जुनैद जिब्रान जावेद, अनिमेष हलदर, सुब्रत मजुमदार और सनत करमाकर शामिल थे। जॉ. चट्टोपाध्याय के मुताबिक, जल्द ही शोध नतीजों को एसीएस केमिकल बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित कराए जाएंगे।

इस खोज के माध्यम से शोधकर्ता अब एमपीटी 63 के प्रभाव को कम करने के तरीकों को देखना शुरू कर सकते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक, हो सकता है कि इस प्रोटीन की वजह से ही वह थैलीनुमा ढांचा फट जाता हो। शोध में पाया गया कि कृत्रिम रूप से उत्पादित एमपीटी63 प्रोटीन अणु अम्लता के विभिन्न स्तरों से प्रभावित होता था। जब अम्लता अधिक होती तो इसकी संरचना नाटकीय रूप से बदल जाती। इस बदले रूप को बीटा-शीट कहा जाता है और यह अम्लीय स्थिति में एक पेचदार रूप में बदल जाता है, जहरीला होकर कोशिका झिल्ली में प्रवेश कर जाता है, परिणामस्वरूप श्वेत रक्त कोशिकाओं की मौत हो जाती है और बैक्टीरिया बाहर निकल जाता है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है, जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है। इसे तपेदिक और क्षय रोग भी कहा जाता है। टीबी को आज किसी भी अन्य संक्रामक बीमारी से अधिक लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। 2017 में इस बीमारी ने दुनियाभर में 10 मिलियन लोगों को बीमार किया वहीं 1.6 मिलियन लोगों की जान ले ली। भारत में हर दिन 11,00 से ज्यादा लोगों की मौत टीबी की वजह से होती है।

विश्व परिक्रमा

अमेरिका चाहता है एशिया में मिसाइलें तैनात करना

रविवार, 4 अगस्त : अमेरिका के नए रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने शनिवार को कहा कि वाशिंगटन एशिया में जल्द ही मध्यम दूरी तक मार करने वाली नई मिसाइलें तैनात करना चाहता है। इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में चीन के उभरते दबदबे को कम करना है।

टेक्सास के स्टोर में गोलीबारी से 20 की मौत

सोमवार, 5 अगस्त : अमेरिका में शनिवार को टेक्सास में एक बंदूकधारी ने 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कई अन्य को घायल कर दिया। 21 वर्षीय बंदूकधारी ने टेक्सास के दक्षिणी नगर अल पासो में वॉलमार्ट के एक स्टोर में खरीदारी कर रहे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं।

दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों में संबंध बिगड़ेंगे

मंगलवार, 6 अगस्त : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने को सोमवार को अवैध करार दिया। खान ने मलेशिया के प्रधानमंत्री से कहा, 'भारत का कदम परमाणु हथियारों से लैस दो पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को और बिगाड़ेगा।'

एंटोनियो गुतारेस

संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने की अपील की

बुधवार, 7 अगस्त : संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात की आशंका जताई है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतारेस ने चिंता जताई और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा, 'हम क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति से चिंतित हैं और उस पर नजर रख रहे हैं। हम सभी पक्षों से संयम बरतने का अनुरोध करते हैं।'

पाक ने भारत के साथ राजनयिक संबंध घटाए

गुरुवार, 8 अगस्त : अनुच्छेद 370 खत्म करने के भारत सरकार के फैसले से बौखलाए पाकिस्तान ने बुधवार को भारत के साथ राजनयिक संबंधों का दर्जा घटाने (डाउनग्रेड) का एलान किया। पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित कर दिया है।

पाक ने बाघा पर छोड़ा समझौता एक्सप्रेस

शुक्रवार, 9 अगस्त : लाहौर से आ रही समझौता एक्सप्रेस के पाकिस्तानी ड्राइवर और गार्ड ने ट्रेन को वाघा सीमा पर ही छोड़ दिया। पाक ने भारत की सीमा में अपने गार्ड और ड्राइवर को भेजने से मना कर दिया। इस कारण ट्रेन घंटों तक वाघा में अटकी रही।

कश्मीर नीति में कोई बदलाव नहीं : अमेरिका

शनिवार, 10 अगस्त : अमेरिका ने शुक्रवार को कहा कि कश्मीर पर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है और उसने भारत तथा पाकिस्तान से शांति एवं संयम बरतने का आह्वान किया। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मोर्गन ओर्टागस ने संवाददाताओं को दी।

जानें-समझें

जम्मू-कश्मीर विधानसभा

परिसीमन से कैसे बदलेगी तस्वीर

दीपक रस्तोगी

केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू-कश्मीर राज्य का परिसीमन करना चाहती है और इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। इस मसले पर गृह मंत्रालय, राज्यपाल और चुनाव आयोग एक-दूसरे के संपर्क में हैं। जम्मू-कश्मीर में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की मंशा सरकार जता चुकी है, लेकिन विधानसभा चुनावों में अभी कुछ और महीनों का वक्त लग सकता है। चुनाव आयोग पहले विधानसभा सीटों का परिसीमन करेगा और उसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। इसमें कम से कम चार महीने का वक्त लग सकता है। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 के मुताबिक सूबे में विधानसभा सीटों का परिसीमन जरूरी है। परिसीमन की सुगबुगाहट से राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है।

जल्द शुरू होगी कवायद

चुनाव आयोग ने अभी औपचारिक तौर पर सीटों के परिसीमन को लेकर सरकार से बातचीत नहीं की है। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जल्द ही चुनाव आयोग से राज्य को लेकर पारित विधेयकों और परिसीमन के प्रस्ताव की जानकारी साझा करेंगे। नए परिसीमन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनने वाले जम्मू-कश्मीर में अब विधानसभा की सीटों में एससी और एसटी को आरक्षण भी मिल सकेगा। चुनाव आयोग कह चुका है कि जम्मू-कश्मीर में 15 अगस्त और अमरनाथ यात्रा के बाद ही चुनाव के बारे में बात की जा सकती है।

सीटों का गणित क्या हो सकता है?

सीटों की संख्या बढ़कर 114 की जा सकती है। अब तक 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के नाम पर रिक्त रखी जाती थीं और अब भी यह सीटें खाली छोड़ी जाएंगी। जम्मू-कश्मीर में पहले 87 विधानसभा सीटें थीं। लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद चार सीटें कम हो जाएंगी। अभी पूरे कश्मीर में 46 विधानसभा और तीन लोकसभा सीटें हैं। जम्मू में 37 विधानसभा और दो लोकसभा सीटें हैं।

क्या है जानकारों की राय

जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव के दौरान स्थानीय लोग। *(फाइल फोटो)*

जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की जरूरत अरसे से महसूस होती रही है। राजनीतिक असमानता का मुद्दा जम्मू और लद्दाख के लोग उठा रहे हैं। परिसीमन की कवायद हर बात को ध्यान में रखकर की जाएगी। राज्य में कब चुनाव कराए जाएं, यह चुनाव आयोग तय करेगा। पूरा जम्मू-कश्मीर सरकार के फैसले के साथ है।
- राम माधव, भाजपा नेता

परिसीमन में एक साल से ज्यादा का समय लग सकता है। अब दूसरे राज्य से आकर जम्मू-कश्मीर में किन्हीं कारणों से छह महीने से अधिक समय से रह रहे लोगों को भी मतदाता में जुड़ने का अधिकार मिलेगा। इनमें दलित, शरणार्थी, गोरखा और वे महिलाएं भी शामिल होंगी, जिन्होंने राज्य से बाहर शादी की थी।
- एसके मेंदीरत्ता, चुनाव आयोग के पूर्व कानूनी सलाहकार

जम्मू-कश्मीर को लेकर चल रही कवायद केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। केंद्र ने कश्मीर की गलतियों की सजा जम्मू के लोगों को दी है। केंद्र सरकार को जम्मू को अलग राज्य घोषित करना चाहिए, जिससे लोगों के साथ भेदभाव खत्म होगा।
- हर्षदेव सिंह, पूर्व मंत्री एवं अध्यक्ष जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी

बढ़ेगी मतदाताओं की संख्या

करीब सात लाख ऐसे मतदाता बढ़ेंगे, जिन्हें धारा 35ए लागू होने के कारण विधानसभा चुनाव में मताधिकार नहीं था। अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होते ही घाटी से 35ए भी हट गया है। नए वोटरों में दलित, शरणार्थी, गोरखा और राज्य से बाहर शादी करने वाली महिलाएं होंगी। 2014 की तुलना में 2019 के लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर में 6.40 लाख वोटर बढ़े हैं। 2014 में भाजपा का वोट शेयर 32.6 फीसद था, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में 46.40 फीसद हो गया। साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची संशोधित होगी। अनुच्छेद 35ए के तहत जम्मू-कश्मीर के गैर-नागरिकों को सिर्फ लोकसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिल रहा था। परिसीमन के बाद आने वाली नई मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 7 से 15 लाख के बीच बढ़ सकती है।

सामाजिक समीकरणों पर असर

2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू संभाग की आबादी 5378538 है, जो राज्य की 42.89 फीसद आबादी है। जम्मू संभाग 26200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी राज्य का 25.93 फीसद क्षेत्र जम्मू संभाग में आता है। यहां विधानसभा की कुल 37 सीटें हैं। कश्मीर की आबादी 6888475 है, जो राज्य की आबादी का 54.93 फीसद हिस्सा है। कश्मीर संभाग का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल 15900 वर्ग किलोमीटर है, जो 15.73 फीसद है। यहां से कुल 46 विधायक चुने जाते हैं। सरकार यहां इसलिए परिसीमन पर जोर दे रही है ताकि एससी और एसटी समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की जा सके। घाटी की किसी भी सीट पर आरक्षण नहीं है, लेकिन यहां 11 फीसद गुज्जर-बक्करवाल और गद्दी जनजाति समुदाय के लोगों की आबादी है। जम्मू संभाग में सात सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं, जिनका रोटेशन नहीं हुआ है।

राजनीतिक गणित पर असर

कश्मीर संभाग की आबादी राज्य की जनसंख्या का लगभग 55 फीसद है। जबकि राज्य के कुल क्षेत्रफल में कश्मीर का हिस्सा सिर्फ 16 फीसद है। यानी कश्मीर में एक विधायक प्रति 349 वर्ग किमी पर चुना जाता रहा है, जबकि जम्मू क्षेत्र में एक विधायक 710 वर्ग किमी पर चुना जाता है। कश्मीर की आबादी में 96फीसद मुसलिम और 2.5 फीसद हिंदू हैं। वहीं, जम्मू में 62.6 फीसद हिंदू और 33.5 फीसद मुसलिम हैं। नए सिरे से परिसीमन होने से राज्य में राजनीतिक असंतुलन खत्म होगा।

व्यक्तित्व

जमुना टुडू : महिला ब्रिगेड के साथ जंगल माफिया से लोहा

जनसत्ता संवाद

पूर्वी सिंहभूम के मुटुरखंब गांव की जुमना टुडू को लोग 'लेडी टार्जन' के नाम से जानते हैं। ओडिशा में जन्मीं 38 वर्षीय जमुना टुडू ने जंगल बचाने की मुहिम चलाई। उन्हें वन एवं पर्यावरण के संवर्द्धन और संरक्षण के उल्लेखनीय कार्यों के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। जमुना टुडू पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उन्होंने झारखंड के विभिन्न इलाकों में महिलाओं के कुल तीन सौ समूह बनाए हैं, जिसे वे 'वन प्रबंधन रक्षा समिति' कहती हैं। वे अपनी साथी महिलाओं के साथ झारखंड के विभिन्न इलाकों में जंगल माफिया से लोहा लेती हैं और पेड़ों की अवैध कटाई को रोकती हैं। झारखंड की इस लेडी टार्जन की कहानी पर फिल्म बनाने की तैयारी की जा रही है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता-निर्देशक चिलुकुरी प्रसाद एवं कथा लेखक धर्मेंद्र बघेल ने पिछले हफ्ते ही जमुना टुडू पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है। जमुना टुडू के जंगल बचाने की इस अभियान की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। वे ओडिशा के रायरंगपुर की रहने वाली हैं। उनके गांव में पेड़ बहुत कम थे, इसलिए उन्हें पेड़-पौधों का महत्त्व मालूम था। इसलिए जब उनका ब्याह हुआ और वे झारखंड के पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे घाटशिला के मुटुरखाम गांव आईं तो यहां के लोगों को जंगल को काटते हुए देखकर बेहद दुखी हुईं। वे घर-बाहर में जंगल बचाने की बात करने लगी। यह बात पूरे गांव में फैल गई। जंगल से लकड़ी काटकर लाने को परंपरा और जीवन-यापन का जरिया बताकर जमुना का विरोध किया जाने लगा। बावजूद इसके जंगल बचाने का प्रण ले चुकी जमुना अडिग रहीं। इसके बाद उन्होंने गांव की ही कुछ महिलाओं को एकत्रित किया और उन्हें जंगल बचाने के लिए प्रेरित करने लगी। वे महिलाओं को पेड़-पौधों के लाभ गिनाने लगी और इस तरह जंगल बचाने का अभियान शुरू हुआ। जमुना घर का काम खत्म कर अपनी महिला साथियों को लेकर जंगल में जातीं और वन माफियों को जंगल से भगातीं। माफिया से लड़ने और गांव के आसपास के 50 हेक्टेयर के जंगल की रक्षा करने के लिए वे और उनकी महिला साथी तीर, धनुष, डंडे लेकर जंगलों में गश्त लगातीं।

शुरू में जहां इस मुहिम में उनके साथ सिर्फ पांच-छह महिलाएं थीं, वहीं अब उनके साथ पूरा गांव हो गया। 2004 में उन्होंने 'वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति' बनाई, जिससे गांव की 60 महिलाएं जुड़ीं। अब उनकी समिति की 300 से ज्यादा शाखाएं हैं।

जमुना टुडू ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण कार्य किया है इसका प्रमाण है एक समिति में कई महिला सदस्य का होना। ये सभी महिलाएं जंगलों में गश्ती कर पेड़-पौधों को बचाने का प्रयास करती हैं।

जमुना और उनकी टीम अपनी जान पर खेल कर पेड़ों की रक्षा करती हैं। वनों को कटने से बचाने के साथ-साथ यह समिति नए पौधे लगाकर जंगलों को सघन बनाने में भी योगदान देती। 20 वर्षों में, उन्होंने झारखंड के 300 गांवों में 50 एकड़ से अधिक जंगल बचाए हैं। यही नहीं झारखंड सशस्त्र पुलिस उसके साथ जंगलों की सुरक्षा में काम करती है।

जमुना टुडू को 2014 के श्री शक्ति पुरस्कार, और 2013 के गॉडफ्रे फिलिप्स बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अयोध्या विवाद : रामजन्मभूमि मामले में आज से होगी आगे की सुनवाई

नई दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा)।

राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट में हो रही महत्त्वपूर्ण सुनवाई मंगलवार को पांचवें दिन में प्रवेश करेगी। अयोध्या में संपूर्ण विवादित भूमि 2.77 एकड़ पर दावा करने वाले राम लला विराजमान की ओर से मंगलवार को आगे बहस शुरू की जाएगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर रहा है।

संविधान पीठ के समक्ष मंगलवार की सुनवाई इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि शुक्रवार को न्यायालय ने राम लला विराजमान की ओर से बहस कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता के. परासरन से जानना चाहा था कि क्या 'रघुवंश' राजघराने से कोई अभी भी वहां (अयोध्या) में रहता है। परासरन हालांकि तत्काल इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सके, लेकिन जयपुर राजघराने की सदस्य और भाजपा सांसद दिया कुमारी ने रविवार को दावा किया कि उनका परिवार भगवान राम के पुत्र कुश के वंश से है।

इस प्रकरण की सुनवाई कर रहे संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। राजस्थान के राजसमंद से सांसद दिया कुमारी ने कहा, 'न्यायालय ने जानना चाहा है कि भगवान राम के वंश के लोग कहां हैं? हमारे परिवार, जो उनके पुत्र कुश के वंशज हैं, सहित पूरी दुनिया में भगवान राम के वंश के लोग हैं।' उन्होंने कहा कि भगवान राम के वंशज दुनिया भर में हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या विवाद जल्द हल होना चाहिए।

शीर्ष अदालत इस समय अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि प्रकरण के तीनों पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला- के बीच बराबर बराबर बांटने का निर्देश देने संबंधी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही है। इस मामले में चौथे दिन की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने परासरन से जानना चाहा था कि इस मामले में मुद्दई के रूप में 'जन्म स्थान' को एक कानूनी तौर पर व्यक्ति कैसे माना जा सकता है, इसके जवाब में वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा था कि हिंदुत्व में किसी स्थान को मंदिर मानने के लिए वहां देवता की मूर्ति होना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा था कि हिंदू किसी एक रूप में ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं बल्कि वे ऐसे दैवीय अवतरण की पूजा करते हैं जिसका कोई स्वरूप नहीं है।

इस विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने में सफलता नहीं मिलने के बाद न्यायालय छह अगस्त से इसकी रोजाना सुनवाई कर रहा है। हालांकि, मुसलिम पक्षकार एम.सिद्दीक और आल इंडिया सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सप्ताह के सभी पांच कार्य दिवसों पर इसकी सुनवाई किए जाने पर आपत्ति की थी लेकिन संविधान पीठ ने इसे अस्वीकार कर दिया। संविधान पीठ ने सिद्दीक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन को यह भरोसा जरूर दिलाया कि उन्हें बहस की तैयारी के लिए सप्ताह के बीच में विश्राम देने पर विचार किया जाएगा।

बबीता पिता महावीर संग भाजपा में शामिल

पेज 1 का बाकी

मिसाल हैं। उन्होंने चैंपियंस पैदा किए। वह उनका खेल मंत्रालय की ओर से अभिनंदन करते हैं। वे पहले हरियाणा के जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) में शामिल हुए थे। उन्हें पार्टी ने खेलकूद प्रकोष्ठ का प्रमुख बनाया था।

उन्होंने कहा कि बबीता युवा हैं और उन्होंने दुनिया की हर कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का झंडा लहराया है। अभी भी वे काफी सक्रिय हैं। राजनीति से जुड़ने के बाद भी वह खेलना जारी रख सकती हैं। भाजपा का मानना है कि बबीता फोगाट व महावीर फोगाट के शामिल होने से पार्टी को हरियाणा में राजनीतिक रूप से मदद मिलेगी जहां इस वर्ष के अंत में चुनाव होने वाले हैं।

फोगाट परिवार का नाम हिंदी फिल्म दंगल की अभूतपूर्व सफलता के बाद सुर्खियों में आया जिसकी कहानी उन पर आधारित थी। बबीता ने हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कश्मीर से बहू लाए जाने वाले विवादित बयान पर अपने ट्वीट में कहा था कि मुख्यमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा जो महिलाओं को गलत तरीके से पेश करने वाला हो। साथ ही बबीता ने मीडिया से अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री के बयान को गलत तरीके से जनता के सामने पेश न किया जाए।

अनुच्छेद 370 : जम्मू कश्मीर में 'कठोर उपायों' के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई

नई दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा)।

जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के बाद राज्य में कुछ प्रतिबंध लगाने और अन्य कड़े उपाय करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इसके अलावा, कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की याचिका की भी शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के बारे में मंगलवार को जिक्र किए जाने की संभावना है। अनुराधा भसीन चाहती हैं कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त किए जाने के बाद राज्य में पत्रकारों के कामकाज पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाएं।

पूनावाला ने अपनी याचिका में कहा है कि वह अनुच्छेद 370 के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं लेकिन वह चाहते हैं कि वहां से कर्फ्यू व पाबंदियां और फोन लाइन, इंटरनेट और समाचार चैनल अवरूद्ध करने सहित दूसरे कथित कठोर उपाय वापस लिए जाएं। इसके अलावा, कांग्रेस कार्यकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को रिहा करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है जो इस समय हिरासत में हैं। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू और कश्मीर की वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिए एक न्यायिक आयोग गठित करने का भी अनुरोध किया है।

उन्होंने याचिका में दावा किया है कि केंद्र के फैसलों से संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। याचिका के अनुसार समूचे राज्य की एक तरह से घेराबंद कर दी गई है और दैनिक आधार पर सेना की संख्या में वृद्धि करके इसे एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है जबकि संविधान संशोधन के खिलाफ वहां किसी प्रकार के संगठित या हिंसक विरोध के बारे में कोई खबर नहीं है।

मनमोहन सिंह आज दाखिल करेंगे नामांकन

पेज 1 का बाकी

राज्यसभा सदस्य मदनलाल सैनी के निधन से यह सीट खाली हुई है। सैनी का जून में निधन हो गया था।

राज्य विधानसभा में कांग्रेस के बहुमत को देखते हुए राज्यसभा उपचुनाव में सिंह (86) के जीतने की पूरी संभावना है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। इनमें से दो फिलहाल खाली हैं। कांग्रेस के पास 100 विधायक हैं जबकि उसके गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल का एक विधायक है। भारतीय जनता पार्टी के पास 72, बहुजन समाज पार्टी के पास छह, भारतीय ट्राइबल पार्टी, माकपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास दो दो विधायक हैं। 13 निर्दलीय विधायक हैं और दो सीट खाली हैं।

सत्तारूढ़ कांग्रेस के पास 12 निर्दलीय तथा बसपा के छह विधायकों का बाहर से समर्थन भी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह लगभग तीन दशक तक असम से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होते रहे। वे 1991 से 2019 तक लगातार पांच बार राज्यसभा सदस्य रहे और 2004 से 2014 तक लगातार दो बार प्रधानमंत्री पद पर रहे।

सिंह का राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल इस साल 14 जून को समाप्त हो गया। उन्हें दुबारा नामांकित नहीं किया गया क्योंकि पार्टी के पास उन्हें असम से भेजने के लिए पर्याप्त संख्याबल नहीं है।

राजस्थान में राज्यसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन 14 अगस्त तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 26 अगस्त को होगा। उसी दिन गणना होगी। राजस्थान से राज्यसभा की दस सीटें हैं।

पी चिदंबरम का बयान गैरजिम्मेदाराना : भाजपा

पेज 1 का बाकी

हिंदू-मुसलिम के नजरिए से देख रही है।

चिदंबरम ने रविवार को एक कार्यक्रम में अनुच्छेद 370 हटाने के भाजपा के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यदि जम्मू कश्मीर हिंदू बहुल राज्य होता, तो भाजपा ऐसा नहीं करती। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि यह क्षेत्र मुसलिम बहुल है।' उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति अस्थिर है और अंतरराष्ट्रीय समाचार एजंसियां अशांति को कवर कर रही हैं, लेकिन भारतीय मीडिया यह काम नहीं कर रहा। उन्होंने कहा, 'वे (भाजपा) दावा करते हैं कि कश्मीर में स्थिति स्थिर है। क्या ऐसा है? यदि भारतीय मीडिया जम्मू कश्मीर में अशांति को कवर नहीं कर रहा है तो क्या इसका यह मतलब है कि स्थिति स्थिर है?'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, 'जम्मू कश्मीर के सौरा में करीब 10,000 लोगों ने प्रदर्शन किया, जिस दौरान पुलिस कार्रवाई और गोलीबारी का होना भी सच है।' उन्होंने कहा कि देश के 70 साल के इतिहास में ऐसा उदाहरण कभी नहीं देखने को मिला, जिसमें किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया हो।

उन्होंने कहा, 'आज, जम्मू कश्मीर को एक नगर पालिका में तब्दील कर दिया गया...अनुच्छेद 371 के तहत अन्य राज्यों के लिए भी विशेष प्रावधान हैं, फिर जम्मू कश्मीर के साथ ही ऐसा क्यों किया गया...ऐसा धार्मिक कारणों को लेकर किया गया।' उन्होंने कहा, 'यदि जम्मू कश्मीर हिंदू बहुल राज्य होता, तो भाजपा ऐसा नहीं करती। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि यह क्षेत्र मुसलिम बहुल है।' उन्होंने कहा कि भाजपा कश्मीर का एकीकरण बाहुबल से कर रही है।'

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि अब ऐसे तर्कों का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस हमें बताए कि वह अपने 70 साल के राज के दौरान जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थान चलाने के अधिकार और सफाई कर्मचारियों को न्याय क्यों नहीं दिलवा सकी थी? पूर्ववर्ती कांग्रेस राज के दौरान जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू होने के कारण वहां समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को न्याय नहीं मिल पाता था। लेकिन इस अनुच्छेद के अधिकांश प्रावधान हटाने के बाद हम इन वर्गों को न्याय प्रदान कर रहे हैं।

उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, 'कांग्रेस हमें इस सवाल का जवाब भी दे कि वह अपने राज के दौरान जम्मू-कश्मीर में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण की व्यवस्था लागू क्यों नहीं करा सकी थी? देश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारें इस राज्य में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निरोधक कानून लागू क्यों नहीं करा सकी थीं? वहां आदिवासियों को वन अधिकार और व्हिसलब्लोअरों को सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की गई थी?'

पाक पत्रकार का दावा गलत : सुरक्षा बल

पेज 1 का बाकी

एक-दूसरे पर हमला किया क्योंकि उन्होंने एक गर्भवती महिला को सिर्फ इसलिए जाने की अनुमति नहीं दी क्योंकि उसके पास कर्फ्यू का पास नहीं था। हमले के बाद से हालात तनावपूर्ण हैं।

सीआरपीएफ ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए इस संबंध में अपने आधिकारिक हैंडल पर पोस्ट लिखा है, 'इस ट्वीट की छवि खराब करने वाली सामग्री/सूचना आधारहीन और गलत है। हमेशा की तरह भारत के सभी सुरक्षा बल साथ मिलकर समन्वय और भाईचारे के साथ काम कर रहे हैं। हमारी वर्दी के रंग भले ही अलग-अलग हों लेकिन देशभक्ति और तिरंगा हमारे दिल और अस्तित्व में बसता है।' आतंकवाद निरोधी कार्रवाई और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कश्मीर घाटी में तैनात सीआरपीएफ के इस ट्वीट को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से एंडोर्स किया है।

कश्मीर पुलिस ने लिखा है, हम छवि खराब करने वाली सूचना का सिरे से खंडन करते हैं। इसे ट्विटर के समक्ष कार्रवाई के लिए उठाया गया है। सीआरपीएफ के प्रवक्ता ने यहां बल के मुख्यालय पर कहा कि उपमहानिरीक्षक मोसेस दिनाकरण ने भी पत्रकार की पोस्ट की कटु आलोचना की है। दिनाकरण ने ट्वीट किया है, 'कश्मीर में अपनी गलत मंशा को अंजाम नहीं दे पाने की निराशा की वजह से भड़के आपके गुस्से पर मुझे दया आती है। इस फर्जी खबर के साथ आप और नीचे गिर गए हैं।

उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भूस्खलन से नौ लोगों की मौत

पेज 1 का बाकी

है। हालांकि, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी केरल में अगले दो दिन में भारी बारिश होने का अनुमान है।

गुजरात के कच्छ जिले में बाढ़ में सड़क बह जाने के कारण वहां फंसे करीब 125 लोगों को वायुसेना ने निकाला जबकि कर्नाटक और महाराष्ट्र में भारी बारिश एवं भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है।

इस बीच बाढ़ प्रभावित कई राज्यों में सोमवार को कई सड़कें यातायात की आंशिक आवाजाही के लिए खोल दी गईं, जिनमें सिर्फ जरूरी सामान से लदे ट्रकों को यातायात की मंजूरी दी गई। बाढ़ का पानी घटने के बाद महाराष्ट्र में कोल्हापुर के पास पिछले छह दिन से बंद मुंबई-बंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग-4 को सोमवार यातायात के लिए आंशिक रूप से खोल दिया गया और वहां जरूरी सामान से लदे फंसे हजारों ट्रकों को आगे जाने की इजाजत दी गई। कोल्हापुर और कर्नाटक के बेलगाम के बीच यातायात की भी मंजूरी दी गई। बाढ़ प्रभावित राज्यों में एहतियात बरती जा रही है क्योंकि अधिकतर नदियां उफान पर हैं और जलाशयों से पानी छोड़ा जा रहा है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को केरल में अपने वायनाड संसदीय क्षेत्र में बुरी तरह प्रभावित पुथुमाला समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास में हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), वायुसेना, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और स्थानीय प्रशासन बाढ़ प्रभावित राज्यों में राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार का दिन उमस भरा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस बना रहा। सुबह साढ़े आठ बजे तक हवा में नमी का स्तर 84 फीसद दर्ज किया गया। सुबह साढ़े आठ बजे तक सफदरजंग वेधशाला में 0.2 मिमी जबकि लोधी रोड में 0.8 मिमी बारिश दर्ज की गई।

मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को दक्षिण ओड़ीशा के अंदरूनी हिस्सों और सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर और बरगढ़ में कहीं भारी और कहीं जोरदार भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। मछुआरों को अगले 48 घंटे समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गयी है।

इस बीच अधिकारियों ने कहा कि हीराकुंड बांध के दायरे में रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी की गई है क्योंकि बैराज में जलस्तर 675 फुट को पार गया है जबकि इसकी क्षमता 630 फुट है। हीराकुंड बांध के मुख्य अभियंता के नायक ने कहा कि हालात को देखते हुए 14 अगस्त को बांध के फाटक से पानी छोड़ा जाएगा।

हजारों लोगों का दिया लहू दौड़ रहा भारतीय सैनिकों की धमनियों में

पेज 1 का बाकी

लिया, जिनमें 70 से अधिक महिला बाइकर्स थीं। ये लोग इंडियागेट से रवाना होकर रामजस कॉलेज पहुंचे। समारोह में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके परिवार के लोगों के साथ ही शहीद स्क्वाड्रन लीडर समीर अबरोल के पिता संजीव अबरोल भी इस मौके पर मौजूद थे।

सेना में अपने अदम्य साहस के लिए परम विशिष्ट सेवा चक्र से नवाजे गए 21 सैनिकों की याद में कैंपस ग्राउंड में 21 पेड़ भी लगाए गए ताकि देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों की याद देशवासियों के जहन में सदा जिंदा रहे। उम्मीद है कि नीम और पीपल के यह पेड़ हर गुजरते साल के साथ बढ़ते रहेंगे और इनकी हर शाख आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सेना के शौर्य और साहस की कहानी सुनाएगी।

राहुल गांधी को कश्मीर दिखाने के लिए विमान भेजेंगे : राज्यपाल

जम्मू, 12 अगस्त (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कश्मीर में हिंसा की खबर होने संबंधी टिप्पणी के बारे में कहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को घाटी का दौरा कराने और जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए वे विमान भेजेंगे। राज्यपाल ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी पार्टी के एक नेता के व्यवहार के बारे में शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए जो संसद में 'मूर्ख' की तरह बात कर रहे थे।

मलिक ने कहा- मैंने राहुल गांधी को यहां आने के लिए न्योता दिया है। मैं आपके लिए विमान भेजूंगा ताकि आप स्थिति का जायजा लीजिए और तब बोलिए। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। राज्यपाल कश्मीर में हिंसा संबंधी कुछ नेताओं के बयान के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे।

शनिवार की रात राहुल गांधी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से हिंसा की कुछ खबरें आई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पारदर्शी तरीके से इस मामले पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने में कोई सांप्रदायिक दृष्टिकोण नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 35 ए और अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान सबके लिए समाप्त किए गए हैं। न तो लेह, करगिल, जम्मू, राजौरी और पुंछ में और न ही यहां (कश्मीर) इसे समाप्त करने में कोई सांप्रदायिक दृष्टिकोण है। इसका कोई सांप्रदायिक कोण नहीं है।' मलिक ने कहा कि इस मुद्दे को मुट्ठी भर लोग हवा दे रहे हैं लेकिन वह इसमें सफल नहीं होंगे।

चीन ने कश्मीर मुद्दे से बनाई दूरी

पेज 1 का बाकी

उम्मीद है कि भारत भी शांति और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक कदम उठाएगा।'

वांग ने इस दौरान उन्होंने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधानों को समाप्त करने के भारत के कदम का सीधा जिक्र नहीं किया, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, 'शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों के आधार पर हमारे बीच पारस्परिक लाभकारी सहयोग हो सकता है। यह मूलभूत हित और हमारे लोगों के दीर्घकालिक हित में है और यह वैश्विक शांति व मानव प्रगति में योगदान देगा।' उन्होंने कहा, 'चीन और भारत दो बड़े देश हैं। इस नाते उन पर क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व बनाए रखने की अहम जिम्मेदारी है।'

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद जयशंकर चीन का दौरा करने वाले पहले भारतीय मंत्री हैं। जयशंकर की यह यात्रा पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की नौ अगस्त को हुई चीन यात्रा के बाद हो रही है। जम्मू-कश्मीर पर भारत के फैसले का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाने को लेकर चीन से समर्थन मांगने के लिए कुरैशी बेजिंग पहुंचे थे। भारत हमेशा कहता रहा है कि जम्मू-कश्मीर उसका अभिन्न अंग है और हालिया फैसला देश का आंतरिक मामला है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य इस साल के अंत में होने वाली राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देना है। मुलाकात के दौरान अपनी शुरुआती टिप्पणी में जयशंकर ने कहा, 'जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच संबंधों का वैश्विक राजनीति में बेहद विशिष्ट स्थान है। दो साल पहले हमारे नेता अस्ताना में आम सहमति पर पहुंचे थे कि ऐसे समय में जब दुनिया में पहले से अधिक अनिश्चितता है, भारत और चीन के बीच संबंध स्थिरता के परिचायक होने चाहिए।' जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई शिखर वार्ता का जिक्र करते हुए कहा, 'उसे सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि हमारे बीच अगर कोई मतभेद है तो वह विवाद में तब्दील नहीं होना चाहिए।'

वांग ने जयशंकर के साथ मुलाकात के बाद कहा, 'हमने अभी गहन चर्चा की और बड़ी बैठकों में भी द्विपक्षीय मुद्दों व दोनों पक्षों के बीच अहम राजनीतिक एजंडे पर महत्त्वपूर्ण चर्चा होगी। मुझे यकीन है कि इस बार आपकी यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय स्थायित्व के लिए उपयोगी साबित होगी। एक बार फिर चीन में आपका स्वागत है।'

डोभाल ने हवाई सर्वे किया

पेज 1 का बाकी

हवाई सर्वेक्षण किया। पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह और सैन्य कमांडरों ने भी कश्मीर घाटी के विभिन्न भागों का अलग-अलग हवाई सर्वेक्षण किया। अधिकारियों ने स्थिति को बिल्कुल ठीक पाया। पूरे जम्मू कश्मीर में ईद की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई।

प्रशासन ने एक बयान में कहा कि श्रीनगर में आतंकवादियों और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को बाधित करने की आशंका को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील इलाकों में जरूरी प्रतिबंध लगाए गए। स्थानीय मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने पहुंचे और उन्होंने एक-दूसरे को ईद की बधाई दी।

बयान में कहा गया है कि कुछ स्थानों पर विरोध की मामूली घटनाएं हुईं। इसमें कहा गया है कि मीडिया में सुरक्षा बलों द्वारा गोलीबारी और कुछ लोगों के हताहत होने की खबरें हैं। बयान में कहा गया, 'इसे पूरी तरह से खारिज किया जाता है कि राज्य में गोलीबारी की कोई घटना हुई है। सुरक्षा बलों ने न तो कोई गोली चलाई है और न ही कोई हताहत हुआ है।

समलैंगिक विवाह व गोद संबंधी पुनर्विचार याचिका खारिज

नई दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए समलैंगिक विवाह, गोद लेना और किराए की कोख जैसे नागरिक अधिकारों की मांग के लिए दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के तीन सदस्यीय पीठ ने 11 जुलाई को चैंबर में तुषार नैयर की पुनर्विचार याचिका विचार के बाद खारिज की। इस याचिका में एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए समलैंगिक विवाह, गोद लेना और किराए की कोख जैसे नागरिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'यह पुनर्विचार याचिका 29 अक्तूबर, 2018 के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है जिसमें नैयर की याचिका खारिज की गई थी। हमने पुनर्विचार याचिका पर उसकी मेरिट पर विचार किया। हमारी राय में इनमें 29 अक्तूबर के आदेश पर पुनर्विचार का कोई मामला नहीं बनता है। परिणामस्वरूप पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है।' शीर्ष अदालत ने 29 अक्तूबर 2018 को तुषार नैयर की एक नई याचिका खारिज कर दी थी। इस याचिका में एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों से संबंधित मुद्दे उठाते हुए कहा गया था कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ पहले ही समलैंगिकता के मामले में विचार कर चुका है। न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार मामले में छह सितंबर, 2018 इस न्यायालय के फैसले के बाद हम इस पर विचार के इच्छुक नहीं हैं।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस फैसले में सर्वसम्मति से कहा था कि परस्पर सहमति से वयस्कों के बीच एकांत में स्थापित होने वाले अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध नहीं है। इसके साथ ही न्यायालय ने परस्पर सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करने को अपराध की श्रेणी में रखने संबंधी भारतीय दंड संहिता की धारा 377 का प्रावधान निरस्त कर दिया था।

एकांत में गुजरी कश्मीरी नेताओं की ईद

पेज 1 का बाकी

लिए इस बार ईद उल अजहा का त्योहार खामोशी भरा रहा क्योंकि पूर्व के वर्षों में उनके घरों में समर्थकों, दोस्तों, परिवार के सदस्यों की भीड़ लगी रहती थी। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद तीनों नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। सरकार की घोषणा के एक सप्ताह बाद सोमवार को शहर के पॉश गुपकर रोड पर उनके आवास सुनसान रहे। आवासों के आसपास केवल सुरक्षा गाड़ियां ही नजर आ रही थीं। अधिकारियों ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला अपने आवास पर नजरबंद हैं, उनके बेटे और पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला हरि निवास पैलेस में हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पार्टी) प्रमुख महबूबा चश्मे शाही हट में हैं। अधिकारियों ने बताया कि पांच अगस्त को जिन दूसरे नेताओं को पकड़ा गया था, उन्होंने यहां सेंटूर होटल में नमाज अदा की।

370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली ईद मुबारक

पेज 1 का बाकी

हजार लोगों ने नमाज अदा की। जम्मू के ईदगाह में 4,500 से अधिक लोगों ने नमाज पढ़ी।' प्रधान सचिव और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के आधिकारिक प्रवक्ता रोहित कंसल के मुताबिक, 'राज्य की मस्जिदों में ईद की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से बीत गई। तीन छिटपुट प्रदर्शन हुए, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ।' उन्होंने कहा कि संभागीय और जिला प्रशासन ने लोगों के ईद-उल-अज़हा मनाने में सहूलियत के लिए व्यापक इंतजाम किए थे। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा था कि घाटी में ईद की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हो गई।

प्रवक्ता ने ट्वीट किया, 'घाटी के अनेक हिस्सों में ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। अभी तक किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है।' जम्मू में उपायुक्त सुषमा चौहान और बड़ी संख्या में हिंदुओं ने मुसलमानों को बधाई दी। संवेदनशील किश्तवाड़, डोडा, रामबन, पुंछ और राजौरी जिलों से प्राप्त खबर के अनुसार ईद की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। किश्तवाड़ के उपायुक्त एएस राणा ने कहा, 'ईद की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। निषेधाज्ञा में ढील दी गई थी और लोगों ने खुशी-खुशी ईद मनाई।'

पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त करने और राज्य को दो हिस्सों में बांटने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद से घाटी में कड़ी सुरक्षा है, आवाजाही पर प्रतिबंध है और संचार सुविधा बंद कर दी गई है। इससे घाटी में जनजीवन प्रभावित है। ईद-उल-अजहा के मौके पर घाटी में प्रतिबंधों में थोड़ी छूट दी गई थी, ताकि लोग त्योहार के लिए खरीदारी कर सकें।

इस बीच, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को कहा कि कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर प्रदेश में ईद उल अजहा त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो गया और कश्मीर घाटी में किसी तरह की गोलीबारी की घटना नहीं हुई। पुलिस महानिरीक्षक एस पी पाणी ने कहा, 'अलग-अलग मस्जिदों में ईद की नमाज संपन्न हुई और नमाज के बाद भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से रवाना हुई।'

नए विधि महाविद्यालय खोलने पर तीन साल की रोक लगी

नई दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा)।

देश में धड़ल्ले से खुल रहे विधि महाविद्यालयों पर संज्ञान लेते हुए 'बार काउंसिल आफ इंडिया' (बीसीआइ) ने कानून की पढ़ाई के लिए नए संस्थान खोलने पर तीन साल की रोक लगा दी है। राज्यों द्वारा नए विधि महाविद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव पर यह रोक लागू होगी और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इसके दायरे से बाहर होंगे। बीसीआइ ने कहा कि वह मौजूदा संस्थानों के मानक को बेहतर करने पर जोर देगी और उपयुक्त बुनियादी ढांचा या अध्यापकों के अभाव वाले संस्थानों को अगले तीन साल में बंद कर दिया जाएगा।

वकीलों की शीर्ष संस्था ने राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से कदाचार रोकने और सभी महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में चार महीने की अवधि में रिक्तियां भरने का अनुरोध किया है। बीसीआइ ने कहा कि देश में वकीलों की कोई कमी नहीं है और मौजूदा संस्थान सालाना जरूरी संख्या में विधि स्नातक देने के लिए पर्याप्त हैं। साथ ही, बीसीआइ देश में कानून के अध्यापकों को प्रशिक्षित करेगी। वकीलों की संस्था ने कहा कि देश में करीब 1,500 विधि महाविद्यालय हैं और विश्वविद्यालयों व कुछ राज्यों के सुस्त रवैये के चलते कई कालेज बगैर उपयुक्त बुनियादी ढांचे के संचालित हो रहे हैं। राज्य सरकारें अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी कर रही हैं और विश्वविद्यालय उन्हें धड़ल्ले से मान्यता प्रदान कर रहे हैं।

बीसीआइ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की भी निंदा करते हुए कहा कि 90 फीसद विधि महाविद्यालयों को अपने मानकों को बेहतर करने के लिए कोई अनुदान नहीं मिलता। इसने यह भी कहा कि एलएलएम या पीएचडी(लॉ) हासिल करना बहुत आसान है, इस वजह से देश में कानून के अच्छे अध्यापकों का अभाव है। बीसीआइ ने कहा, 'एलएलएम और पीएचडी की डिग्री बीसीआइ के नियंत्रण के तहत नहीं है और एलएलबी डिग्री की सिर्फ मंजूरी/मान्यता ही इसके दायरे में है।' इसने कहा कि विश्वविद्यालयों को नए महाविद्यालयों को मान्यता देने को रोकने का अनुरोध किया गया था लेकिन फिर भी 300 एनओसी जारी कर दिए गए। बीसीआइ ने यह भी कहा कि वह नए संस्थानों के लिए सिर्फ लंबित प्रस्तावों पर विचार करेगी और नए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

देवगौड़ा ने बाढ़ प्रभावित कर्नाटक के लिए मांगे 5,000 करोड़ रुपए

बंगलुरु, 12 अगस्त (भाषा)।

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाढ़ प्रभावित कर्नाटक को अंतरिम राहत के तौर पर 5,000 करोड़ रुपए देने और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का अनुरोध किया।

जद (सेकु) प्रमुख देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में कहा है कि उन्होंने छह दशक के अपने राजनीतिक करियर में जानमाल का ऐसा नुकसान कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा, 'इसलिए, मैं आपसे इस प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का अनुरोध करता हूं।' उन्होंने पत्र में कहा, 'मैं आपसे अंतरिम राहत के तौर पर 5,000 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध करता हूं।' उन्होंने कहा, 'मुझे आशा है कि भारत सरकार जरूरत की इस घड़ी में राज्य की बड़ी आबादी की ओर मदद का हाथ बढ़ाएगी, जो एक बड़ी आपदा का सामना कर रही है।'

संसदीय संस्थानों की कार्यप्रणाली पर शोध की शुरुआत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 अगस्त।

संसद के उच्च सदन की ओर से संसदीय संस्थानों की कार्यप्रणाली, सामाजिक-आर्थिक बदलाव पर विधान का प्रभाव और विभिन्न संसदीय उपकरण जैसे विभिन्न समितियों का प्रभाव पर केंद्रित अध्ययन और इनको बढ़ावा देने के लिए शोध की शुरुआत की है।

राज्यसभा के सभापति एम. वेकैंया नायडू की ओर से स्वीकृत इस योजना के तीन घटक हैं। 22.50 लाख रुपए की सहायता के साथ डॉक्टर एस. राधाकृष्णन चेयर, 8.50 लाख रुपए प्रति सहायता के साथ चार छात्रवृत्तियां और 10 हजार रुपए प्रति छात्र स्टाइपेंड के साथ राज्य सभा के दस विद्यार्थियों को इंटर्नशिप दी जाएगी। यह योजना 58.50 लाख रुपए की होती है।

यह योजना राज्यसभा सांसदों, दोनों सदनों के वर्तमान व पूर्व महासचिवों, प्रमुख शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं से गहन चर्चा के बाद तैयार की गई है। इसकी अध्यक्षता सभापति ने की थी। रिपोर्ट समय से मिलें, इसके लिए आर्थिक सहायता प्रोजेक्टर की प्रगति के आधार पर जारी की जाएगी। रिपोर्ट हर छह महीने में जमा की जाएगी। डॉक्टर राधाकृष्णन चेयर की अवधि दो साल, छात्रवृत्ति की अवधि 18 महीने जबकि स्नातक या स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दो-दो महीने की इंटर्नशिप दी जाएगी।

38वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए आचार्य किशोरी दास वाजपेयी

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 12 अगस्त।

38वीं पुण्यतिथि पर व्याकरणाचार्य आचार्य किशोरी दास वाजपेयी याद किए गए। पत्रकारों, विचारकों और हिंदी प्रेमियों ने केंद्र सरकार से आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के नाम पर डाक टिकट जारी करने तथा हरिद्वार में किसी एक विश्वविद्यालय में हिंदी शोधपीठ स्थापित करने की मांग की।

आचार्य वाजपेयी की पुण्यतिथि प्रेस क्लब हरिद्वार के बैनर तले उनकी कर्मस्थली कनखल चौक बाजार में स्थित आचार्य के प्रतिमा स्थल वाजपेयी चौक पर मनाई गई। हिंदी प्रेमियों ने आचार्य वाजपेयी का भावपूर्ण स्मरण करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।

प्रेस क्लब हरिद्वार के वाजपेयी भवन में आयोजित संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए क्लब के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि वाजपेयी जी के नाम पर डाक टिकट जारी कराने और हिंदी शोधपीठ की स्थापना के लिए शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक से मिलेगा।इस मौके पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उत्तराखंड के जिलाध्यक्ष दीपक नौटियाल ने कहा कि आचार्य वाजपेयी हिंदी व्याकरण के पाणिनी थे। उन्होंने कभी भी हिंदी की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया। वरिष्ठ पत्रकार अविक्षित रमन ने कहा कि वाजपेयी जी समकालीन साहित्यकारों को हिंदी की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए लगातार प्रेरित करते रहते थे।

DELTA INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED
Regd. Off: Shop No. 325, Third Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
Tel: 011-27860681, Email Id: deltainditd@gmail.com Website: www.dirl.in
CIN: L52110DL1984PLC019625

Extracts of the Standalone Unaudited Financial Results For the Quarter Ended 30th June, 2019 (₹ in lacs)

Sl. No.	Particulars	Three Month Ended 30.06.2019	Three Month Ended 31.03.2019	Three Month Ended 30.06.2018	Year Ended 31.03.2019 (Audited)
1.	Total income from operations	7.45	4.91	614.02	638.72
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3.25	(39.63)	8.43	(14.13)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.25	(39.63)	8.43	(14.13)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.41	(32.99)	6.24	(14.11)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	2.47	(33.23)	5.83	(14.68)
6.	Equity Share Capital	539.30	539.30	539.30	539.30
7.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	1. Basic :	0.05	(0.62)	0.12	(0.26)
	2. Diluted :	0.05	(0.62)	0.12	(0.26)

Note:
1. The Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2019 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 12th August, 2019.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange(s) website i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in) and Website of the Company i.e. (www.dirl.in)

For and on behalf of the Board of Directors
Delta Industrial Resources Limited
Sd/-
Kiran Mittal
(Director)
DIN: 00749265
Place: New Delhi
Date: 12.08.2019

PATBACK BUSINESS LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS CRAZYPRICING ONLINE SERVICES LIMITED)
Regd. Off.: Shop No. 325, Plot No. 3, Aggarwal Plaza, DDA Community Center, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
Email id: crazypricingdel@gmail.com, website: www.crazypricingonline.com
Ph No: 011-27860680, CIN: L74999DL1984PLC018747

Extract of the Standalone Unaudited Financial Results For the Quarter ended 30th June, 2019 (₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2019	Quarter Ended 31.03.2019	Quarter Ended 30.06.2018	Year Ended 31.03.2019 (Audited)
1.	Total income from operations	0.94	0.40	22.78	74.00
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.37)	(2.16)	(5.52)	(13.59)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.37)	(2.16)	(5.52)	(13.59)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.37)	(4.81)	(5.52)	(16.24)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(0.37)	(4.81)	(5.52)	(16.24)
6.	Equity Share Capital	24.80	24.80	24.80	24.80
7.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1. Basic :	(0.15)	(1.94)	(2.23)	(6.55)
	2. Diluted :	(0.15)	(1.94)	(2.23)	(6.55)

Note :
1. The Audited Standalone Financial Results for the quarter ended 30th June, 2019 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on Monday, 12th August, 2019.
2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange(s) website i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in) and Website of the Company i.e. (www.crazypricingonline.com).

For and on behalf of the Board of Directors of
Patback Business Limited
(Formerly known as Crazypricing Online Services Limited)
Sd/-
Pawan Kumar Mittal
(Director)
DIN: 00749265
Date : 12.08.2019
Place: New Delhi

VANI COMMERCIALS LIMITED
Regd. Off.: 'AASTHA', LP -11C, Pitampura, New Delhi - 110034
CIN: L74899DL1988PLC106425, Ph: 011-27324080
Website: www.vanicommercials.com, Email ID: info@vanicommercials.com
EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2019 (Amount in lakhs)

Sl. No.	Particulars	3 months ended 30.06.2019	Corresponding 3 months ended 30.06.2018	12 months ended 31.03.2019
1	Total Income from Operations	8.482	5.877	24.930
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and Exceptional items)	0.484	0.146	2.351
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	0.484	0.146	2.351
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	0.484	0.146	1.118
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	N.A	N.A	N.A
6	Equity Share Capital	411.980	411.980	411.980
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	0.000	0.000	3.449
8	Earnings Per Share (of ₹10/- each)			
	1. Basic (₹)	0.000	0.000	0.030
	2. Diluted (₹) :	0.000	0.000	0.030

Note: a) The above is an extract of the detailed format of the Statement of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed Financial Results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 12th August, 2019. The full format of the Statement of Unaudited Financial Results are available on the Company's website (www.vanicommercials.com) and on the website of BSE Limited (www.bseindia.com). b) The Limited Review, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed and the related Report does not have any impact on the above 'Results and Notes' for the Quarter ended 30th June, 2019 which needs to be explained.

By order of the Board
For Vani Commercials Limited
Sd/-
Neha Karia
Managing Director & CFO
DIN: 07894660
Place: New Delhi
Date: 12th August 2019

केन फिन होम्स लि.
गाजियाबाद शाखा, सी-18, प्रथम तल, आरडीसी, राजनगर, गाजियाबाद, उ.प्र.- 201001, सम्पर्क नं.: 0120- 4086097, मोबाईल नं. 7625079222,
ई-मेल: ghaziabad@canfinhomes.com
CIN: L85110KA1987PLC008699

(देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत केन फिन होम्स लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप तथा उक्त अधिनियम तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित तिथि को जारी कर निम्नलिखित ऋणधारकों/ सह-ऋणधारकों/ गारन्टरों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि के साथ वसूली की तिथि तक अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यहां नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

क्रम सं.	ऋणधारकों तथा गारन्टरों का नाम	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	बकाया राशि	कब्जा की तिथि
1.	श्रीमती फरहत बेगम, श्री सैयद लियाकत एवं श्री सर्वेश कुमार	प्लॉट नं. 02, खसरा नं. 1582, ग्राम सरणना, मुरादनगर, मोदीनगर, गाजियाबाद, उ.प्र. में मकान	3.6.2019	रु. 2447750	5.8.2019
2.	श्री सुनील, श्रीमती मीना त्यागी, एवं श्री जीतेन्द्र कुमार त्यागी	मकान स. 36, खसरा नं. 534 में, वार्ड नं. 12, मोहल्ला सतलोक आश्रम, हंश कॉलोनी, मुरादनगर, गाजियाबाद, उ.प्र.	3.6.2019	रु. 10,00,992	5.8.2019

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे इस सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी तरह का व्यवसाय वसूली की तिथि तक उस पर आगे के ब्याज के साथ प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष वर्णित राशि के लिये (सीएफएचएल) के चार्ज के अधीन होगा।

तिथि: 12 अगस्त, 2019
स्थान: गाजियाबाद
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
केन फिन होम्स लि.

"Form No. INC-26
[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another
Before the Central Government Northern Region
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the matter of **Futuristic Software Solutions Private Limited**, having its registered office at A-14 B, Khasra No-60/3, Naresh Park Industrial Area, Main Najafgarh Road, Nangloi, New Delhi - 110041, Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 12/08/2019 to enable the company to change its Registered Office from **"National Capital Territory of Delhi"** to **"State of Rajasthan"**.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver **either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form** or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003, within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below:
A-14 B, Khasra No-60/3, Naresh Park Industrial Area, Main Najafgarh Road, Nangloi, New Delhi - 110041

For and on behalf of the Applicant
Sd/-
Rajesh Jaipuria
Director
DIN: 00303494
Date : 13/08/2019
Place : Delhi

ओसवाल लीजिंग लिमिटेड
[illegible] www.owmnahar.com

दिनांक 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2019 (अलेखित)	समाप्त तिमाही 31.03.2019 (अंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30.06.2018 (अलेखित)	समाप्त वर्ष 31.03.2019 (अंकेक्षित)
1.	[illegible]	4.23	60.16	4.33	73.59
2.	[illegible]	1.79	3.11	0.77	10.48
3.	[illegible]	1.79	3.11	0.77	10.48
4.	[illegible]	1.31	2.33	0.57	7.96
5.	[illegible]	1.51	4.40	0.57	10.03
6.	इक्विटी शेयर पूंजी [illegible]	50.00	50.00	50.00	50.00
7.	[illegible]				221.85
8.	[illegible]	0.26	0.88	0.11	3.01

टिप्पणी: [illegible] (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.owmnahar.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते ओसवाल लीजिंग लिमिटेड
दिनांक: 12.08.2019
स्थान: नई दिल्ली

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के समेकित एवं एकल वित्तीय परिणामों का विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	समेकित: समाप्त तिमाही 30 जून 2019 अनअंकेक्षित	समाप्त तिमाही 31 मार्च 2019 अंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30 जून 2018 अनअंकेक्षित	समाप्त वार्षिक 31 मार्च 2019 अंकेक्षित
1. परिचालनों से कुल आय	70,826	77,139	77,827	3,09,197
2. अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवादित एवं/अथवा असाधारण वस्तुओं से पूर्व)	3,286	5,809	5,066	21,851
3. अवधि के लिए कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादित एवं/अथवा असाधारण वस्तुओं के बाद)	3,286	5,809	5,066	23,603
4. अवधि के लिए कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादित एवं/अथवा असाधारण वस्तुओं के बाद)	2,120	4,192	3,631	16,922
5. अवधि के लिए कुल व्यापक आय {अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात्) तथा अन्य व्यापक आयों को सम्मिलित करके (कर पश्चात्)}	2,063	3,815	3,274	15,936
6. इक्विटी शेयर पूंजी	4,525	4,525	4,518	4,525
7. रिजर्व (पुर्नमूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर, जिसे पूर्व वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट में दर्शाया गया है)	-	-	-	1,14,978
7. प्रति शेयर आय (₹2 प्रत्येक) (जारी और बंद किए गए परिचालनों के लिए) वार्षिक नहीं				
अ) मूल (₹)	0.95	1.89	1.71	7.69
ब) तरल (₹)	0.93	1.84	1.67	7.52

(₹ लाखों में)

विवरण	एकल: समाप्त तिमाही 30 जून 2019 अनअंकेक्षित	समाप्त तिमाही 31 मार्च 2019 अंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30 जून 2018 अनअंकेक्षित	समाप्त वार्षिक 31 मार्च 2019 अंकेक्षित
1. कुल आय	57,083	61,054	56,333	2,41,184
2. कर के पूर्व परिचालनों से आय	4,184	5,527	4,188	22,807
3. अवधि के लिए कर पश्चात् लाभ	2,825	4,104	2,840	16,058

टिप्पणियां:
1. उपरोक्त वित्तीय परिणामों को 12 अगस्त, 2019 को अंकेक्षण समिति द्वारा समीक्षाकृत की गई एवं उसी तारीख को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2. उपरोक्त परिणाम भारतीय लेखा मानक (Ind AS) द्वारा निर्धारित तथा उसके साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के साथ पठित प्रासंगिक नियमों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों को जिसे आमतौर पर भारत में स्वीकार किया जाता है, के अनुसार तैयार किए गए हैं।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 एवं 232 के प्रावधानों के तहत समामेलन की योजना (योजना) मिंडा साई लिमिटेड, मिंडा ऑटोमोटिव सोल्यूशन्स लिमिटेड, मिंडा मैनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड, मिंडा ऑटोइलेक्ट्रिक लिमिटेड एवं मिंडा टेलीमेटिक्स एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में ईआई लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) (सभी साथ में ''अंतरक कंपनी'' के रूप में संदर्भित) के साथ मिंडा कार्पोरेशन लिमिटेड (अंतरिती कंपनी) 19 जुलाई, 2019 को अपने आदेश में माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया, 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक के वित्तीय परिणाम (एकल एवं समेकित) जो पहले 28 मई, 2019 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए थे, उसे केवल प्रस्ताव के पूर्वोक्त योजना को प्रभावी करने हेतु फिर से प्रस्तुत किए गए हैं।
4. उपरोक्त सेबी (सूचीकरण एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दायर किए गये 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। समेकित एवं एकल वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com, www.bseindia.com एवं कम्पनी की वेबसाइट www.minda.co.in पर उपलब्ध हैं।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से
हस्ता/-
अशोक मिंडा
अध्यक्ष एवं समूह मुख्य अधिशासी अधिकारी

स्थान: गुरूग्राम
तिथि: 12 अगस्त, 2019

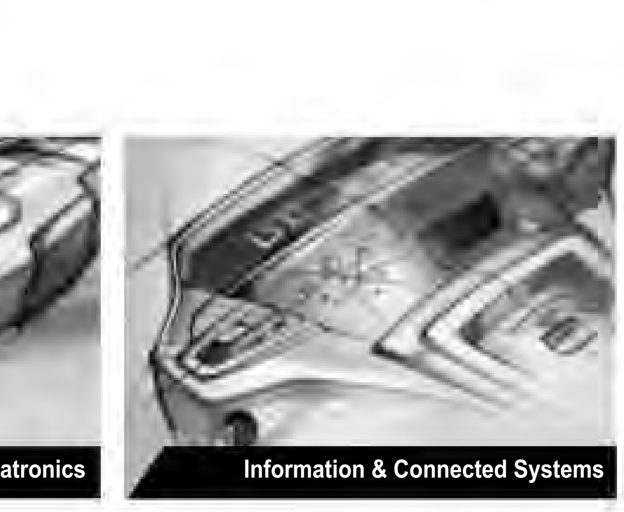

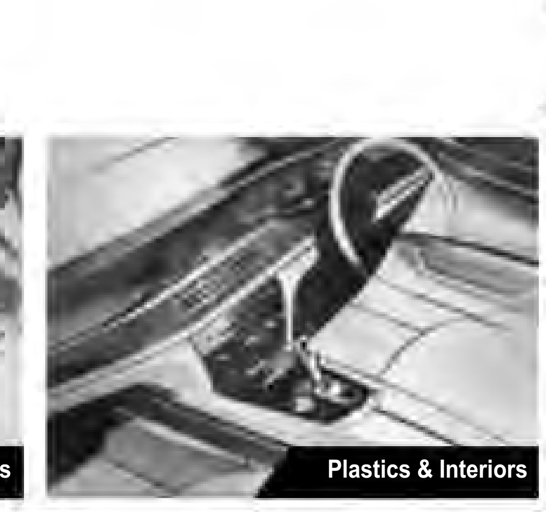

पंजीकृत कार्यालय:
ए-15, अशोक विहार, फेज़-I
दिल्ली-110052
सीआईएन: L74899DL1985PLC020401
फोन: +91 124 4698400
फैक्स: +91 124 4698450
ई-मेल: investor@minda.co.in
वेबसाइट: www.minda.co.in

Minda Corporation is the flagship company of Spark Minda. The Group is one of the leading automotive component manufacturer in India with a pan-India presence and significant international footprint.

श्रीनगर के केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान को फिर से शुरू करने की तैयारी

बरेली (उप्र), 12 अगस्त (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर में स्थिति सामान्य होती देख भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आइवीआरआइ) कश्मीर में बरसों से बंद पड़े अपने अनुसंधान केंद्र को फिर से शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। आइवीआरआई के निदेशक आरके सिंह ने बताया कि श्रीनगर स्थित केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान (सीएसआरआइ) नब्बे के दशक में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बंद कर दिया था। वहां के वैज्ञानिक आइवीआरआई बरेली समेत देश के कई स्थानों पर तैनात कर दिए गए थे।

सिंह ने बताया कि जम्मू-कश्मीर का सीएसआरआइ-श्रीनगर भेड़ पर अनुसंधान कर वैक्सीन बनाता था। भारी ठंड के कारण भेड़ के फेफड़ों में होने वाली बीमारी से निपटने के लिए वैज्ञानिक 'फ्लो वर्म' वैक्सीन तैयार कर उपचार करते थे। वैक्सीन की आपूर्ति नेपाल, भूटान और हिमाचल प्रदेश को होती थी। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में धारी 370 समाप्त होते ही हालात बदलना शुरू हो गए हैं, इसलिए आइवीआरआइ अब अपने बंद पड़े अनुसंधान संस्थान और अन्य केंद्र खोलने की कवायद में जुट गया है।

पानी की टंकी ढह जाने से तीन मरे

अमदाबाद, 12 अगस्त (भाषा)।

गुजरात के अमदाबाद में सोमवार को पानी की टंकी के ढह कर एक कैटरिंग इकाई के मजदूरों पर गिर जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। यह हादसा शहर के बोपाल क्षेत्र में हुई जहां पिछले हफ्ते भारी बारिश हुई थी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक सरकारी जमीन पर लगा दो दशक पुराना पानी की टंकी ढह कर बगल के भूखंड के कैटरिंग इकाई में काम कर रहे कुछ लोगों के ऊपर गिर गई। घायल हुए नौ व्यक्तियों को सोला सिविल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक आरएम जितिया ने कहा, 'तीन की पहले ही मौत हो चुकी थी जबकि छह अन्य का इलाज चल रहा है। दो की हालत गंभीर है।' अमदाबाद के जिलाधिकारी विक्रांत पांडे ने कहा कि इस घटना की जांच के लिए समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा, '1997 में नगरपालिका ने पानी की यह टंकी बनवाई थी। जमीन धंसने के कारण यह गिर गई। जांच के आदेश दे दिए गए हैं और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।'

मधुमक्खियों का हमला, 22 बच्चों सहित 27 घायल

बुरहानपुर (मध्य प्रदेश), 12 अगस्त (भाषा)।

बुरहानपुर जिले में निंबोला थानांतर्गत असीरगढ़ के पास पांधार नदी के किनारे मधुमक्खियों के हमले में 22 बच्चों सहित 27 लोग घायल हो गए।

रविवार शाम को बुरहानपुर जिला मुख्यालय से करीब 27 किलोमीटर दूर असीरगढ़ के पास पांधार नदी के किनारे मधुमक्खियों के काटने से 27 लोग घायल हो गए, जिनमें 22 बच्चे, 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं।

उत्तराखंड के मंत्री के रक्षा सूत्र कार्यक्रम में भगदड़, बच्ची बेहोश

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 12 अगस्त।

उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री व हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक द्वारा हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आयोजित रक्षा सूत्र कार्यक्रम में महिलाओं की भारी भीड़ आने से भगदड़ के हालात बन गए। आपाधापी में एक बच्ची बेहोश हो गई। महिलाओं की भारी भीड़ को रोकने के लिए आयोजकों को समारोह स्थल के मुख्य द्वार पर ताला लगाना पड़ा। हर साल मदन कौशिक रक्षाबंधन से पहले हरिद्वार क्षेत्र की तमाम महिलाओं को कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं और उनसे रक्षा सूत्र बंधवाते हैं। इस साल हुए कार्यक्रम में महिलाओं की ज्यादा भीड़ आने के कारण भगदड़ जैसे हालात बन गए।

"फार्म नं0 आईएनसी-26"
[कंपनी (निगमन) विनियमन, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण को लेकर समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन

समक्ष केंद्र सरकार
(क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कंपनी (निगमन) विनियमन, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) की धारा (अ) के मामले में
- तथा -
ओरियंटल मैटकेम लिमिटेड, (CIN : U27109DL1990PLC005739) जिसका पंजीकृत कार्यालय : 13, मस्जिद मोठ, डीडीए कॉमर्शियल कॉमप्लेक्स, नई दिल्ली 110048 में स्थित है, के मामले में ..... आवेदक

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 08 **जुलाई,** 2019 को आयोजित वार्षिक आमसभा/ **विशेष आमसभा** में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन के पुष्टीकरण हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कंपनी केंद्र सरकार को एक आवेदन दाखिल करेगी ताकि कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय का स्थानांतरण **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली"** से **"छत्तीसगढ़ राज्य"** में करने का अधिकार प्राप्त हो जाए।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से प्रभावित हो, तो वह हलफनामे में विरोध के आधार व प्रभावित होने वाले अपने/ अपनी हित की प्रकृति का जिक्र कर अपने/ अपनी आपत्ति इस सूचना की प्रकाशन तिथि से **चौदह दिनों** के भीतर **निवेशक शिकायत फार्म भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर प्रेषित करें अथवा **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-** 110003 के पते पर दाखिल करें अथवा पंजीकृत डाक से उनके पास पहुंच जाए तथा उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को भी उसके अधोलिखित पते पर पंजीकृत कार्यालय में भिजवाएं : 13, मस्जिद मोठ, डीडीए कॉमर्शियल कॉमप्लेक्स, नई दिल्ली 110048

वास्ते तथा आवेदक की ओर से
ओरियंटल मैटकेम लिमिटेड
हस्ता/- **गीतिका जैन**
दिनांक : 12.08.2019 **निदेशक**
स्थान : नई दिल्ली **DIN: 00207695**

"फार्म नं0 आईएनसी-26"
[कंपनी (निगमन) विनियमन, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण को लेकर समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन

समक्ष केंद्र सरकार
(क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कंपनी (निगमन) विनियमन, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) की धारा (अ) के मामले में
- तथा -
क्रिनर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, (CIN : U74899DL1984PTC019399) जिसका पंजीकृत कार्यालय : 803, आकाशद्वीप, 26-ए, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली सेंट्रल, दिल्ली 110001 में स्थित है, के मामले में ..... आवेदक

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 24 **जून,** 2019 को आयोजित वार्षिक आमसभा/ **विशेष आमसभा** में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन के पुष्टीकरण हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कंपनी केंद्र सरकार को एक आवेदन दाखिल करेगी ताकि कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय का स्थानांतरण **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली"** से **"छत्तीसगढ़ राज्य"** में करने का अधिकार प्राप्त हो जाए।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से प्रभावित हो, तो वह हलफनामे में विरोध के आधार व प्रभावित होने वाले अपने/ अपनी हित की प्रकृति का जिक्र कर अपने/ अपनी आपत्ति इस सूचना की प्रकाशन तिथि से **चौदह दिनों** के भीतर **निवेशक शिकायत फार्म भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर प्रेषित करें अथवा **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-** 110003 के पते पर दाखिल करें अथवा पंजीकृत डाक से उनके पास पहुंच जाए तथा उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को भी उसके अधोलिखित पते पर पंजीकृत कार्यालय में भिजवाएं : 803, आकाशद्वीप, 26-ए, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली सेंट्रल, दिल्ली 110001

वास्ते तथा आवेदक की ओर से
क्रिनर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/- **अरविंद कुमार जैन**
दिनांक : 12.08.2019 **निदेशक**
स्थान : नई दिल्ली **DIN: 00207106**

शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र जेडीएस फाइनांस कम्पनी लिमिटेड द्वारा कम्पनी का 30 जून को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित स्टैण्डएलोन वित्तीय परिणामों का सार के विषय में जारी **जनसत्ता, 11 अगस्त, 2019** अंक में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में है।
इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि असावधानीवश उक्त विज्ञापन में एक त्रुटि हुई है, जिसके फलस्वरूप कम्पनी का **"CIN : L65999DL1984PLC018035"** के स्थान पर "CIN: L65999DL1984PLC18035" प्रकाशित हुआ है।
अतः कृपया निम्नलिखित शुद्धि नोट करें :
शुद्धि :
विज्ञापन में कम्पनी का "CIN: L65999DL1984PLC18035" के स्थान पर **"CIN : L65999DL1984PLC018035"** पढ़ें।
शेष सूचना यथावत रहेगी।
असुविधा के लिए खेद है।

RCC CEMENTS LIMITED

CIN: L26942DL1991PLC043776
पंजी. कार्या.: 702, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-43571044; फैक्स: 011-43571047,
वेबसाईट: www.rcccements.com, ई-मेल: rcccementslimited@gmail.com
30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का सार
(रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.6.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30.6.2018 (अनंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.3.2019 (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	0	0	0
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(2.42)	(2.68)	(11.15)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों के बाद)	(2.42)	(2.68)	(11.15)
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(2.42)	(2.68)	(11.16)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	(2.42)	(2.68)	(11.16)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	560.20	560.20	560.20
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन-पत्र में दर्शाये गये पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)	-	-	(171.84)
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिये) मूलः	(0.04)	(0.05)	(0.2)
	तरलः	(0.04)	(0.05)	(0.2)

टिप्पणीः उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा), 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की गई 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। उक्त तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप बीएसई की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट पर **www.rcccements.com** पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से
आरसीसी सीमेन्ट्स लिमिटेड
हस्ता./-
(सुनील कुमार)
स्थानः नई दिल्ली प्रबंध निदेशक
तिथिः 12 अगस्त, 2019 **DIN: 00175301**

METAL COATINGS (INDIA) LIMITED

CIN : L74899DL1994PLC063387
Registered office : 912, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi-110019
Phone : 011-41808125, **Website :** www.mcil.net, **Email :** info@mcilindia.net
EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2019
(Rs. in lakhs)

Particulars	Quarter Ended 30.06.2019 (Un-audited)	Quarter Ended 30.06.2018 (Un-audited)	Year ended 31.03.2019 (Audited)
Total Income from Operations	3690.49	3719.82	15406.47
Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	68.79	68.57	407.91
Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	68.79	68.57	407.91
Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	55.63	55.44	307.33
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax)	46.75	48.13	272.00
Equity Share Capital (Rs. 10 each)	732.68	732.68	732.68
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year (Other Equity)			1,937.80
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) - Rs.			
- Basic	0.76	0.76	4.19
- Diluted	0.76	0.76	4.19

Notes:-
1- The results have been reviewed by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 12th August, 2019. The statutory auditors of the company have carried out a Limited Review of the Results for the quarter ended 30th June, 2019.
2- The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended 30th June, 2019 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended 30th June, 2019 are available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com and also on the company's website at www.mcil.net.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Pramod Khandelwal
Place : New Delhi (Managing Director)
Dated : 12th August, 2019 DIN : 00124082

फार्म जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिये आमंत्रण

(दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अंतर्गत)

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	अनुश फिनलीज एंड कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	28.1.1997
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत हैं	आरओसी-दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U65910DL1997PTC084696
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	प्लॉट नं. 11, सीबीडी सेन्टर, शाहदरा, दिल्ली-110032
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	30.05.2019
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	13.08.2019
8.	संहिता की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध हैः	विवरण cirp.anushfinlease@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	विवरण cirp.anushfinlease@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	28.8.2019
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	7.9.2019
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	12.09.2019
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	22.09.2019
14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	12.09.2019
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम (आईएम) तथा गोपनीयता के अंडरटैकिंग का प्रारूप cirp.anshufinlease@gmail.com को संशोधित अनुरोध भेजने पर शेयर की जायेगी।
16.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	12.10.2019
17.	प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	समर्थक सूचना दस्तावेजों तथा विभिन्न प्रपत्रों/शपथपत्रों प्राधिकारों के साथ प्रस्ताव योजना अधोलिखित पतेः 359, उद्योग विहार फेज-II, सेक्टर-20, गुड़गांव, हरियाणा-122016 पर प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास जमा की जायेगी तथा इलेक्ट्रानिक रूप से निम्न मेल आईडीः cirp.anushfinlease@gmail.com पर प्रेषित की जायेगी
18.	स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि	11.11.2019
19.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	आशीष गुप्ता, पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00687/2017-18/11164
20.	बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल	आशीष गुप्ता 1/4852, गली नं. 10, बलबीर नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली-110032 ईमेल आईडीः aashish_ca@rediffmail.com
21.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	359, उद्योग विहार फेज-II, सेक्टर-20, गुड़गांव हरियाणा-122016, cirp.anushfinlease@gmail.com
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं	रिजॉल्यूशन प्रॉफेशनल आशीष गुप्ता हरियाणा के पास
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	समाचार पत्र प्रकाशन की तिथिः 13.08.2019

हस्ता./-
आशीष गुप्ता
तिथिः 13.08.2019 रिजॉल्यूशन प्रॉफेशनल
स्थानः गुड़गांव IBBI/IPA-001/IP-P00687/2017-18/11164
अनुश फिनलीज एंड कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के लिये

ऑस्कर ग्लोबल लिमिटेड

पंजीकृत. कार्यालय- 1/22, दूसरा तल, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
टेलीः 9810337978, वेबसाइट: www.oscar-global.net,
ईमेल: oscar@oscar-global.com
CIN: L51909DL1990PLC041701,
30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के स्टैंडएलॉन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार
(रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.6.2019 अनंकेक्षित	समाप्त चालू वर्ष 31.3.2019 अंकेक्षित	पूर्व वर्ष 30.06.2018 में समाप्त तत्स्थानीय 3 महीने अनंकेक्षित अनंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	1.32	465.09	69.48
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(41.96)	(11.32)	(25.43)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(41.96)	(11.32)	(25.43)
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(41.96)	(11.08)	(25.43)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	(41.96)	(11.08)	(25.43)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	329.18	329.18	329.18
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	निल	70.55	निल
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)			
	क) मूल :	(1.27)	(0.34)	(0.77)
	ख) तरल :	(1.27)	(0.34)	(0.77)

टिप्पणीः
1. उपरोक्त अनंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों जिसकी ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई, को 12.08.2019 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए। सांविधिक ऑडिटरों ने अपनी सीमित समीक्षा रिपोर्ट में अन्क्वालिफायड तथा असंशोधित मत प्रकट किये हैं।
2. इन विवरणों को उसके अंतर्गत जारी संबंधित नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 तथा सेबी सर्क्युलर नं. CIR/CFDD/FAC/62/2016 तिथि 5 जुलाई, 2016 के अंतर्गत निर्दिष्ट कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 (इंड एएस) के अनुसार तैयार किया गया है।
3. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। इन वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.oscar-global.net) पर उपलब्ध हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से
ऑस्कर ग्लोबल लिमिटेड
हस्ता/-
(करण कणिका वर्मा)
तिथिः 12.08.2019 अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
स्थानः नोएडा DIN:0034343

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT PUBLISHED ON JANUARY 03, 2019
FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

SALEM ERODE INVESTMENTS LIMITED

Registered Office: 14, Motilal Nehru Road, Kolkata, West Bengal 700029, India
Tel: + 91- 33- 4003 2108; Email: salemerodeinvestmentsltd@gmail.com; Website: www.salemerode.com,
CORPORATE INDENTIFICATION NUMBER: L31200WB1931PLC007116

This corrigendum to the Detailed Public Statement dated January 02, 2019 ("**DPS**") ("**Corrigendum**") is being issued by, Saffron Capital Advisors Private Limited ("**Manager to the Offer**"), on behalf of, ICL Fincorp Limited (**"Acquirer"**), pursuant to Regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto, (**"Takeover Regulations"**) in respect of the open offer ("**Offer/ Open Offer**") for acquisition of up to 29,50,280 (Twenty Nine Lakhs Fifty Thousand Two Hundred Eighty only) fully paid-up equity shares of face value of Re. 1 each ("**Offer Shares**"), representing **#25.73%** of the total voting share capital of Salem Erode Investments Limited ("**Target Company**") on a fully diluted basis, as of the tenth working day from the date of closure of the tendering period of the open offer ("**Voting Share Capital**"), from the public shareholders ("**Public Shareholders**") of the Target Company for cash at a price of Rs. 26.40/- per Offer Share. The DPS with respect to the aforementioned Open Offer was published in all the editions of Financial Express (English National Daily), Jansatta (Hindi National Daily), Mumbai Lakshadeep (Marathi Daily) and Duranta Barta (Regional Daily where the Registered Office of the Target Company is situated).

(# As per Takeover Regulations, the Open Offer under regulations 3 and 4 shall be for at least 26% of the total shares of the target company, as of 10th working day from the closure of the tendering period. However, the public shareholding of the Target Company is 25.73% as on date, and therefore, the Offer Shares represent 25.73% of the fully diluted Voting Share Capital of the Target Company.)

This Corrigendum is being issued pursuant to changes/amendments advised by SEBI vide its letter number SEBI/HO/CFD/DCR1/OW/P/2019/19356 dated July 30, 2019. Capitalized terms used in this Corrigendum but not defined herein shall have the same meaning as assigned to them in the DPS. This Corrigendum is being issued in all the newspapers in which the original DPS was published.

The Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information related to the Open Offer:

A) The revised schedule of activities pertaining to the Open Offer is set forth below:

Activity	Day and Date (Original)	Day and Date (Revised)
Public Announcement (PA)	Friday, December 28, 2018	Friday, December 28, 2018
Publication of DPS in the newspapers	Friday, January 04, 2019	Friday, January 04, 2019
Filing of the draft letter of offer with SEBI	Friday, January 11, 2019	Friday, January 11, 2019
Last date for a competitive bid	Friday, January 25, 2019	Friday, January 25, 2019
Last date for SEBI observations on draft letter of offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Offer)	Friday, February 01, 2019	Tuesday, July 30, 2019
Identified Date*	Tuesday, February 05, 2019	Thursday, August 01, 2019
Letter of Offer ("LOF") to be dispatched to shareholders	Tuesday, February 12, 2019	Thursday, August 08, 2019
Last date for revising the Offer price/ number of shares	Monday, February 18, 2019	Friday, August 16, 2019
Last Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendation	Friday, February 15, 2019	Wednesday, August 14, 2019
Date of publication of Offer Opening Public Announcement	Monday, February 18, 2019	Friday, August 16, 2019
Date of commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	Wednesday, February 20, 2019	Monday, August 19, 2019
Date of Expiry of Tendering Period (Offer Closing Date)	Wednesday, March 06, 2019	Friday, August 30, 2019
Last Date for completion of all requirements including payment of consideration	Wednesday, March 20, 2019	Tuesday, September 17, 2019

Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Public Shareholders of the Target Company as on such date to whom the LOF would be sent. It is clarified that all the Public Shareholders holding Offer Shares of the Target Company (registered or unregistered) (except the Acquirer and Promoter and Promoter group shareholders of the Target Company) are eligible to participate in this Open Offer any time before the closure of this Open Offer.

B) STATUTORY AND OTHER APPROVALS

The Target Company made application to RBI under "Non- Banking Financial Companies (Approval of Acquisition or Transfer of Control) Directions, 2015" in terms of RBI Notification No. DNBR. (PD) 029/CGM(CDS)-2015 dated July 09, 2015 for transfer of management and control of Non- Banking Finance Company and received approval from RBI vide letter DNBS.RO.KOL.3117/08.02.400/2018-19 dated February 19, 2019 which is valid till August 18, 2019 ("Validity of RBI Approval"). Further, Target Company sought extension in Validity of RBI Approval, to which RBI acceded vide letter DNBS.RO.KOL.NO.238/08.02.400/2019-20 dated August 07, 2019. The Validity of RBI Approval has been extended by period of two months and is now valid upto October 06, 2019.

C) INSTRUCTIONS FOR PUBLIC SHAREHOLDERS

a) In case of Offer Shares held in physical form: a) As per the proviso to Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations (as amended by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018), effective from April 01, 2019, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository. b) In the proposed Open Offer, considering the timelines of activities prescribed under the Takeover Regulations, the acceptance of tendered shares will be undertaken after April 01, 2019. **ACCORDINGLY, THE PUBLIC SHAREHOLDERS WHO ARE HOLDING OFFER SHARES IN PHYSICAL FORM AND ARE DESIROUS OF TENDERING THEIR OFFER SHARES IN THE OPEN OFFER CAN DO SO ONLY AFTER THE OFFER SHARES ARE DEMATERIALIZED. SUCH PUBLIC SHAREHOLDERS ARE ADVISED TO APPROACH ANY DEPOSITORY PARTICIPANT TO HAVE THEIR OFFER SHARES DEMATERIALIZED.**

b) In case of Offer Shares held in dematerialized form: Public Shareholders may participate in the Open Offer by approaching their broker/selling member and tender shares in the Open Offer as per the procedure as mentioned in the **LOF** along with other details.

The public shareholders holding shares in demat mode (including those physical shareholders who demat their physical shares for the purpose of tendering it in the open offer) are not required to fill any form of acceptance.

D) OTHER INFORMATION

1. References to various dates as mentioned in PA /DPS/ DLOF should be read as per revised activity schedule as mentioned above.
2. The Open Offer shall continue and shall be completed as per the schedule set out above and updated in the LOF sent to shareholders of the Target Company.
3. All the other terms and conditions remain unchanged.
4. The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Corrigendum and also for the obligations of the Acquirer as laid down in Takeover Regulations.
5. The PA, DPS, Corrigendum and LOF will also be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and Manager to the Offer at www.saffronadvisor.com.

Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirer	Registrar To The Offer
SAFFRON energising ideas **SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED** 605, Sixth Floor, Centre Point, J. B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 059, India **Tel. No.:** +91 22 4082 0914 **Fax No.:** +91 22 4082 0999 **Email id:** openoffers@saffronadvisor.com **Website:** www.saffronadvisor.com **Investor Grievance:** investorgrievance@saffronadvisor.com **SEBI Registration Number:** INM 000011211; **Validity of Registration:** Permanent **Contact Person:** Amit Wagle/ Shikha Jain	**NICHE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED** 3A, Auckland Place 7th Floor, Room No. 7A & 7B, Kolkata70001; **Tel. No.:** +91 33 2280 6616 / 17 / 18; **Fax No.:** +91 33 2280 6619 **E-mail:** nichetechpl@nichetechpl.com **Website:** www.nichetechpl.com **SEBI Registration Number:** INR 000003290 **Validity:** Permanent **Contact Person:** Mr. S. Abbas/ Mr. Aniruddha Dutta

Place: Irinjalakuda, Thrissur, Kerala
Date: August 12, 2019

बी.पी. कैपिटल लिमिटेड के लिये

CIN:L74899HR1994PLC072042
"पंजी. कार्या.: प्लॉट नं. 345, एचएसआईआईडीसी, फुटवियर पार्क, सेक्टर-17, बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा-124507"
फोनः 01276-222501, 02; फैक्सः 012076-222501, वेबसाईटः www.bpcapital.in,
ई-मेलः bpcapitallimited@gmail.com
30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का सार
(रु. लाखों में)

	विवरण	समाप्त तिमाही 30.6.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30.6.2018 (अनंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.3.2019 (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	0	0	0
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(3.78)	(3.17)	(19.56)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों के बाद)	(3.78)	(3.17)	(19.56)
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(3.78)	(3.17)	(19.57)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	(3.78)	(3.17)	(19.57)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	301.18	301.18	301.18
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन-पत्र में दर्शाये गये पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)	-	-	(54.40)
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिये) मूल	(0.13)	(0.11)	(0.65)
	तरल	(0.13)	(0.11)	(0.65)

टिप्पणीः उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा), 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की गई 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। उक्त अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप बीएसई की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट **www.bpcapital.in** पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से
बी. पी. कैपिटल लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
रमेश कुमार गुप्ता
स्थानः हरियाणा प्रबंध निदेशक
तिथिः 12 अगस्त, 2019 **DIN: 00047724**

मिडईस्ट (इंडिया) लि.

CIN: L63090DL1977PLC008684
पंजी. कार्यालयः भू तल, 8/15 मेहराम नगर, नई दिल्ली-110037
टेली.: 011- , ई-मेलः nsparameswaran@mescosteel.com
30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण
राशि (रु. में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2019 अनंकेक्षित	समाप्त वर्ष 31.3.2019 अंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30.6.2018 (अनंकेक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	1310313.22	3687112.00	1415249.00
2.	कर के बाद सामान्य क्रियाकलापों से शुद्ध लाभ/ (हानि)	181042.86		
3.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	181042.86		
4.	इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति इक्विटी शेयर)	502053980.00	502053980.00	502053980.00
5.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित) जैसा कि अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया है	(417605056)	(417605056)	(417987982)
6.	आय प्रति शेयर (असाधारण मदों के पूर्व एवं बाद) (रु. 10/- प्रति)			
	मूल (रु.)	0.00	-0.02	0.01
	तरल (रु.)	0.00	-0.02	0.01

टिप्पणीः
1. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 12.8.2019 को आयोजित बोर्ड की संबंधित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।
2. कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने उक्त परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
3. जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि के आंकड़े पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।
4. विचाराधीन तिमाही के दौरान कम्पनी में कोई उत्पादन कार्य नहीं हुआ।
5. कम्पनी ने 1 अप्रैल, 2017 से भारतीय लेखा मानक ("इंड एस") अपनाई है एवं तद्नुसार इन वित्तीय परिणामों को उसके अंतर्गत जारी संबंधित नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट इंड एएस 34, अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग में निदिष्ट पहचान तथा मापन के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

मिडईस्ट (इंडिया) लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
जीतेन्द्र कुमार सिंह
स्थानः नई दिल्ली निदेशक
तिथिः 12.8.2019 **DIN: 00090649**

कीमिया बायोसाइंसेस लिमिटेड

(पूर्व में लॉरेल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड)
पंजी. कार्यालयः ग्राम भोण्डसी, तहसील सोहना, जिला गुड़गाँव, हरियाणा-122102
CIN: L24239HR1993PLC032120, ई-मेलः laurelorganicslimited.com, वेबसाईटः www.laurel.co.in, फोनः 0124-2979014
30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार
(रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.6.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.03.2019 अंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30.6.2018 अनंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	2614.60	2054.06	2216.55
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/हानि (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व#)	32.32	-9.75	40.23
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/हानि (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद#)	32.32	-9.75	40.23
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/हानि (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद#)	32.32	-4.82	40.23
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	31.42	-7.12	39.80
6.	इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 1/- प्रति शेयर)	233.26	145.94	145.94
7.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाया गया है)	-	-	-
8.	आय प्रति शेयर (सम मूल्य रु. 1/-प्रति) (वार्षिकीकृत नहीं)			
	मूलः	0.22	-0.03	0.28
	तरलः	0.09	-0.02	0.26

उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाईट (www.laurel.co.in) तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर उपलब्ध हैं।
उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 12 अगस्त, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये तथा इन परिणामों की कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा की गई है।

कीमिया बायोसाइंसेस लि. के लिए
(पूर्व में लॉरेल ऑर्गेनिक्स लि.)
हस्ता/-
समीर गोयल
स्थानः नई दिल्ली (प्रबंध निदेशक)
तिथिः 12.8.2019 (DIN No.: 00161786)

KRBL LIMITED

CIN: L01111DL1993PLC052845
Regd. Off. : 5190, Lahori Gate, Delhi - 110006
Phone: 011-23968328, Fax: 011-23968327
Email: investor@krblindia.com, Website: www.krblrice.com

NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATE

Notice is hereby given to the general public that the following share certificate as per details given below has been reported lost/misplaced and are not traceable:

Name of Shareholder	Folio No.	Share Cert. No.	Distinctive Nos.	Face Value (Rs.)	No. of Shares
Prabha Sharma	874	220	455891 - 456890	1	1000

Any person who has claim in respect of the said shares should communicate to the Company at the registered office within 15 days from the date hereof. The Company will proceed to issue duplicate share certificate after the expiry of 15 days and the original certificates shall stand cancelled. Any person dealing with these certificates shall be doing so solely at his/her own risk as to costs and consequences and the Company shall not be held responsible for it in any way.

For KRBL Limited
Sd/-
Raman Sapra
Company Secretary

Date : 12 August 2019
Place: Delhi

Bampsl Securities Limited

Reg. Off. 100A-,Cycle Market, Jhandewalan Extn., New Delhi-110055 | Tel. No. 011-23617013
Email ID: bampslsecurities@yahoo.co.in,
www.bampslsecurities.co.in | CIN No:L65100DL1995PLC065028

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 33 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Wednesday, 14th August, 2019** at the registered office of the Company at 100-A, Cycle Market, Jhandewalan Extn., New Delhi-110055, inter alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results for the half year and quarter ended on 30th June, 2019.

This information is also available on website of Company at **www.bampslsecurities.co.in** and website of BSE Limited at **www.bseindia.com.**

For M/s Bampsl Securities Limited
Sd/-
Bhisham Kumar Gupta
(Managing Director)

Place: New Delhi
Date: 05.08.2019

ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED

CIN: L65993DL1989PLC035409
Regd. Off.: D-15 Pamposh Enclave, Greater Kailash-1 New Delhi-110048
Phone: +91-11-45210051,
E-mail: alliance.intgd@rediffmail.com;
Website: www.aiml.in

POSTPONEMENT OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that due to unavoidable circumstances the meeting of Board of Directors of the Company which was originally scheduled on Monday, 12th August, 2019 i.e. today is postponed to be held on Wednesday, 14th August, 2019, inter alia, to consider and approve Standalone Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended on June 30, 2019.

The said Notice may be accessed on the Company's website at https://www.aiml.in/ and the website of BSE http://www.bseindia.com/.

For Alliance Integrated Metaliks Limited
Sd/-
Daljit Singh Chahal
Wholetime Director
DIN: 03331560

Place: New Delhi
Date: 12.08.2019

UNIVERSAL OFFICE AUTOMATION LIMITED

Regd.Off. : 806,Siddharth,96, Nehru Place, New Delhi 110 019
CIN : L34300DL1991PLC044365, Website: www.uniofficeautomation.com, email:investoroa@hcl.com, Ph : 0120-2526518

Extract of standalone Un-Audited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2019

(Rs/Lac)

Sl. No.	Particulars	Current quarter ended 30.06.2019 Un-audited	preceding quarter ended 31.03.2019 Audited	Corresponding quarter ended in the previous year 30.06.2018 Un-audited	Year ended 31.03.2019 Audited
1	Other Income	2.67	7.18	3.48	280.62
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.57)	(17.83)	(1.29)	227.93
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.57)	(17.67)	(1.29)	228.08
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.57)	(78.92)	(1.29)	166.84
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(2.57)	(78.92)	(1.29)	166.84
6	Equity Share Capital	1465.27	1465.27	1465.27	1465.27
7	Reserves (Excluding Revaluation reserves as shown in Balance Sheet of previous year				1219.10
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1. Basic:	(0.02)	(0.54)	(0.01)	1.14
	2. Diluted:	(0.02)	(0.54)	(0.01)	1.14

Note : The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with Stock Exchange under Regulaion 33 of SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the stock exchanges website at a link (bseindia.com/#corporates) and on the Company's website at www.uniofficeautomation.com

For Universal Office Automation Limited
Sd/-
Sunil Kumar Shrivastava
Director

Date : 12.08.2019
Place : Noida

Bank of Baroda — बैंक ऑफ़ बड़ौदा

(A Govt. Of India Undertaking) (भारत सरकार का उपक्रम)

ई–नीलामी सूचना

जेडओएसएआरबी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482, ई–मेल : armdel@bankofbaroda.com

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत एक्ट के रूप में सन्दर्भित) के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक/गिरवी/बंधक/प्रभारित है, का **सांकेतिक कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 13(4) के अंतर्गत लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्न विवरणित सम्पत्तियों की बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली (यहां इसमें इसके उपरांत नियमावली के रूप में सन्दर्भित) के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत **"जैसी है जहां है, जो है वहां है तथा दायित्व रहित आधार"** पर की जाएगी।

कर्जदार / गारंटर का नाम: मैसर्स एम के ओवरसीज प्रा. लि. (सीआईएन U25209DL1987 PTC029976) 1. श्री मो. कामिल (निर्देशक सह गारंटर) 2. श्रीमती नासिरा बेगम (निर्देशक सह गारंटर) 3. श्री मोहम्मद मोशिन (गारंटर) 4. श्री मोहम्मद ज़ाकी (गारंटर) 5. श्री मोहम्मद साबिर (गारंटर) 6. श्री शकील अहमद (गारंटर)

बकाया राशि: रु. 239.40 करोड़ दिनांक 30-09-2018 तक प्लस भविष्य का ब्याज और अन्य खर्चे इत्यादि

धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख: 08.10.2018

सम्पत्ति का विवरण (आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / प्रस्ताव में सुधार हेतु राशि)

(1) सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्री होल्ड भूमि एवं भवन, गाँव समगौली, तहसील डेरा बस्सी, जिला एस ए एस नगर (पंजाब) में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स एम के ओवरसीज प्रा. लि. (कर्जदार) के नाम पर है। भूमि का विवरण निम्नानुसार है

(i) भूमि क्षेत्रफल 112 बीघा – 2 बिस्वा, गाँव– समगौली, तहसील–डेरा बस्सी, जिला पटियाला, पंजाब में स्थित जिसमें खेवत / खतौनी नं. शामिल है

खेवत / खतौनी नं.	खसरा नं. क्षेत्रफल (बीघा – बिस्वा)	कुल
37/80	366/1(1-0),370/2(1-0),371(4-0), 376(4-0),2654/377(1-0),380/1(1-0),2657/381(3-3), 387/1(1-0)	Kite 8 16 Bigha-13 Biswa
179/316	337(5-6)	Kite 1 5 Bigha-6 Biswa
125/228-229 126/230-231	347(5-10) 348(4-0),349/1(0-10),350/1(2-0), 357(4-0),358(2-10),359(4-0),360(4-0),361/2(1-17),354/2(1-17)	Kite 10 30 Bigha-4 Biswas
57/116 117/214 282/452 51/109	856(3-1) 858(2-1) 857/1(2-14) 855(7-3),857(2-1),364(3-14),365(3-14),372(4-0),373(4-0), 374(4-0),375(4-0),2656/381(0-17) 382(4-0),383(4-0),384(4-0), 385(4-6),386(4-0)	Kite 17 61 Bigha-5 Biswas

(ii) भूमि क्षेत्रफल 29 बीघा – 18 बिस्वा, गाँव– समगौली, तहसील–डेरा बस्सी, जिला पटियाला, पंजाब में स्थित जिसमें खेवत / खतौनी न शामिल है

खेवत / खतौनी नं.	खसरा नं. क्षेत्रफल (बीघा – बिस्वा)	कुल
35/78	2655/377(2-8),380/2(3-0), 387/2(3-0)	Kite 3 8 Bighas- 8 Biswas
36/79	366/2(2-4),367(3-14),370/1(3-0),2654/377/2(0-12),378(4-0) 379(4-0),388(4-0),	Kite 7 21 Bighas-10 Biswas

(iii) भूमि क्षेत्रफल 541 / 604 हिस्सा अर्थात 27 बीघा – 1 बिस्वा, भूमि क्षेत्रफल 30 बीघा 4 बिस्वा में से, गाँव–समगौली, तहसील–डेरा बस्सी, जिला पटियाला, पंजाब में स्थित जिसमें खेवत / खतौनी नं. शामिल है

खेवत / खतौनी नं.	खसरा नं. क्षेत्रफल (बीघा – बिस्वा)	कुल
125/228-229 126/230-231 198/336	349/2(4-10) 350/2(2-0) 351(4-0),356(4-0), 355(4-0),354/1(1-17),361/1(2-3), 362(4-0),363(3-14) Kite 9	Kite 9 30 Bighas-04 Biswas

(iv) भूमि क्षेत्रफल 42 बीघा – 11 बिस्वा, गाँव–समगौली, तहसील–डेरा बस्सी, जिला पटियाला, पंजाब में स्थित जिसमें खेवत / खतौनी नं. शामिल है।

खेवत / खतौनी नं.	खसरा नं. क्षेत्रफल (बीघा – बिस्वा)	कुल
178/315	338(4-0),339(5-6),340(5-6),341(6-13),342(4-0),343(4-0) 344(4-0),345(4-0),346(4-0) Kite 9	Kite 9 41 Bighas-8 Biswas
179/316	337(5-6)	Kite 1 5 Bighas-6 Biswas

चौहद्दी : पूरब में – अन्य की भूमि, पश्चिम में – अन्य की भूमि, उत्तर में – रोड, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति

आरक्षित मूल्य: ₹ 38,00,00,000/-

2 प्लांट एवं मशीनरी का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि **मैसर्स एम के ओवरसीज प्रा. लि. की** एकीकृत मांस प्लांट जोकि गाँव–समगौली, तहसील–डेरा बस्सी, पटियाला, पंजाब में रखी है। — ₹ 7,00,00,000/- + जीएसटी लागू दर

कुल (1 & 2 का) — कुल आरक्षित मूल्य: ₹ 45,00,00,000/- (+ प्लांट एवं मशीनरी पर जीएसटी); धरोहर राशि: ₹ 4,50,00,000/-; प्रस्ताव में सुधार हेतु राशि : ₹ 5,00,000

सम्पत्ति का निरीक्षण करने की तिथि : 09-09-2019

धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 13-09-2019 को अपा. 04.00 बजे तक

ई–नीलामी की तारीख एवं समय : 16-09-2019 को अपराह्न 01.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक

धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार — **नोटः आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।**

ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें

यह बिक्री निम्न नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

बोलीदाता (फैक्ट्री और प्लांट एवं मशीनरी) दोनों के लिए संयुक्त बोली लगाएगें।

1. नीलामी-सह-बिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
2. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
3. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।
4. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम इन्क्रीमेन्टल राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
5. 10% धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधोलिखित है, प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार एनईएफटी/आरटीजीएस/निधि अंतरण द्वारा किया जाएगा- खाता का नाम- प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एआरएम शाखा, नई दिल्ली, खाता नं. 00950200000743, आईएफएससी कोड: BARB '0' CONNAU (जहां '0' शून्य है।)
6. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार निम्न दस्तावेजों को अपलोड करें।

क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
ख) पूर्ण रूप से भरे प्रस्ताव फार्म
ग) इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण **की स्व: प्रमाणित प्रति।** इन दस्तावेजों का ओरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड जारी करने के लिए अनुरोध

7. **इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते हैं। यदि लॉगइन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे** मैसर्स ई प्रक्योरमेन्ट टेक्नोलॉजीस लि. बी- 704 ऐ वॉल स्ट्रीट II, ओरिएंट क्लब के विपरीत गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, सम्पर्क व्यक्ति श्री राम शर्मा, **06351896834** ईमेल **delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net** श्री निलेश प्रा- **7982880393**, हैल्पलाइन नं. **079-61200595/520/548**, हैल्पलाइन ई-मेल **support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑनलाइन अपलोडिंग के लिए वेबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net तथा सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी भी पूछताछ के लिए आप प्राधिकृत अधिकारी श्री वाई.पी. चावला, मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जेडओएसएआरबी, टेली नं. 011-23441330, मो. नं. 9584317482, ईमेल: armdel@bankofbaroda.com से किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं।**
8. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड एवं एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा। प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
9. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
10. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
11. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
12. यहां ऊपर क्रम सं. 10 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
13. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋणधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चों के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
14. सभी सांविधिक देयताओं/ एटेन्डेन्ट चार्जेज/ पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकायों का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।
15. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
16. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई–नीलामीकृत सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपना स्वतंत्र जांच कर लें।
17. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फेल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई–नीलामी को प्रभावित करने वाले कारणों/ आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
18. यदि उपयुक्त हुआ तो बैंक किसी भी एक या अधिक संपत्तियों को बोली लगा सकता है।
19. ई-नीलामी से सम्बन्धित जानकारी ई–नीलामी टैब **(http://www.bankofbaroda.com/e-auction.htm)** के तहत बैंक की वेब साइट के होम पेज पर उपलब्ध है।
20. किसी भी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी नोटिस अंतिम माना जायेगा।

बैंक, यदि उपयुक्त समझे, किसी एक या अधिक संपत्तियों के लिए बोली कर सकता है। बोलीदाता स्वयं के हित में अंतिम मिनट तथा सैकेंडस की बोली से बचें। न ही बैंक अथवा सेवा प्रदाता किसी व्यवधान/ चूक (पावर फेल्योर, इंटरनेट फैल्योर आदि) के लिए वेंडर की ओर से उत्तरदायी नहीं होंगे। इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियों से बचने के लिए बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सभी आवश्यक व्यवस्था, विकल्पों जैसे पावर बैक अप आदि सुनिश्चित कर लें ताकि वे इस प्रकार की आकस्मिकताओं से बच सकें तथा सफलतापूर्वक नीलामी में भाग ले सकें। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज (सीसीए) द्वारा निर्गत नए इंटरऑपरेबिलिटी गाइडलाइन्स के अनुसार ई-प्रापण अनुप्रयोग के लिए सिक्योर्ड सॉकेट लेयर (एसएसएल) प्रमाण पत्र एन न्यू एल्गोरिथ्म, SHA 2 पर निर्मित किया जाता है। साथ ही, इन प्लेटफार्म के लिए लागू होने वाले डिजीटल प्रमाण पत्र SHA 2 पर एल्गोरिथ्म अनुपालन होना चाहिए। इसके लिए यूजर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके संबंधित पीसी/ लैपटॉप में विंडोज XP (SP 3)/ विंडोज विस्टा/ विंडोज 7 संस्थापित हो। विंडोज XP सर्विस पैक-3 के मामले में यदि आपको कोई इश्यु मिले, आप एसएसएल पैच संस्थापित कर सकते हैं जो हमारी ई-नीलामी पोर्टल के डाउनलोड खंड में उपलब्ध है।

ऋणधारक/ गारंटर/ मार्टगेजर के लिए 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

एतद्द्वारा उपरोक्त ऋणधारकों/ गारंटरों को सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व सम्पूर्ण अद्यतन ब्याज सहित उपरोक्त राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर संपत्ति की नीलामी/ बिक्री कर दी जाएगी तथा शेष बकाया, यदि कोई हो, ऋणधारकों/ गारंटरों से ब्याज तथा लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

दिनांक : 13.08.2019, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

ईमर्जेन्ट ग्लोबल एडु एंड सर्विसेस लिमिटेड

(पूर्व में ईमर्जेन्ट एनर्जी एंड सर्विसेस लिमिटेड) CIN: L80902DL1983PLC209722
पंजी. कार्यालय: 8–बी, 'सागर', 6, तिलक मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोन: (91) (11) 2378 2022, 2338 2592; Fax: (91) (11) 2378 2806, 2338 1914; Email: soti@somanigroup.com; Website: www.eesl.in

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के स्टैंडएलोन एवं समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(शेयरों तथा ईपीएस की संख्या को छोड़कर रु. लाखों में)

	विवरण	स्टैण्डएलॉन समाप्त तिमाही 30 जून, 2019 अनंकेक्षित	31 मार्च 2019 अंकेक्षित	30 जून 2018 अनंकेक्षित	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2019 अंकेक्षित	समेकित समाप्त तिमाही 30 जून 2019 अनंकेक्षित	31 मार्च 2019 अंकेक्षित	30 जून 2018 अनंकेक्षित	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2019 अंकेक्षित
1	कुल राजस्व	3351.78	9298.38	32.17	9690.76	3348.66	9261.31	27.08	9548.16
2	अवधि के लिए लाभ/ हानि (कर, असाधारण एवं/ अथवा विशिष्ट मदों से पूर्व	51.55	58.15	8.21	142.40	49.26	49.58	13.08	94.31
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ हानि (असाधारण एवं/ अथवा विशिष्ट मदों से पूर्व)	51.55	58.15	8.21	142.40	49.26	49.58	13.08	94.31
4.	कर के बाद अवधि के लिए लाभ(+)/ हानि (−) (असाधारण एवं/ अथवा विशिष्ट मदों के बाद	36.55	27.07	5.91	105.51	34.85	18.98	9.91	52.29
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि (कर के बाद) के लाभ/ (हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल	36.54	27.03	5.88	105.34	34.84	18.94	9.88	52.12
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/− प्रति शेयर)	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90
7.	पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर अन्य इक्विटी	−	−	−	1141.57	−	−	−	1031.07
8.	आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) (वार्षिकीकृत नहीं)								
	क) मूल	0.80	0.59	0.13	2.31	0.76	0.42	0.22	1.14
	ख) तरल	0.80	0.59	0.13	2.31	0.76	0.42	0.22	1.14
9.	आय प्रति शेयर (असाधारण मदों के बाद) (वार्षिकीकृत नहीं)								
	क) मूल	0.80	0.59	0.13	2.31	0.76	0.42	0.22	1.14
	ख) तरल	0.80	0.59	0.13	2.31	0.76	0.42	0.22	1.14

टिप्पणी: उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टाक एक्सचेंज में दाखिल की गई 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। स्टैण्डएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टाक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कंपनी वेबसाइट www.eesl.in पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
ईमर्जेन्ट ग्लोबल एडु एंड सर्विसेस लिमिटेड के लिए
हस्ता./−
आर.सी. खण्डूरी
निदेशक
(DIN: 03048392)

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 12.08.2019

इंडियन टोनर्स एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 10.5 कि.मी. माईलस्टोन, रामपुर बरेली रोड, रामपुर–244901
CIN: L74993UP1990PLC015721
वेबसाईट: www.indiantoners.com, ई-मेल: info@indiantoners.com, फोन: 011−45017000

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैण्डएलॉन एवं समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(रु. लाखों में), यदि वह अन्य रूप में कथित नहीं हो

क्रम सं.	विवरण	स्टैंडएलॉन समाप्त तिमाही 30 जून, 2019 (अनंकेक्षित)	31 मार्च 2019 (अंकेक्षित)	30 जून, 2018 (अनंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2019 (अंकेक्षित)	समेकित समाप्त तिमाही 30 जून, 2019 (अनंकेक्षित)	31 मार्च, 2019 (अंकेक्षित)	30 जून, 2018 (अनंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2019 (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	2330.28	2999.61	2655.14	11,548.08	2288.84	2957.28	2637.31	11528.67
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर तथा असाधारण मदों से पूर्व)	357.15	683.03	587.84	2547.51	346.12	647.97	582.64	2499.23
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हाानि) (असाधारण मदों के बाद)	357.15	689.94	587.84	2516.83	346.12	654.88	582.64	2468.55
4.	कर तथा असाधारण मदों के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	282.60	466.60	582.15	2041.50	271.57	431.54	576.95	1993.22
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद)/ लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	276.92	452.96	579.20	2019.24	266.74	418.93	575.34	1971.99
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	1316.16	1316.16	1316.16	1316.16	1316.16	1316.16	1316.16	1316.16
7.	आय प्रति शेयर (रु. 10/− प्रति का)								
	मूल (रु.)	2.15	3.55	4.42	15.51	2.06	3.28	4.38	15.14
	तरल (रु.)	2.15	3.55	4.42	15.51	2.06	3.28	4.38	15.14

टिप्पणी:
1. उक्त अनंकेक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणाम, कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन थे, की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 12 अगस्त, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। सांविधिक अंकेक्षकों की सीमित समीक्षा रिपोर्ट बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की जा रही है।
2. उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल की गई 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। सांविधिक अंकेक्षकों के सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप हमारी वेबसाइट www.indiantoners.com के निवेशक खंड के अंतर्गत तथा www.bseindia.com के कॉर्पोरेट खंड में वित्तीय परिणामों के अंतर्गत उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./−
(सुशील जैन)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
DIN: 00323952

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 12 अगस्त, 2019

B. L. KASHYAP AND SONS LIMITED

B L KASHYAP — WE BUILD YOUR WORLD

(L74899DL1989PLC036148)
Regd. Off: 409, 4th Floor, DLF Tower-A, Jasola, New Delhi - 110025
Ph: 91-11-40500300 ; Fax: 91-11-40500333
Website: www.blkashyap.com , Email: info@blkashyap.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2019

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	PARTICULARS	STANDALONE Quarter ended 30.06.2019 (Unaudited)	Previous year ended 31.03.2019 (Audited)	Quarter ended 33.06.2018 (Unaudited)	CONSOLIDATED Quarter ended 30.06.2019 (Unaudited)	Previous year ended 31.03.2019 (Audited)	Quarter ended 30.06.2018 (Unaudited)
1	Total Income from operations	17,093.21	74,848.71	20,512.76	17,449.26	76,925.04	21,103.05
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extra Ordinary items)	(521.69)	2,177.83	1,769.88	(843.70)	(602.47)	902.20
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extra Ordinary items)	(521.69)	2,177.83	1,769.88	(2,858.48)	(957.08)	902.20
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extra Ordinary items)	(342.58)	1,391.72	1,187.48	(2,423.12)	(628.29)	689.70
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(360.86)	1,318.60	1,208.45	(2,441.39)	(702.77)	710.67
6	Paid Up Equity Share Capital (Face Value of the Share Rs 1/-)	2,254.40	2,254.40	2,154.40	2,254.40	2,254.40	2,154.40
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Balance Sheet of previous year	-	53,272.00	-	-	49,328.20	-
8	Earning Per Share of Re. 1/- each (for continuing and discontinued operations)						
	Basic:	(0.15)	0.64	0.55	(1.07)	(0.29)	0.32
	Diluted :	(0.15)	0.62	0.53	(1.07)	(0.28)	0.31

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of the Quarterly Financial Results for the quarter ended 30th June, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results for the quarter ended 30th June, 2019 are available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com; www.bseindia.com) and Company's website (www.blkashyap.com).
2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 12th August, 2019.

For & on behalf of the Board of
B.L. Kashyap and Sons Limited
Sd/-
Vineet Kashyap
Managing Director
(DIN: 00038897)

Place: New Delhi
Dated: 12th August, 2019

WE BUILD YOUR WORLD

सोना 38,470 रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर

नई दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा)।

अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने बताया कि विदेशों के सकारात्मक रुख के बीच आभूषण विक्रेताओं की ताजा लिवाली के कारण सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 50 रुपए की तेजी के साथ 38,470 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली में गुरुवार को सोने ने 38,470 रुपए प्रति 10 ग्राम का रेकॉर्ड बनाया था। हालांकि औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं का उठान कम होने से चांदी की कीमत 1,150 रुपए की हानि के साथ 43,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।

बाजार विश्लेषकों ने कहा कि विदेशी बाजारों के सकारात्मक रुख के साथ स्थानीय मांग में तेजी आने के कारण मुख्यतया सोने की कीमत में तेजी आई। वैश्विक स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दोहराया कि वह चीन के साथ कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव बढ़ने से निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के लिए सर्राफा बाजार के विकल्प को अपनाया जिससे बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी आई। जारी व्यापार तनाव के बीच पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में पर्याप्त तेजी आई है।

राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 और 99.5 टंच सोना 50-50 रुपए की तेजी के साथ क्रम से 38,470 और 38,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए। गिन्नी का भाव 28,600 रुपए प्रति आठ ग्राम पर स्थिर बना रहा। चांदी हाजिर की कीमत 1,150 रुपए घटकर 43,000 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई, जबकि चांदी साप्ताहिक डिलीवरी का भाव 43,324 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर बना रहा।

रिलायंस अगले 18 महीनों के भीतर कर्जमुक्त कंपनी होगी : अंबानी

मुंबई, 12 अगस्त (भाषा)।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सोमवार को कंपनी को 18 माह के भीतर ऋण मुक्त करने की योजना पेश की। इसके तहत कंपनी अपने तेल व रसायन कारोबार में सऊदी अरामको और ईंधन खुदरा कारोबार में ब्रिटेन की बीपी को हिस्सेदारी बिक्री कर धन जुटाएगी।

कंपनी की यहां 42वीं वार्षिक आमसभा को संबोधित करते हुए अंबानी ने कहा- हमें इस वित्त वर्ष में सऊदी अरामको और बीपी के साथ लेनदेन पूरा हो जाने की उम्मीद है। इससे कंपनी को 1.15 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिलने की उम्मीद है। इन लेनदेन से कंपनी पर कर्ज का बोझ कम होगा और अगले 18 माह के भीतर कंपनी को ऋणमुक्त बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा- हमारे पास अगले 18 महीनों में कर्ज मुक्त कंपनी बनने की एक सुस्पष्ट रुपरेखा है। रिलायंस ने पिछले पांच साल में करीब 5.4 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। यह दशक भर से अधिक एक अरब डॉलर सालाना की परिचालन आय पैदा करेगा।

मुकेश अंबानी ने घोषणा की कि आने वाली कुछ तिमाहियों में उसकी दूरसंचार इकाई जियो और खुदरा क्षेत्र इकाई रिलायंस रिटेल वैश्विक साझेदारियां करेगी। वहीं आने वाले पांच सालों के भीतर इन दोनों कंपनियों को सूचीबद्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इस साल शून्य ऋण वाली कंपनी होने का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। वह अपने शेयर धारकों को विश्वास दिलाते हैं कि वह उन्हें ऊंचा लाभांश, समय-समय पर बोनस निर्गम और अन्य लाभ उपलब्ध कराते रहेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि पिछले साल रिलायंस पर 1,54,478 करोड़ रुपए का शुद्ध ऋण था जिसे हम अगले 18 महीनों में खात्म कर देंगे।

तेल व पेट्रोरसायन कारोबार की 20 फीसद हिस्सेदारी सऊदी कंपनी अरामको को बेचेगी

मुंबई, 12 अगस्त (भाषा)।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सोमवार को कंपनी के तेल व पेट्रोरसायन कारोबार की 20 फीसद हिस्सेदारी सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको को बेचने के लिए हुए करार की घोषणा की। उन्होंने अपने पेट्रोल पंप कारोबार की 49 फीसद हिस्सेदारी भी ब्रिटेन की बीपी कंपनी को बेचने की घोषणा की। इन सौदों से कंपनी को 1.15 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। इस धन से वह अपना ऋण कम कर सकेगी। कंपनी की योजना अगले 18 महीने में कर्जमुक्त बनने की है। इन सौदों के लिए नियामकीय मंजूरी लेनी होगी।

अंबानी ने कहा कि वह अपने पेट्रोल खुदरा कारोबार (पेट्रोल पंप परिचालन) की 49 फीसद हिस्सेदारी ब्रिटेन की प्रमुख पेट्रोलियम कंपनी बीपी को बेचेगी। इससे उसे 7,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी अपने तेल, रिफाइनरी और पेट्रोरसायन कारोबार की 20 फीसद हिस्सेदारी सऊदी अरामको को बेचेगी। अरामको ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के तेल, रिफाइनरी, पेट्रोरसायन कारोबार और पेट्रोलियम ईंधन के खुदरा व्यवसाय में उसकी बची हिस्सेदारी का मूल्य 75 अरब डॉलर आंका है। इसकी 20 फीसद हिस्सेदारी 15 अरब डालर बनती है। इस तरह रिलायंस को इन सौदों से कुल 1.15 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। इसका उपयोग वह अगले 18 महीनों में कंपनी को कर्ज चुकाकर शून्य ऋण वाली कंपनी बनाने में करेगी।

जियो की मुफ्त कॉल के साथ ब्रॉडबैंड सेवा 'जियो फाइबर' पांच सितंबर से

मुंबई, 12 अगस्त (भाषा)।

रिलायंस समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी ने सोमवार को रिलायंस जियो की ब्रॉडबैंड सेवा 'जियो गीगा फाइबर' को पांच सितंबर से देशभर में शुरू करने की घोषणा की। इसके साथ कंपनी न्यूनतम 100 एमबीपीएस की इंटरनेट गति, आजीवन मुफ्त फोन कॉल, मुफ्त एचडी टीवी और डिश उपलब्ध कराएगी। इसके लिए न्यूनतम शुल्क 700 रुपए मासिक होगा।

उन्होंने जियो लैंड लाइन से 500 रुपए मासिक किराए पर अमेरिका और कनाडा में असीमित अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल की भी पेशकश की। अंबानी ने कहा- भारत में जियो गीगा फाइबर की सबसे न्यूनतम स्पीड 100 एमबीपीएस होगी। हमारे पास इसके तहत एक जीबीपीएस तक की स्पीड उपलब्ध कराने के प्लान हैं। हमने हर घर तक इसकी पहुंच बनाने के लिए अपने प्लान को वैश्विक दरों के दसवें हिस्से के बराबर रखा है। उन्होंने कहा कि 'जियो गीगा फाइबर' के प्लान 700 रुपए मासिक से शुरू होकर 10,000 रुपए मासिक तक होंगे।

जियो व माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल क्रांति के लिए एक साथ आए

मुंबई, 12 अगस्त (भाषा)। रिलायंस जियो ने नए क्लाउड डेटा केंद्रों की शुरुआत के साथ डिजिटल क्रांति की गति को तेज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ दीर्घकालिक करार किया है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो देशभर में एज कंप्यूटिंग और सामग्री (कंटेंट) वितरण नेटवर्क की स्थापना कर रहा।

LEAD FINANCIAL SERVICES LIMITED

Regd. Office: 101, Sita Ram Mansion, 718/21, Joshi Road, Karol Bagh, New Delhi-110005
CIN L74140DL1993PLC053485

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2019

(Rs.in Lakhs except per share data)

S. No.	Particulars	Quarter Ended 30-Jun-19 (Unaudited)	Quarter Ended 30-Jun-18 (Unaudited)
1.	Total income from operations	1.53	1.53
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(3.28)	(3.55)
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	(3.28)	(3.55)
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	(2.42)	(2.63)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(2.42)	(2.63)
6.	Equity Share Capital	330.00	330.00
7.	Other Equity	-	-
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (Not annualised) Basic: Diluted:	 (0.07) (0.07)	 (0.08) (0.08)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly results are available on the stock exchange website i.e. www.bseindia.com and on Company website www.leadfinancialservices.in

For and on behalf of the Board
For Lead Financial Services Ltd.
sd/-
P.C Bindal
(Chairman)

Place: New Delhi
Date: 12th August, 2019

SRS LIMITED

Regd. & Corporate Off : SRS Multiplex, 2nd Floor, City Center, Sector -12, Faridabad, NCR-Delhi -121007
E-mail:compliances@srsparivar.com, Website- www.srsparivar.com, CIN - L74999HR2000PLC040183

Extract of Standalone and Consolidated Audited Results for the year ended 31st March 2019

(₹ in Lacs, except per equity share data)

S. No.	Particulars	Standalone Quarter Ended 31-Mar-19	31-Dec-18	31-Mar-18	Standalone Year Ended 31-Mar-19	31-Mar-18	Consolidated Year Ended 31-Mar-19	31-Mar-18
		Audited	Unaudited	Audited	Audited		Audited	
1.	Total Income From Operations (net)	2,398.09	1,700.88	2,524.24	8,869.68	11,372.05	10,858.98	13,151.32
2.	Net Profit / (Loss) after Tax from continuing operations	579.36	(51.79)	(2,346.52)	(5,401.23)	(7,414.74)	(6,069.14)	(7,665.37)
3.	Net Profit / (Loss) after Tax from discontinued operations	—	—	(53,030.17)	—	(138,690.37)	—	(138,690.37)
4.	Net Profit / (Loss) after Tax	579.36	(51.79)	(55,378.69)	(5,401.23)	(146,105.11)	(6,069.14)	(146,355.74)
5.	Total Comprehensive Income for the period	549.67	(50.38)	(55,359.41)	(5,426.70)	(146,087.41)	(6,093.37)	(146,336.54)
6.	Equity Share Capital	27,858.20	27,858.20	27,858.20	27,858.20	27,858.20	27,858.20	27,858.20
7.	Other Equity				(131,025.44)	(125,598.73)	(131,902.22)	(126,054.50)
8.	Earning Per Share (of Re 10/- each) Basic : Diluted :	 0.21 0.21	 (0.02) (0.02)	 (19.87) (19.87)	 (1.94) (1.94)	 (52.44) (52.44)	 (2.13) (2.13)	 (52.47) (52.47)

Note:- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter and Audited Results for the year ended 31st March 2019 filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Audited Results for the year ended 31st March 2019 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com / www.nseindia.com) and Company's website www.srsparivar.com.

For SRS Limited

Place: Faridabad
Date: 11.08.2019

Vikash Sharma
Chief Financial Officer

Ashok Kumar Gulla
Resolution Professional
Taken of Record

एफिसिएन्ट इंडस्ट्रियल फाइनांस लिमिटेड

CIN: L65923DL1984PLC019608
पंजी. कार्यालय: 3/14 ए, विजयनगर डबल स्टोरी, दिल्ली-110009
फोन नं.: 9891173870, वेबसाईट: www.efficientindustrial.in,
ई-मेल आईडी: efficientindustrial@gmail.com, info@efficientindustrial.in

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के स्टैंडएलोन वित्तीय परिणामों का सार

(राशि लाखों में)

विवरण	समाप्त तिमाही तथा तीन महीने (30.6.2019) अनंकेक्षित	पूर्व वर्ष (30.6.2018) में समाप्त तत्स्थानीय 3 महीने अनंकेक्षित	31.3.2019 को समाप्त वर्ष अंकेक्षित
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	0.97	2.30	643.87
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(0.50)	1.03	0.21
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(0.50)	1.03	0.21
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)	(0.50)	1.03	0.21
अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि के लिये (कर के बाद) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) के लिये लाभ/(हानि) से शामिल	-	-	-
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10 प्रति शेयर)	24.80	24.80	24.80
आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	724.65	724.43	724.65
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (असाधारण मदों के बाद)	-	0.01	0.09
तरल आय प्रति शेयर- (विशिष्ट मदों के बाद) (रु. 10/- प्रति का)	-	0.01	0.09

टिप्पणी:
उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही तीन माह के स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.msei.in तथा कम्पनी की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

एफिसिएन्ट इंडस्ट्रियल फाइनांस लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
राज कुमार बरदिया
प्रबंध निदेशक
DIN: 1736079

स्थान: दिल्ली
तिथि: 12/08/2019

BASANT INDIA LIMITED

Reg. Office: 912, Indra Prakash Building, 21 Barakhamba Road, New Delhi 110001
CIN: L51909DL1985PLC021396, Tel: 011 23716531
E-mail:basant.indiaa@gmail.com, Website: www.basantindia.in

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2019

(Figure in Lakh)

	Particulars	Quarter Ended 30.06.2019 Unaudited	31.03.2019 Unaudited	30.06.2018 Unaudited	Year ended 31.3.2019 Audited
1	Income from Operations				
	a Revenue from Operations	-	-	-	-
	b Other Income	17.39	22.77	0.07	62.71
	Total Income	17.39	22.77	0.07	62.71
2	Expenses				
	a Cost of materials consumed	-	-	-	-
	b Purchase of Stock-in-trade	-	-	-	-
	c Change in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	-	-	-	-
	d Employee benefit expense	-	0.24	-	0.78
	e Finance cost	0.01	30.35	0.01	30.36
	f Depreciation and amortisation expense	-	-		
	g Other expenses	1.55	2.71	1.20	6.46
	Total Expenses	1.56	33.30	1.21	37.59
3	Profit before exceptional and extraordinary items and tax	15.83	(10.53)	(1.14)	25.12
4	Exceptional items				
5	Profit before tax	15.83	(10.53)	(1.14)	25.12
6	Tax expense:	-	-	-	-
	Current tax	-	(4.83)	-	(4.83)
	Deferred tax	-	-	-	-
6	Net Profit /Loss after tax	15.83	(15.36)	(1.14)	20.29
7	Other Comprehensive Income				
	a (i) Item that will not be reclassified to Profit or Loss	-	-	-	-
	a (ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss	-	-	-	-
	b (i) Items that will be reclassified to profit or loss	-	-	-	-
	b (ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss	-	-	-	-
8	Total Comprehensive Income				
9	Details of Equity Share Capital				
	Paid-up equity share capital	1,031.50	1,031.50	1,031.50	1,031.50
	Face value of equity share capital	10.00	10.00	10.00	10.00
10	Reserve (excluding revaluation Reserves)	(695.25)	(711.08)	(732.51)	(711.08)
11	(i) Earning per share (Before extraordinary items) of Rs. 10/- each (not annualized				
	Basic	0.15	(0.15)	(0.01)	0.20
	Diluted	0.15	(0.15)	(0.01)	0.20
	(ii)Earning per share (After extraordinary items) of Rs. 10/- each (not annualized				
	Basic	0.15	(0.15)	(0.01)	0.20
	Diluted	0.15	(0.15)	(0.01)	0.20

Notes:-
1. The above unaudited financial results for the quarter ended on 30.06.2019 have been reviewed by the Audit committee and have been approved by the Board at their meeting held on 12.08.2019
2. There are no Separate Reportable Segment in terms of Accounting Standard AS-17 "Segment Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
3. Previous period figure has been regruped / rearranged wherever necessary

For and Behalf of the board of directors
Basant India Limited
Sd/-
Sushil Aggarwal
Managing Director
DIN 00144736

Date: 12-08-2019
Place: New Delhi

GOODYEAR INDIA LIMITED

CIN: L25111HR1961PLC008578
Registered office: Mathura Road, Ballabgarh (Dist. Faridabad) - 121004, Haryana
Telephone: 0129-6611000 Fax: 0129-2305310, E-mail: gyi_info@goodyear.com, Website: www.goodyear.co.in

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019

(Rs. In Lakhs)

	Particulars	Current 3 months ended (30/06/2019) (Unaudited)	Preceeding 3 months ended (31/03/2019) (Audited) (Refer Note 7)	Corresponding 3 months ended in the previous year (30/06/2018) (Unaudited)	Year to date figures for previous year ended (12 Months) (31/03/2019) (Audited)
1	**Total income from operations**	49,925	43,272	54,343	194,960
2	**Net Profit for the period** (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	4,037	4,223	3,810	15,814
3	**Net Profit for the period before tax** (after exceptional and/or extraordinary items)	4,037	4,223	3,810	15,814
4	**Net Profit for the period after tax** (after exceptional and/or extraordinary items)	2,625	2,686	2,478	10,207
5	**Total Comprehensive Income for the period** Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (loss) (after tax)]	2,496	2,693	2,440	10,108
6	**Paid-up equity share capital** (Face Value of Rs.10/- per share)	2,307	2,307	2,307	2,307
7	**Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised):**				
	a) Basic (Rs.)	11.38	11.64	10.74	44.25
	b) Diluted (Rs.)	11.38	11.64	10.74	44.25

Note:
1. The above is an extract of the detailed format of the Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2019 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5, 2016. The full format of the Standalone Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website at **www.bseindia.com** and also available on the Company's website i.e **www.goodyear.co.in/investor-relations**.
2. The Statement has been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 and SEBI's circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5, 2016.
3. The Company is engaged in the business of sales of automotive tyres, tubes and flaps. The Company sells tyres of its own brand "Goodyear". The Chief Operating Decision Maker (CODM), Managing Director, performs a detailed review of the operating results, thereby makes decisions about the allocation of resources among the various functions. The operating results of each of the functions are not considered individually by the CODM, the functions do not meet the requirements of Ind AS 108 for classification as an operating segment, hence there is only one operating segment namely, "Automotive tyres, tubes & flaps".
4. In 2008, the State of Haryana (the State) introduced the "Entry Tax Act" ("Act"), which the Punjab and Haryana High Court declared as 'Unconstitutional'. The State did not frame and notify enabling "Entry Tax Rules", and no notice or demand has been received to date by the Company. Accordingly, the amount of liability, if any, under the Entry Tax Act involved has not been quantified by the Company. On November 11, 2016, the nine Judges Bench of Hon'ble Supreme Court held that the State Governments do have right to levy an 'Entry Tax', however (i) whether States have enacted correct legislations in alignment with Indian Constitutional provisions (ii) whether such taxes demanded by State Governments were actually used for intended development of local area and (iii) the interpretation of the word "Local Area" were among questions not addressed by the November 11, 2016 ruling, but instead are to be heard by Hon'ble Divisional Bench of the Supreme Court individually for each state, on merits.

   The above mentioned matter heard by the Hon'ble Divisional Bench of the Supreme Court and were remanded back to the Punjab and Haryana High Court and directed that fresh petitions should be filed by the parties, based on the above principles given by the nine Judges Bench of Supreme Court. The Company has filed its fresh petition in May 2017 and based on legal opinion have considered this as contingent liability at this stage.
5. Effective April 1,2019 being the transition date, the Company has adopted Ind AS 116 "Leases" and applied to all lease contracts existing on April 1,2019 using the modified retrospective method. Accordingly, comparatives for the year ended March 31, 2019 have not been retrospectively adjusted. On transition, the adoption of the new standard resulted in recognition of Right of use asset (ROU) and equivalent lease liability of Rs.1,129 Lakhs . In the statement of profit and loss account for the current period, the nature of expenses in respect of operating leases has changed from lease rent to depreciation cost for the right-to-use asset and finance cost for interest accrued on lease liability.
6. This statement has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 12, 2019.
7. The figures of last quarter of previous year are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures up to the third quarter of the financial year.

For GOODYEAR INDIA LIMITED

Sd/-
(Rajeev Anand)
Chairman & Managing Director

Sd/-
(Mitesh Mittal)
Chief Financial Officer
& Finance Director

Place: New Delhi
Date: August 12 ,2019

स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

STYLAM

CIN:L20211CH1991PLC011732
पंजीकृत कार्यालय : एससीओ 14, सेक्टर-7सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़-160019

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित परिणामों का विवरण

(रु लाख में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30 जून, 19 अनंकेक्षित	31 मार्च, 19 अंकेक्षित	30 जून, 18 अनंकेक्षित	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 19 अंकेक्षित
1.	प्रचालनों से आय				
	क) प्रचालनों से राजस्व	11269.92	12477.79	10766.18	46067.05
	ख) अन्य आय	14.16	117.56	65.12	159.32
	कुल आय	11284.08	12595.35	10831.30	46226.37
2.	खर्चे				
	क) खपत सामग्री की लागत	5922.64	7845.66	4996.60	25355.88
	ख) व्यापार में भंडार में क्रय	69.92	6.05	1.84	17.55
	ग) तैयार सामग्रियों, प्रगति में कार्य तथा व्यापार में भंडार में परिवर्तन	459.78		952.94	124.80
	घ) कर्मचारी लाभ व्यय	783.32	(916.07)	603.72	2999.60
	ड.) वित्त लागत	267.54	869.84	208.84	1112.98
	च) मूल्य हास तथा परिशोधन व्यय	409.68	342.18	376.08	1579.09
	छ) अन्य खर्चे	2341.54	475.60	2486.04	9843.00
	कुल खर्चे	10254.42	2571.82	9626.06	41032.90
3.	विशिष्ट मदों से पूर्व प्रचालनों से लाभ/(हानि)	1029.66	11195.08	1205.24	5193.47
4.	विशिष्ट मदों	-		-	-
5.	कर से पूर्व सामन्य क्रियाकलापों से लाभ/ (हानि)	1029.66	1400.28	1205.24	5193.47
6.	कर				
	-चालू कर	297.68	424.97	435.78	1412.83
	-आस्थगित कर	78.85	115.83	68.66	272.85
7.	जारी प्रचालनों से शुद्ध लाभ/(हानि)	653.13	859.48	700.80	3507.79
8.	असाधारण मद (नेट ऑफ टैक्स)	-		-	-
9.	अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि)	653.13	859.48	700.80	3507.79
10.	अन्य व्यापक आय (नेट ऑफ टैक्स)	(2.96)	19.69	(2.98)	10.82
11.	अवधि के लिये कुल व्यापक आय (नेट ऑफ	650.17	879.17	697.82	3518.61
12.	टैक्स)	816.62	816.62	816.62	816.62
13.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/-प्रति) आय प्रति शेयर रु. 10/- प्रति का मूल एवं तरल	8.00	10.52	8.85	42.95

टिप्पणी:
1. 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 12 अगस्त, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये।
2. सेबी के सर्क्युलर CIR/CFD/CMD/15/2015 तिथि 30 नवम्बर, 2015 में यथा निर्दिष्ट उपरोक्त परिणामों के प्रारूप को सेबी के सर्क्युलर तिथि 5 जुलाई, 2016, इंड ए एस तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III (डिवीजन II)की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिये संशोधित किये गये हैं।
3. कंपनी एकल व्यवसाय खंड में प्रचालन करती है।
4. जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि/वर्ष के आँकड़े पुनर्वर्गीकृत तथा पुनर्व्यवस्थित किये गये हैं।

स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये
हस्ता/-
जगदीश गुप्ता
प्रबंध निदेशक

स्थान: चंडीगढ़
तिथि : 12 अगस्त, 2019

SCHABLONA INDIA LIMITED

CIN:L51109DL1983PLC318655
Regd.Office: 82/19,Bhakerwara Road,Mundka,
New Delhi-110 041;Tel:011-2834 1085
Website:www.schablona.in,Email id:silinvestors@schablona.in

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2019 (Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended 30.06.2019 Unaudited	Quarter Ended 30.06.2018 Unaudited	Year Ended 31.03.2019 Audited
1)Revenue from Operations			
- Gross Sales	20.97	469.53	847.56
- Other operational Income	0.19	6.39	10.03
2) Other Income	5.18	0.25	144.91
Total Income	26.34	476.17	1,002.50
Net Profit/(Loss) For the period before tax (Exceptional and/or Extraordinary items)	(77.04)	(106.15)	(474.20)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	(77.04)	(106.15)	(474.20)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	(77.44)	(106.15)	(482.09)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss)for the period (after tax) and Other Comperhensive income (after tax)	(77.44)	(106.15)	(499.03)
Equity Share Capital	126.37	126.37	126.37
Reserves(excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance Sheet of the previous year			(2,016.38)
Earning per Equity Share in Rs.(Face value of Rs. 4/-each)			
-Basic in Rs. (Not annualised)	(2.45)	(3.36)	(15.80)
-Diluted in Rs. (Not annualised)	(2.45)	(3.36)	(15.80)

Note:
1) The above is an extract of the detailed format of the Quarter ended Financial Results filed with the Stock Exchange, i.e BSE Limited, under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Financial Results is available on the BSE Limited website,i.e.www.bseindia.com and on the website of the Company,i.e www.schablona.in

For SCHABLONA INDIA LIMITED
(Satish C. Vishwakarma)
Executive Director & CFO
(DIN:06891937)

Place Noida
Date:12.08.2019

ADVIK LABORATORIES LIMITED

CIN: L74899HR1994PLC038300
Regd. Off.: 138, Roz Ka Meo Industrial Area, Sohna, Distt. Mewat, Haryana- 122103.
Tel No.: 0124-2362471, 011-42424884, Fax no.: 011-43571047,
Website: www.advikindia.com, Email: mail@advikindia.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2019

(Rs. in Lacs)

Particulars	Quarter ended 30.06.2019 (Un-audited)	Quarter ended 30.06.2018 (Un-audited)	Year ended 31.03.2019 (Audited)
Total income from operations	0.64	0.00	84.51
Net Profit / (Loss)for the period(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(29.79)	(33.13)	(129.29)
Net Profit / (Loss)for the period before Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(29.79)	(33.13)	(129.29)
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(27.52)	(31.79)	(124.60)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(27.19)	(31.56)	(123.28
Equity Share Capital	1,911.14	1,911.14	1,911.14
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	-	-	(958.42)
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
Basic :	(0.14)	(0.17)	(0.65)
Diluted	(0.14)	(0.17)	(0.65)

Notes: The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirments) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchanges websites, viz., www.bseindia.com, www.aseIindia.co.in and on the Company's website www.advikindia.com

For and on behalf of Board Directors of
Advik Laboratories Limited
Sd/-
Peeyush Kumar Aggarwal
Chairman
DIN: 00090423

Place: New Delhi
Date: 12th August, 2019

क्षेत्रिय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष
कम्पनी मामलों का मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (क) के मामले में
और
[illegible] इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(CIN : U51909DL2009PTC194623)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : एच नं 8–बी / 1, प्लॉट नं 1ए, ग्राउंड फ्लोर डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया मोती नगर दिल्ली – 110015 स्थित है, के मामले में

...याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कम्पनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "तेलगाना राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख गुरुवार 18 जुलाई 2019 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित संकल्प के संदर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक आपत्ति प्रपत्र फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजगा :

एच नं 8–बी / 1, प्लॉट न 1ए, ग्राउंड फ्लोर डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया, मोती नगर दिल्ली – 110015

आवेदक की ओर से और उनके लिए
कृते [illegible] इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता / –
कमल बहल
(निदेशक)
डीआईएन : 00587854

तिथि : 13.08.2019
स्थान : दिल्ली

फॉर्म सं. आईएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली की रा.रा.क्षे." से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानान्तरित करने हेतु विज्ञापन
केन्द्र सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) एवं कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में
तथा
लोटस स्टेम फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U01122DL2011PTC217372) जिसका पंजीकृत कार्यालय: एस–92, तीसरा फ्लोर, पंचशील पार्क, नई दिल्ली 110017

आवेदक / याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत आवेदक कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानान्तरित करने और इसे सक्षम बनाने के लिए 12 अगस्त, 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के सम्बन्ध में कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन की पुष्टि लेने के लिए आवेदक कंपनी द्वारा केन्द्र सरकार के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करने जा रही है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो **वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, दूसरा फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003 को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पर भेजी जानी चाहिए।

पंजीकृत कार्यालय:
लोटस स्टेम फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड एस–92, तीसरा फ्लोर, पंचशील पार्क, नई दिल्ली 110017

कृते **लोटस स्टेम फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड**
हस्ता / –
कृष्णा कुमार वाधवा
निदेशक
DIN:00170731

तिथि: 12.08.2019
स्थान: नई दिल्ली

पता: सी–33, सर्वोदय नगर हंस नगर, कानपुर 208005 यूपी

MARKTESH TRADING LIMITED
REGD. OFFICE : 612, DEVIKA TOWER, 6, NEHRU PLACE, NEW DELHI-110019
CIN : L51909DL2005PLC135119
E-mail : shriharshraizada@gmail.com, Tel/Fax: +91-11-26219944

Statement of Unaudited Financial Results for the 1st. Qtr. ended 30th. June, 2019

(Rs. In Lakhs)

PARTICULARS	Quarter ended (30/06/2019) (Unaudited)	(31/03/2019) (Audited)	(30/06/2018) (Unaudited)	Year Ended (31/03/2019) (Audited)
I. Revenue from Operations	18.66	16.04	8.50	40.78
II. Other Income	1.48	6.49	0.33	7.85
III. Total Revenue (I+II)	20.14	22.53	8.83	48.63
IV. Expenses				
(a) Cost of Materials consumed	0	0	0	0
(b) Purchase of stock-in-trade	19.15	8.60	7.49	26.28
(c) Changes in inventories of finished goods, work in progress and stock-in-trade	(0.83)	19.19	(0.70)	18.42
(d) Employee benefits expense	0.6	0.60	0.51	2.17
(e) Finance cost	0	0	0	0
(f) Depriciation and amortisation expense	0.06	0.05	0.05	0.23
(g) Other expenses	0.91	1.48	0.99	3.59
Total Expenses	19.89	29.92	8.34	50.69
V. Profit/(Loss) before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)	0.25	(7.39)	0.49	(2.06)
VI. Exceptional items	0	0	0	0
VII. Profit/(Loss) before extraordinary items and tax (V-VI)	0.25	(7.39)	0.49	(2.06)
VIII. Extraordinary Items	0	0	0	0
IX. Net Profit/(Loss) before Tax tax (VII-VIII)	0.25	(7.39)	0.49	(2.06)
X. Tax Expense:				
1. Current Tax	0.05	(1.39)	0.09	(2.06)
2. Deferred Tax	0	0	0	0
XI. Net Profit/(Loss) for the period from continuing operation (VII-VIII)	0	0	0	0
XII. Net Profit/(Loss) for the period from discontinuing operation	0.2	(6.00)	0.40	(2.06)
XIII. Tax expense from discontinuing operations	0	0	0	0
XIV. Net Profit/(Loss) for the discontinuing operations after Tax (XII-XIII)	0	0	0	0
XV. Net Profit (Loss) for the period (XI + XIV)	0.2	(6.00)	0.40	(2.06)
XVI. Earnings Per Equity Share				
(a) Basic	0.64	-1.91	1.27	0.69
(b) Diluted				
Paid up equity share capital (Face Value of the Share shall be indicated)	31.425	31.425	31.425	31.425
Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	146.98	146.98	149.15	146.98
PART-II Information for the first quarter ended 30/06/2019				
A PARTICULARS OF SHAREHOLDING				
1 Public shareholding				
- Number of Shares	125500	125500	125500	125500
- Percentage of Shareholding	39.93%	39.93%	39.93%	39.93%
2 Promoters & Promoter group shareholding				
a) Pledged / Encumbered				
- Number of Shares	0	0	0	0
- Percentage of shares (as a % of the total shareholding of promoter & promoter group)	0	0	0	0
- Percentage of shares (as a % of the total share capital of the company)	0	0	0	0
b) Non-encumbered				
- Number of Shares	188750	188750	188750	188750
- Percentage of shares (as a % of the total shareholding of promoter & promoter group)	100%	100%	100%	100%
- Percentage of shares (as a % of the total share capital of the company)	60.07%	60.07%	60.07%	60.07%

Particulars	Three months ended 30/06/2019
B INVESTOR COMPLAINTS	
Pending at the beginning of the quarter	NIL
Received during the quarter	NIL
Disposed of during the quarter	NIL
Remaining unresolved at the end of the quarter	NIL

NOTES :
1. The above results were taken on record at a meeting of the Board of Directors held on dated 12th. August, 2019.
2. No investor complaints were received by the Company during the quarter ended 30th. June, 2019.
3. The Company has only one revenue segment. Hence, no separate segment wise information of revenue, results and capital employed is given.

For and on behalf of the Board
MARKTESH TRADING LIMITED
Sd/-
(ABHISHEK BAJORIA)
Director

Place : NEW DELHI
Date : 12/08/2019

SHALIMAR PAINTS LIMITED

SHALIMAR PAINTS
CIN No. L24222HR1902PLC065611
Regd. Office: Stainless Centre, 4th Floor, Plot No. 50, Sector 32 Gurugram -122001, Haryana
Website: www.shalimarpaints.com, Email: askus@shalimarpaints.com, Ph No.: +91 124 4616600

REGULATION 47 (1)(b) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015
EXTRACTS OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019

(₹ in Crore except for Shares and EPS)

Consolidated Financial Results

Sl. No.	Particulars	For the Quarter Ended 30.06.2019 (Unaudited)	31.03.2019 (Audited)	30.06.2018 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2019 (Audited)
1	Total Income from Operations	85.06	89.51	51.45	287.62
2	EBITDA#	0.26	(34.08)	(12.02)	(59.68)
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(6.16)	(42.79)	(20.30)	(93.50)
4	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(6.16)	(54.34)	(20.30)	(109.18)
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(5.35)	(43.36)	(14.76)	(81.78)
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profits / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	(5.35)	(43.84)	(14.79)	(82.35)
7	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 2/- each)	10.86	10.73	4.50	10.73
8	Other Equity				294.54
9	Earnings Per Share (Face Value of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations)-				
	Basic	(0.99)	(8.08)	(6.89)	(15.24)
	Diluted*	(0.99)	(8.08)	(6.89)	(15.24)

Standalone Financial Information

Sl. No.	Particulars	For the Quarter Ended 30.06.2019 (Unudited)	31.03.2019 (Audited)	30.06.2018 (Unudited)	Year Ended 31.03.2019 (Audited)
1	Total Income from Operations	85.06	89.51	51.45	287.62
2	EBITDA#	0.33	(34.00)	(11.95)	(59.40)
3	Net Profit for the period before tax	(6.08)	(54.25)	(20.23)	(108.89)
4	Net Profit for the period after tax	(5.30)	(43.30)	(14.72)	(81.57)

*Anti-dilutive
#EBITDA= Earning before Interest, Tax and Depreciation & Amortization

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the quarter ended June 30, 2019, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results for the quarter ended June 30, 2019, is available on the website of Stock Exchanges at (www.bseindia.com / www.nseindia.com) as well as on the Company's Website at (www.shalimarpaints.com).
2. On 4th Jan 2019, The parent company has allotted 3,11,43,042 equity shares of face value Rs. 2/- each at the price of Rs. 64.50/- per share (including premium of Rs. 62.50/- per shares) aggregating to Rs. 200.87 Crore to the eligible equity shareholders on right basis in the ratio of 3 equity shares for every 2 equity shares held.

Proceeds from the right issue have been utilised in the following manner -

Particulars	Proposed to be utilised during financial year 2018-19	Utilised during the financial year 2018-19	Utilised during quarter 1 of financial year 2019-20	To be utilised during financial year 2019-20
Project of reinstatement of paint manufacturing plant at Nashik	45.68	20.35	14.22	11.11
Setting up of Regional Distribution Centre (RDC) at Nashik	3.40	-	-	3.40
Long Term Working Capital Requirements	117.38	87.09	32.27	-1.98
General Corporate purposes	34.15	11.37	13.66	9.13
Expenses for Rights Issue	0.26	0.26	-	-
Total	**200.87**	**119.07**	**60.15**	**21.65**

3. On 8th April 2019, The parent company has allotted 6,58,872 equity shares of face value Rs. 2/- each at the price of Rs. 86.56/- per share (including premium of Rs. 84.56/- per shares) aggregating to Rs. 5.70 Crore to the Hind Strategic Investments by converting its ECB loan of US$ 0.08 Cr pursuant to members approval through Postal ballet dated 16.03.2019.
4. These Consolidated Unaudited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors in their meeting held on August 12, 2019. Limited Review of these results are in accordance with Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 has been carried out by the Statutory Auditors.

For and on behalf of the Board
Ashok Kumar Gupta
Director
DIN: 01722395

Place: Gurugram
Date: August 12, 2019

AAYUSH FOOD AND HERBS LIMITED

CIN: - L01122DL1984PLC018307
Regd. Off.- W-321, Ground Floor, Chirag Delhi, New Delhi- 110017; Ph.- 011-41009092
Website: www.aayushfoods.com; E-mail: aayushfoodherbs@gmail.com

Statement of Standalone Un-audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2019

(Rs. In Lakhs, unless otherwise stated)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2019 Un-udited	Preceding 3 months ended 31.03.2019 Audited	Corresponding 3 months ended in the previous year 30.06.2018 Un-audited	Year ended 31.03.2019 Audited
1	Total Income from Operations (net)	3,651.39	4,817.43	2,794.46	13,306.77
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	19.33	6.23	27.28	82.17
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	19.33	6.23	27.28	82.17
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	14.30	-8.81	27.28	60.34
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] [Refer Note 3 below]	---	---	---	---
6	Equity Share Capital	324.50	324.50	324.50	324.50
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	---	---	---	251.59
8	Earnings/(Loss) Per Share(not annualised, in Rs.) for continuing and discontinued operations				
	- Basic	0.44	-0.27	0.84	1.86
	- Diluted	0.44	-0.27	0.84	1.86

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Financial Results fro the quarter ended June 30, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended June 30, 2019 are available on the website of the BSE Limited (www.bseindia.com) and Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in) where the company's shares are listed and shall also be available on the website of the Company (www.aayushfoods.com).
2. The above Un-audited Standalone financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2019 have been reviewed by Audit Committee of the Board and thereafter approved by the Board of Directors at its meeting held on August 12, 2019.
3. The above Unaudited Financial Results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting standards) Rules, 2015 (IND AS) Prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other Recognised Accounting practices and policies to the extent applicable.

By order of the Board
For Aayush Food and Herbs Ltd.
Sd/-
Pallavi Mittal
Managing Director
DIN 07704583

Place: New Delhi
Date : 12th August, 2019

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

HeroFin Corp.
CIN:U74899DL1991PLC046774
पंजी. कार्यालय: 34, कम्युनिटी सेन्टर, बसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली–110057
टेली: 011–49487150, फैक्स: 011–49487150, ई–मेल: litigation@herofincorp.com,
वेबसाईट: www.herofincorp.com

पूर्वाग्रह–रहित ई–नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के अनुसार हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (एचएफसीएल) के पास गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति की ई–नीलामी बिक्री

विद्वान सीएमएम, पटियाला हाउस कोर्ट्स नई के आदेश तिथि 19.12.2016 तथा एफएओ 76/2017 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश तिथि 24.5.2019 तथा 22.7.2019 के अनुपालन में एचएफसीएल के प्राधिकृत अधिकारी ने यहां नीचे वर्णित सभी शुल्कों के साथ एचएफसीएल के बकाये की वसूली के लिये "जैसा है जहां है आधार" एवं "जो भी वहां है आधार" एवं "जैसा है जो है आधार" एवं "उपचार रहित आधार" पर पूरी तरह से उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खाता में सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। जैसा कि बकाये के भुगतान में विफलता के बाद प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी नीचे वर्णित सम्पत्ति की बिक्री द्वारा एचएफसीएल के बकाये की वसूली करने का प्रस्ताव करते हैं। जैसा कि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री ऋणधारक से एचएफसीएल के बकाये प्रतिभूत ऋण की वूसली के लिये सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जायेगी।
आम जनता को व्यक्तिगत अथवा विधिवत अधिकृत एजेन्टों के माध्यम से बोली करने के लिये आमंत्रित किया जाता है।

ऋणधारक का नाम एवं पता:
1. श्री अजय मैनी, प्रबंध पार्टनर, मै. मैनी स्कैफोल्ड सिस्टम्स
पंजी. कार्यालय: बी1/ए 21, भूतल, मोहन कोऑपरेटिव इस्टेट, नई दिल्ली–110044,
साथ ही: सी–3, 3रा तल, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली
2. मै. मैनी स्कैफोल्ड सिस्टम्स (सह–ऋणधारक)
पंजी. कार्यालय: बी1/ए 21, भूतल, मोहन कोऑपरेटिव इस्टेट, नई दिल्ली–110044,
3. मैनी कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेन्ट पी.लि. (सह–ऋणधारक)
पंजी. कार्यालय: बी1/ए 21, भूतल, मोहन कोऑपरेटिव इस्टेट, नई दिल्ली–110044,
4. श्री राजेश मैनी (गारन्टर) पार्टनर, मै. मैनी स्कैफोल्ड सिस्टम्स जिसका पंजीकृत कार्यालय: बी1/ए 21, भूतल, मोहन कोऑपरेटिव इस्टेट, नई दिल्ली–110044, साथ ही: सी–3, 3रा तल, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली

ऋण दस्तावेजों: स्वीकृत पत्र तिथि 10.6.2015, **रेफरैन्स एचएफसीएल/ एलएपी/** 06–01/2015 **तथा ऋण अनुबंध तिथि** 10.7.2015

मांग सूचना की तिथि: 20.09.2016 | **वास्तविक कब्जा की तिथि:** 23.7.2019

मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि: 09.09.2016 को देय रु. 10,11,79,116/– (रुपए दस करोड़ ग्यारह लाख उन्यासी हजार एक सौ सोलह मात्र)

उपरोक्त ऋण खाता के संदर्भ में गिरवी अचल सम्पत्ति का विवरण: 3/26, 2रा तल, शान्ति निकेतन, नई दिल्ली

आरक्षित मूल्य: रु. 10,00,00,000/– (रुपए दस करोड़ मात्र)

ई–नीलामी की तिथि एवं समय: 20.9.2019 को 10 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक।

ऑन लाइन निविदा/ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें:
1. ई–नीलामी बिक्री प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 20.9.2019 को 10 बजे पूर्वा. से 1 बजे अप. (आईएसटी) तक वेबसाईट "https://www.bankauctions.in" के माध्यम से "ऑन लाइन ई–नीलामी/बिक्री" होगी।
2. इच्छुक बोलीदाता के पास वैध ई–मेल पता होना चाहिये।
3. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई–नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व ई–नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये वेबसाईट: **https://www.bankauctions.in** देखें।
4. संभावित बोलीदाताओं को **https://www.bankauctions.in** पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त करना होगा।
5. संभावित बोलीदाता हेल्पालाइन नं.: 040–23836405, +91–8142000809/8142000066/67 पर सम्पर्क कर अथवा info@ bankauctions.com/vikas@bankauctions.in पर ई–मेल भेजकर हमारे सेवा प्रदाता मै. 4 क्लोजर से ई–नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
6. संबंधित विवरणों के साथ बोलियां निर्धारित प्रारूप में केवल ऑन लाइन जमा की जायेगी।
7. ऑन लाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि 19.9.2019 के 6.00 बजे अप. तक है।
8. न्यूनतम बोली वृद्धि मूल्य रु. 1,00,000/– (रुपए एक लाख मात्र) है।
9. ई–नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक बोलीदाताओं को नीचे वर्णित खाता में आरटीजीएस/एनईएफटी निधि अंतरण द्वारा ईएमडी जमा करना होगा:

बैंक का नाम	एचडीएफसी बैंक लि.
खाता धारक का नाम	हीरो फिनकॉर्प लि.
बैंक का पता	209–214, कैलाश बिल्डिंग 26, केजी मार्ग, नई दिल्ली
खाता सं.	00030310016156
आईएफएससी कोड	HDFC0000003

10. सफल बोलीदाता के मामले में ईएमडी समायोजित की जायेगी। असफल बोलीदाता को ईएमडी एचएफसीएल द्वारा वापस लौटा दी जायेगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी।
11. एचएफसीएल को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी या सभी बोलियों/प्रस्तावों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा ई–नीलामी बिक्री को स्थगित/निलंबति/रद्द करने का अधिकार प्राप्त है।
12. उपरोक्त सम्पत्ति को वर्णित आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।
13. यदि एचएफसीएल द्वारा बोली/प्रस्ताव स्वीकार की जाती है, बोली में उच्चतम मूल्य का प्रस्ताव करने वाले सफल बोलीदाता को एचएफसीएल के पास ई नीलामी बिक्री की पूर्णता पर तत्काल बिक्री मूल्य के 25% बोली राशि (ईएमडी सहित) का भुगतान करना होगा जिसमें विफल होने पर ईएमडी जब्त कर ली जायेगी तथा तत्काल सम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी।
14. सफल बोलीदाता को बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन या उससे पूर्व हीरो फिन कॉर्प लिमिटेड के पक्ष में देय, नई दिल्ली में भुगतान होने योग्य चेक/ पे आर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 75% बोली राशि का भुगतान करना होगा।
15. निर्धारित अवधि अर्थात् बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर शेष 75% बोली राशि का भुगतान नहीं करने पर जमा राशि (25% बोली राशि सहित) जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी तथा क्रेता उस सम्पत्ति अथवा राशि के किसी भाग जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी, के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे।
16. एचएफसीएल द्वारा बिक्री की पुष्टि पर तथा यदि नियमों एवं शर्तों का पालन किया गया हो, बिक्री करने वाले प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के परिशिष्ट V में दी गई प्रपत्र में क्रेता के पक्ष में अचल सम्पत्ति का बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
17. सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है आधार" एवं "जो भी वहां है आधार" एवं "जैसा है जो भी है आधार" एवं उपचार–रहित आधार पर की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति के संदर्भ में टाइटल, पहचान, विस्तार, व्यास, सर्वे नम्बर, डोर नम्बर, चौहद्दी अथवा अधिभारों के विषय में संतुष्ट होने के लिये राजस्व/एसआरओ के अभिलेखों की जांच कर लें। एचएफसीएल उपरोक्त सम्पत्ति पर लम्बित किसी भी प्रकार की देयताओं के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
18. इच्छुक पार्टी/बोलीदाता 18.9.2019 को या उससे पूर्व कार्यावधि के दौरान नीलामी पर रखी गई सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं जिसके लिये वे अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क कर सकते हैं।
19. सफल बोलीदाता को एकाकी रूप से लागू होने वाले कॉन्वीयन्स, पंजीकरण शुल्कों, स्टाम्प शुल्क, करों, सांविधिक देयताओं के लिये देय सभी चार्जेज का वहन करना होगा।
20. यह ई–नीलामी बिक्री एचएफसीएल द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
21. यह बिक्री/नीलामी सरफेसी अधिनियम, 2002 (उसके अंतर्गत निर्मित नियमों) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी।
22. नीलामी की गई सम्पत्ति के संदर्भ में किसी चार्ज, लिएन, अधिभारों, सम्पत्ति कर तथा सरकार या किसी व्यक्ति के किसी अन्य बकाये के लिये एचएफसीएल उत्तरदायी नहीं होगा।
23. यदि वे अपनी सम्पूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान नहीं करते हैं तो उपरोक्त तिथि को ई–नीलामी बिक्री के आयोजन के विषय में उपरोक्त ऋण के ऋणधारक के लिये यह प्रकाशन 30 दिनों की बिक्री सूचना है। ऋणधारक ई–नीलामी की तिथि को या उससे पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिये सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 30 दिनों की बिक्री सूचना दी जाती है जिसमें विफल होने पर अचल सम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी तथा शेष, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों के साथ वसूल की जायेगी। यदि ई–नीलामी बिक्री की तिथि से पूर्व ऋणधारक एचएफसीएल की संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान कर देते हैं तो ई–नीलामी बिक्री रोक दी जायेगी।
24. एतद्द्वारा ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि बिक्री के नियमों एवं शर्तों के अनुसार यहां ऊपर निर्दिष्ट गिरवी सम्पत्ति की खरीद के लिये वे इच्छुक क्रेताओं/खरीदारों को सामने ला सकते हैं।
25. अचल सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम बोलीदाता को की जायेगी। लेकिन, प्राधिकृत अधिकारी को यदि वे आवश्यक समझें, इंटर–से बोली की अनुमति देने का सम्प्रभु अधिकार है।
26. ऊपर वर्णित ऋण की राशि, ऋण फोक्लोंजर राशि नहीं है। उक्त ऋण के लिये लम्बित ईएमआई सहित अन्य सभी चार्जो की ऋण समापन के समय में गणना की जायेगी।

श्री विक्की ग्रोवर
मो.: 9205581723
प्राधिकृत अधिकारी
हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

तिथि: 13.8.2019
स्थान: नई दिल्ली

मेवात जिंक लिमिटेड

CIN: L27204DL1991PLC046120
पंजीकृत कार्यालय: 1/24, बंसी हाउस, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002
फोन. नं. 011–23234316, ई–मेल: mewatzinc@gmail.com, वेबसाईट: www.mewatzinc.com

30 जून को समाप्त तिमाही का अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.6.2019 (अनंकेक्षित)	31.3.2019 (अंकेक्षित)	30.6.2018 (अनंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.3.2019 (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	33.40	40.05	92.17	201.20
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	0.27	2.42	1.97	5.10
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	0.27	2.42	1.97	5.10
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	0.20	1.82	1.48	3.76
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	0.20	1.82	1.48	3.76
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	400.00	400.00	400.00	400.00
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)				-41.98
8.	आय प्रति शेयर (सम मूल्य रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)				
	मूल:	0.01	0.05	0.04	0.09
	तरल:	0.01	0.05	0.04	0.09

टिप्पणी:
1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की गई समाप्त तिमाही के परिणामों का संपूर्ण प्रारुप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.mewatzink.com) पर उपलब्ध है।
2) उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 12 अगस्त, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।
3) कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षक ने सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अनुपालन में 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
4) जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व वर्ष/ तिमाही के आंकड़े पुनर्वर्गीकृत/पुनर्समूहीकृत किए गए हैं।

बोर्ड के आदेश से
मेवात जिंक लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
जे.पी. गुप्ता
(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)
DIN: 00253529

तिथि: 12.08.2019
स्थान: नई दिल्ली

"फार्म नं0 आईएनसी–26"
[कंपनी (निगमन) विनियमन, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण को लेकर समाचार–पत्र में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन
समक्ष केंद्र सरकार
(क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र)
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कंपनी (निगमन) विनियमन, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) की धारा (अ) के मामले में
– तथा –
कुलटेक्स होल्डिंग्स लिमिटेड, (CIN : U67120DL1983PLC016454) जिसका पंजीकृत कार्यालय : 13, लोकल शॉपिंग सेंटर, मस्जिद मोठ, जीके–।।, नई दिल्ली 110048 में स्थित है, के मामले में ..... आवेदक

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 08 **जुलाई,** 2019 को आयोजित वार्षिक आमसभा/ **विशेष आमसभा** में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन के पुष्टीकरण हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कंपनी केंद्र सरकार को एक आवेदन दाखिल करेगी ताकि कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय का स्थानांतरण **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली"** से **"छत्तीसगढ़ राज्य"** में करने का अधिकार प्राप्त हो जाए।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से प्रभावित हो, तो वह हलफनामे में विरोध के आधार व प्रभावित होने वाले अपने/ अपनी हित की प्रकृति का जिक्र कर अपने/ अपनी आपत्ति इस सूचना की प्रकाशन तिथि से **चौदह दिनों** के भीतर **निवेशक शिकायत फार्म भरकर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर प्रेषित करें अथवा **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–** 110003 के पते पर दाखिल करें अथवा पंजीकृत डाक से उनके पास पहुंच जाए तथा उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को भी उसके अधोलिखित पते पर पंजीकृत कार्यालय में भिजवाएं : 13, लोकल शॉपिंग सेंटर, मस्जिद मोठ, जीके–।।, नई दिल्ली 110048

वास्ते तथा आवेदक की ओर से
कुलटेक्स होल्डिंग्स लिमिटेड
हस्ता/– **गीतिका जैन**
निदेशक
DIN: 00207695

दिनांक : 12.08.2019
स्थान : नई दिल्ली

"फार्म नं0 आईएनसी–26"
[कंपनी (निगमन) विनियमन, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण को लेकर समाचार–पत्र में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन
समक्ष केंद्र सरकार
(क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र)
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कंपनी (निगमन) विनियमन, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) की धारा (अ) के मामले में
– तथा –
सर्ज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, (CIN : U74899DL1984PTC019494) जिसका पंजीकृत कार्यालय : 13, मस्जिद मोठ, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली 110048 में स्थित है, के मामले में ..... आवेदक

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 08 **जुलाई,** 2019 को आयोजित वार्षिक आमसभा/ **विशेष आमसभा** में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन के पुष्टीकरण हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कंपनी केंद्र सरकार को एक आवेदन दाखिल करेगी ताकि कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय का स्थानांतरण **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली"** से **"छत्तीसगढ़ राज्य"** में करने का अधिकार प्राप्त हो जाए।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से प्रभावित हो, तो वह हलफनामे में विरोध के आधार व प्रभावित होने वाले अपने/ अपनी हित की प्रकृति का जिक्र कर अपने/ अपनी आपत्ति इस सूचना की प्रकाशन तिथि से **चौदह दिनों** के भीतर **निवेशक शिकायत फार्म भरकर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर प्रेषित करें अथवा **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–** 110003 के पते पर दाखिल करें अथवा पंजीकृत डाक से उनके पास पहुंच जाए तथा उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को भी उसके अधोलिखित पते पर पंजीकृत कार्यालय में भिजवाएं : 13, मस्जिद मोठ, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली 110048

वास्ते तथा आवेदक की ओर से
सर्ज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/– **गीतिका जैन**
निदेशक
DIN: 00207695

दिनांक : 12.08.2019
स्थान : नई दिल्ली

फार्म न. एनसीएलटी. 3ए
समक्ष राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल
बेंच-II, नई दिल्ली
CP (CAA) No. 108/ND/2019
कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में
एवं
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तक साथ में पढें कम्पनीज़ (समझौता, व्यवस्था, समामेलन) रूल 2016 के मामले में
एवं मामले में
के मध्य समामेलन की योजना
अल्फीयस रियल एस्टेट प्रा. लि. (ट्रांस्फर्र कंपनी नं. 1)
सरिटोर प्रॉपर्टीज प्रा. लि. (ट्रांस्फर्र कंपनी नं. 2)
क्लेटा बिल्डकॉम प्रा. लि. (ट्रांस्फर्र कंपनी नं. 3)
क्लेटा डैवलपर्स प्रा. लि. (ट्रांस्फर्र कंपनी नं. 4)
नोमोस प्रॉपर्टीज प्रा. लि. (ट्रांस्फर्र कंपनी नं. 5)
क्लेटा बिल्डर्स प्रा. लि. (ट्रांस्फर्र कंपनी नं. 6)
हेसपीरा लैंड डैवलपर्स प्रा. लि. (ट्रांस्फरी कंपनी) एवं उनके संबंधित शेयरधारक
एवं मामले में

1. अल्फीयस रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनी एक कम्पनी जिसका CIN : U70100DL2011PTC217236, पंजीकृत कार्यालय ए–19, ए–ब्लाक, हाऊस नं. ए–1 से ए–32, वैस्टएण्ड, नई दिल्ली–110021 में है।
(PAN : AAJCA3537C) ... आवेदक कंपनी 1/ ट्रांस्फर्र कंपनी 1)
2. सरिटोर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनी एक कम्पनी जिसका CIN : U70109DL2011PTC217344, पंजीकृत कार्यालय ए–19, ए–ब्लाक, हाऊस नं. ए–1 से ए–32, वैस्टएण्ड, नई दिल्ली–110021 में है।
(PAN : AAPCS6023F) ... आवेदक कंपनी 2/ ट्रांस्फर्र कंपनी 2)
3. क्लेटा बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनी एक कम्पनी जिसका CIN : U70109DL2011PTC218701, पंजीकृत कार्यालय हाऊस नं. 3, स्ट्रीट नं. 4ए ओल्ड अनारकली, कृष्णा नगर, दिल्ली–110051 में स्थित है।
(PAN : AAECC3877G) ... आवेदक कंपनी 3/ ट्रांस्फर्र कंपनी 3)
4. क्लेटा डैवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनी एक कम्पनी जिसका CIN : U70101DL2011PTC218708, पंजीकृत कार्यालय ए–19, ए–ब्लाक, हाऊस नं. ए–1 से ए–32, वैस्टएण्ड, नई दिल्ली–110021 में है।
(PAN : AAECC3875E) ... आवेदक कंपनी 4/ ट्रांस्फर्र कंपनी 4)
5. नोमोस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनी एक कम्पनी जिसका CIN : U70109DL2011PTC217156, पंजीकृत कार्यालय ए–19, ए–ब्लाक, हाऊस नं. ए–1 से ए–32, वैस्टएण्ड, नई दिल्ली–110021 में है।
(PAN : AADCN5811C) ... आवेदक कंपनी 5/ ट्रांस्फर्र कंपनी 5)
6. क्लेटा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनी एक कम्पनी जिसका CIN : U70200DL2011PTC218648, पंजीकृत कार्यालय ए–19, ए–ब्लाक, हाऊस नं. ए–1 से ए–32, वैस्टएण्ड, नई दिल्ली–110021 में है।
(PAN : AAECC3873C) ... आवेदक कंपनी 6/ ट्रांस्फर्र कंपनी 6)
7. हेसपीरा लैंड डैवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनी एक कम्पनी जिसका CIN : U70109DL2009PTC196611, पंजीकृत कार्यालय ए–19, ए–ब्लाक, हाऊस नं. ए–1 से ए–32, वैस्टएण्ड, नई दिल्ली–110021 में है।
(PAN : AACCH2971A) ... आवेदक कंपनी 7/ ट्रांस्फरी कंपनी)

याचिका की सूचना

एक संयुक्त याचिका कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230–232 के अंतर्गत समामेलन की योजना के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु मध्य अल्फीयस रियल एस्टेट प्रा. लि. (ट्रांस्फर्र कंपनी नं. 1) सरिटोर प्रॉपर्टीज प्रा. लि. (ट्रांस्फर्र कंपनी नं. 2) क्लेटा बिल्डकॉम प्रा. लि. (ट्रांस्फर्र कंपनी नं. 3) क्लेटा डैवलपर्स प्रा. लि. (ट्रांस्फर्र कंपनी नं. 4) नोमोस प्रॉपर्टीज प्रा. लि. (ट्रांस्फर्र कंपनी नं. 5) क्लेटा बिल्डर्स प्रा. लि. (ट्रांस्फर्र कंपनी नं. 6) का हेसपीरा लैंड डैवलपर्स प्रा. लि. (ट्रांस्फरी कंपनी) के साथ समामेलन की योजना की स्वीकृति हेतु आवेदक कम्पनीयों द्वारा दिनांक 23.07.2019 को प्रस्तुत की गई एवं उक्त याचिका की सुनवाई दिनांक 06.09.2019 को राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, बैंच-II, नई दिल्ली के समक्ष नियत की गई है। कोई व्यक्ति उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने का इच्छुक हो तो अपने इस आशय की सूचना अपने हस्ताक्षर से या अपने अधिवक्ता के हस्ताक्षर से नाम और पते सहित याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता के नाम व पते पर भेजे ताकि वह याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता के पास याचिका की सुनवाई के लिये नियत तिथि से कम से कम 2 दिन पूर्व पहुँच जाये। यदि वह याचिका का विरोध करना चाहता है तो ऐसी सूचना के साथ विरोध करने के आधार या शपथपत्र दिया जाना चाहिये। अधोहस्ताक्षरी द्वारा याचिका की एक प्रति उसकी अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को उसके लिये निहित प्रभार का संदाय करने पर दी जायेगी।

दिनांक : 12.08.2019 *हस्ता./–*

धृतिमान भट्टाचार्या/ दीति ओझा
आवेदक कम्पनीयों के अधिवक्ता
पता : **यूनिटी लीगल,** एस – 369, ग्रेटर कैलाश पार्ट – 2, नई दिल्ली–110048
Ph.: 011-41435356 (Board), Email: newdelhi@unitylegal.com

अमेरिका में गिरजाघर में गोलीबारी, एक मरा

रिप्ले (अमेरिका), 12 अगस्त। पूर्वोत्तर मिसिसिपी के एक छोटे गिरजाघर में गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दैनिक समाचार पत्र ने खबर में रिप्ले के पुलिस प्रमुख स्कॉट वाइट के हवाले से कहा कि गोलीबारी रविवार को 'वेस्ट रिप्ले चर्च ऑफ क्राइस्ट' में सुबह साढ़े ग्यारह बजे से थोड़ी पहले हुई। **(एपी)**

आग लगने से पांच बच्चों की मौत

ऐरी, 12 अगस्त (एपी)।

पेन्सिल्वेनिया के ऐरी शहर में एक 'डे केयर सेंटर' में आग लगने से पांच बच्चों की मौत हो गई और इसका मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐरी दमकल विभाग के प्रमुख गाय सैन्टोन ने बताया कि इन बच्चों की उम्र आठ महीने से सात साल के बीच थी।एरी के मुख्य दमकल निरीक्षक जॉन विडोम्स्की ने बताया कि कम से कम चार बच्चे रात को 'डे केयर सेंटर' (ऐसा स्थान जहां कामकाजी माता-पिता अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं) में थे। यह आवासीय मकान था जिसे डे केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया था। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है।

हांगकांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जमे प्रदर्शनकारी, उड़ानें रद्द

हांगकांग, 12 अगस्त (एएफपी)।

लोकतंत्र समर्थक हजारों प्रदर्शनकारियों के सोमवार को हांगकांग हवाई अड्डे पर उमड़ने के बाद यहां से विमानों का परिचालन रद्द कर दिया गया। उड़ानों से हवाई अड्डा पर उतरने वाले यात्रियों का स्वागत हजारों की संख्या में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने किया, जिन्होंने 'आजादी के लिए लड़ाई' के नारे लगाए। उनमें से ज्यादातर प्रदर्शनकारी काले कपड़ों में थे।

रविवार रात प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पुलिस की गोलीबारी में एक महिला के चेहरे पर गंभीर चोट लगी थी। उसकी पहचान नहीं हो पाई है। यह अफवाह है कि उसने इस घटना में अपनी दृष्टि खो दी। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टरों में उसकी तस्वीर का इस्तेमाल किया, उसका चेहरा खून से लथपथ है। बैनर पर 'आंख के बदले आंख' लिखा हुआ है। प्रदर्शनकारी के हाथों में मौजूद तख्ती पर लिखा था, 'हांगकांग हमारी हत्या कर रहा है। हांगकांग अब सुरक्षित नहीं रह गया है।' हवाई अड्डे की दीवारें, खंभे और अवरोधक लाल रंग से लिखे पोस्टरों से अटे पड़े हैं, जिन पर आंख के बदले आंख लिखा पढ़ा जा सकता है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा, 'हांगकांग के लोगों को अवश्य ही आगे आना चाहिए और डरना नहीं चाहिए।' प्रदर्शनकारी शुक्रवार से हवाई अड्डे पर धरना दे रहे हैं।

इस बीच, हवाई अड्डा अधिकारियों ने बयान में कहा, 'यहां से जाने वाली वे उड़ानें, जिन्होंने 'चेक-इन' प्रक्रिया पूरी कर ली और दूसरे स्थानों से हांगकांग रवाना हो चुकी उड़ानों के अलावा आज यहां से उड़ान भरने वाले और यहां आने वाली सभी उड़ानों को रद्द किया जाता है।'

वहीं, चीन ने हांगकांग में पुलिस अधिकारियों पर पेट्रोल बम फेंकने वाले हिंसक प्रदर्शनकारियों की सोमवार को निंदा की और इस हिंसा को आतंकवाद से जोड़ा है। स्टेट काउंसिल के हांगकांग और मकाऊ मामलों के कार्यालय के प्रवक्ता यांग गुआंग ने कहा, 'हांगकांग के कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के लिए लगातार बेहद खतरनाक उपकरणों का इस्तेमाल किया है, जो पहले से ही गंभीर हिंसक अपराध है और यह आतंकवाद के उभरने का पहला लक्षण है।'

पेरिस हमलों के संदिग्ध पर ब्रसेल्स आत्मघाती हमले के आरोप लगाए गए

ब्रसेल्स, 12 अगस्त (एएफपी)।

पेरिस में नवंबर, 2015 में हुए हमले के एकमात्र जीवित बचे संदिग्ध सालाह अब्देसलाम को कुछ महीने बाद हुए ब्रसेल्स आत्मघाती हमलों के मामले में औपचारिक रूप से आरोपी बनाया गया है। यह जानकारी संघीय अभियोजकों ने सोमवार को दी।

एपस्टीन की जेल में मौत पर बवाल

न्यूयार्क, 12 अगस्त (एएफपी)।

अमेरिका की एक जेल में यौन अपराधी व अमेरिकी फाइनेंसर जेफ्री एपस्टीन की कथित आत्महत्या को लेकर रविवार को देशभर में नाराजगी और बढ़ गई। कई अमेरिकी सांसदों ने इसको लेकर जवाबदेही की मांग करते हुए आशंका जताई कि कहीं उसकी मौत के पीछे कोई आपराधिक कृत्य तो नहीं छुपा है।

यौन अपराधी व अमेरिकी फाइनेंसर जेफ्री एपस्टीन शनिवार को जेल में मृत पाया गया। माना जा रहा है कि उसने आत्महत्या की। सवाल खड़े हो रहे हैं कि जेल में बंद हाई-प्रोफाइल व्यक्ति ने आत्महत्या कैसे कर ली।

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
कॉनकॉर CONCOR
एक नवरत्न कंपनी (भारत सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of India Navratna Undertaking)
Corporate Identity Number (CIN): L63011DL1988GOI030915
Regd. Office: CONCOR Bhawan, C-3, Mathura Road, New Delhi – 100 076
Phone: 91-11-41673093/94/95/96; Fax: 91-11-41673112
investorrelations@concorindia.com; www.concorindia.com

शेयरधारकों के लिए सूचना निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि में कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अंतरण

शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016, समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए अंतिम लाभांश, जो कि सात वर्षों की अवधि के लिए अदावाकृत है, उसे 24.10.2019 को आईईपीएफ के पास जमा किया जाएगा। संगत शेयर जिन पर निरंतर सात वर्षों के लिए लाभांश अदावाकृत है, उसे भी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतरित किया जाएगा। कम्पनी उन शेयरों को आईईपीएफ को अंतरित नहीं करेगी जिन पर न्यायालय/अधिकरण के विशेष आदेशों के अनुसार ऐसे शेयरों के किसी भी अंतरण पर रोक लगी है या जहां शेयर डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 के अंतर्गत रेहन/ बंधक रखे गये हैं।

नियमों के अनुपालन में कम्पनी ने संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना भेज दी है और आईईपीएफ को अंतरित किये जाने वाले ऐसे शेयरों का विवरण हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। संबंधित शेयरधारक अपने अप्रदत्त लाभांश और अंतरित किये जाने वाले शेयरों के ब्यौरे के सत्यापन के लिए वेब लिंक **www.concorindia.com** को भी देख सकते हैं।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 और उससे आगे के लिए घोषित अंतिम लाभांश का दावा इसे आईईपीएफ को अंतरित किये जाने से पूर्व कर लें।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर आईईपीएफ को अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं, कृपया नोट करें कि कम्पनी आईईपीएफ को शेयर अंतरण करने के प्रयोजन हेतु उनके द्वारा धारित मूल शेयरों के बदले डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) जारी करेगी और ऐसे शेयर जारी होने पर, कम्पनी डिपॉजिटरी को सूचित करके या डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्रों को डिमेट प्रारूप में बदलने और आईईपीएफ को अंतरित करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यवाही करेगी। मूल शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे और यह अविनिमेय माने जाएंगे। डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले संबंधित शेयरधारक कृपया नोट करें कि कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में शेयर के अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यवाही द्वारा डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

आगे शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये विवरण को उचित माना जाएगा और यह आईईपीएफ को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु कम्पनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाएगा।

यदि कम्पनी को संबंधित शेयरधारकों से 24.10.2019 तक कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी नियमों में आवश्यकताओं के अनुपालन में देय तिथि अर्थात् 23.11.2019 तक लाभांश को आईईपीएफ को अंतरित कर देगी। संगत शेयर जिनके संबंध में निरंतर सात वर्षों से लाभांश अदावाकृत है, उन्हें भी आगे बिना कोई सूचना दिये अंतरित कर दिया जाएगा।

कृपया नोट करें कि आईईपीएफ को अंतरित अदावाकृत लाभांश एवं शेयरों के संबंध में कम्पनी के पास कोई भी दावा नहीं किया जा सकेगा। शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित संगत लाभांश और शेयरों सहित ऐसे शेयरों पर मिलने वाले लाभ, यदि कोई हो, के संबंध में नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण के पास अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

शेयरधारकों/व्यक्तियों से अनुरोध है कि ऐसे शेयरों या लाभांश के संबंध में या उपरोक्त विषय में किसी भी दावे/पूछताछ के लिए कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि., बीटल हाउस, तीसरा तल, 99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, नई दिल्ली-110062, फोन: 011-29961281/82/83; फैक्स: 011-29961284, ई-मेल: beetalrta@gmail.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड,
हस्ता./-
कार्यकारी निदेशक (वित्त) एवं सीएस

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 12 अगस्त, 2019

राष्ट्रीय कंपनी विधी अधिकरण,
प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली, के समक्ष,
कंपनी याचिका सं. (सीएए) 101 (पीबी) 2019
कंपनी आवेदन सं. (सीएए) 65 (पीबी) 2019 के साथ
कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में
और
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232
के साथ पठित कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के मामले में
और
समग्र ठहराव की योजना
इंडियाबुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड
(याचिकाकर्ता /ट्रांसफरी कंपनी)
और
इंडिया लैन्ड एन्ड प्रॉपर्टीज लिमिटेड
(डीमर्ज्ड कंपनी/ट्रांसफरर कंपनी)
और
इंडियाबुल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
(परिणामी कंपनी)
और
इनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के मामले में

याचिका की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत इंडियाबुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता), जिसका पंजीकृत कार्यालय एम-62 और 63, पहली मंजिल, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली -110001 है, इंडिया लैन्ड एन्ड प्रॉपर्टीज लिमिटेड, इंडियाबुल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच व्यवस्था की समग्र योजना की कंपनी याचिका ('याचिका') 3 जुलाई, 2019 को याचिकाकर्ता द्वारा माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधी अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली, के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। यह याचिका 15 जुलाई, 2019 को स्वीकार की गई थी, तथा याचिका की सुनवाई 26 अगस्त, 2019 को सुबह 10.30 बजे राष्ट्रीय कंपनी विधी अधिकरण के समक्ष, निर्धारित की गई है। कोई भी व्यक्ति, जिसका हित इस याचिका से प्रभावित होता है, या वह इस याचिका का समर्थन या विरोध करने का इच्छुक है, वह व्यक्ति इस इच्छा की सूचना, राष्ट्रीय कंपनी विधी अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली, तथा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को, उसके या उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित, अपने नाम और पते के साथ, नीचे दिए गए पते पर भेजे, जिससे वह याचिका की सुनवाई के लिए तय तारीख से कम से कम दो (2) दिन पहले याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के पास पहुंच जाए। यदि कोई भी व्यक्ति याचिका का विरोध करना चाहता है, तो उसे उक्त सूचना के साथ विरोध के कारण या हलफनामे की एक प्रति भी भेजनी है। निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर किसी भी व्यक्ति को अधोहस्ताक्षरी द्वारा याचिका की एक प्रति उपलब्ध करा दी जाएगी।

जे. सागर असोसिएट्स
अधिवक्ता तथा आग्रहकर्ता
बी-303, तीसरी मंजिल, अंसल प्लाजा, हुडको प्लेस,
अगस्त क्रांती मार्ग, नई दिल्ली -110049

दिनांक : अगस्त 8, 2019

पॉलि मेडिक्योर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 232बी, तृतीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज III, नई दिल्ली-110020
सीआईएन: L40300DL1995PLC066923, फोन: 011-26321889, फैक्स: 011-26321894
वेबसाइट: www.polymedicure.com, ई-मेल: investorcare@polymedicure.com

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित स्टैन्डलोन एवं कंसॉलिडेटेड वित्तीय परिणामों का विवरण

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	स्टैन्डलोन समाप्त तिमाही 30.06.2019 (अनंकेक्षित)	स्टैन्डलोन समाप्त तिमाही 30.06.2018 (अनंकेक्षित)	स्टैन्डलोन समाप्त वर्ष 31.03.2019 (अंकेक्षित)	कंसॉलिडेटेड समाप्त तिमाही 30.06.2019 (अनंकेक्षित)	कंसॉलिडेटेड समाप्त तिमाही 30.06.2018 (अनंकेक्षित)	कंसॉलिडेटेड समाप्त वर्ष 31.03.2019 (अंकेक्षित)
1	प्रचालन से कुल आय	15,653.27	13,470.01	60,253.03	16,576.32	13,699.41	62,909.24
2	कर के बाद सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ	2,018.35	1,362.04	6,628.39	1,980.53	1,327.28	6,539.90
3	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (असाधारण मदें के बाद)	2,018.35	1,362.04	6,628.39	1,980.53	1,327.28	6,539.90
4	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल]	2,013.03	1,368.49	6,630.28	1,975.21	1,333.73	6,541.79
5	इक्विटी भुगतान किया हुआ शेयर पूंजी	4,412.35	4,411.34	4,411.85	4,412.35	4,411.34	4,411.85
6	प्रति शेयर आय (वार्षिकीकृत नहीं)						
	बेसिक (₹)	2.29	1.54	7.51	2.24	1.50	7.41
	डायल्यूटिड (₹)	2.29	1.54	7.51	2.24	1.50	7.41

नोट्स:

1 12 अगस्त, 2019 को आयोजित बैठक में उपरोक्त परिणामों की समीक्षा और सिफारिश लेखा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। उपरोक्त वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है।

2 उपरोक्त, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज किए गऐ 30 जून, 2019 को समाप्त तीमाही के लिए स्टैन्डलोन एवं कंसॉलिडेटेड वित्तीय परिणामों का विस्तृत स्वरूप का उद्धरण है। अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों www.bseindia.com, www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.polymedicure.com पर उपलब्ध हैं।

3 1 अप्रैल 2019 से कम्पनी ने इंड एएस 116 "पट्टा" अपनाया है और संशोधित पूर्वव्यापी प्रकिया का उपयोग करके 1 अप्रैल 2019 को वर्तमान सभी पट्टा अनुबंधों के लिए इसे लागू किया है तथा प्रारंभिक आवेदन की तिथि को प्रतिधारित अर्जन के लिए संचयी समायोजनों में लिया गया है। तद्नुसार, पिछली अवधियों के तुलनात्मक आंकड़ों को पुनः वर्णित नहीं किया गया है। मानकों के आवेदन का संचयी प्रभाव पारगमन तिथि अर्थात् 1 अप्रैल 2019 को रु. 79.86 लाख (आस्थगित कर परिसम्पत्ति का निवल) तक प्रतिधारित अर्जन में कमी हुई है। 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए इंड एएस 116 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ब्याज लागत और पट्टा किराया आय के परिवर्तन द्वारा कर पूर्व लाभ में रु. 0.82 लाख की कमी हुई है। वर्तमान अवधि के लिए लाभ एवं हानि विवरण में, प्रचालन पट्टे के संबंध में परिसम्पत्तियों के सही उपयोग के लिए मूल्यह्रास लागत के लिए पिछली अवधि में पट्टा किराया और पट्टा दायित्व पर उपार्जित ब्याज के लिए वित्त लागत व्यय की प्रकृति में बदलाव हुआ है। 01.04.2019 को नये मानक को अपनाने से परिसम्पत्ति के सही उपयोग की गणना रु. 402.22 लाख और पट्टा दायित्व रु. 524.97 लाख है।

4 सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसरण में, कंपनी ने 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए तिमाही समेकित वित्तीय परिणाम जमा कर दिये हैं। जैसा कि कंपनी के समेकित तिमाही वित्तीय परिणाम पहली बार जमा किये जा रहे हैं इसलिए इन वित्तीय विवरणों में 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए तुलनात्मक अवधि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित है और सीमित समीक्षा के अधीन नहीं है।

5 वर्तमान अवधि वर्गीकरण के अनुरूप करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनःसमूहित किए गया है।

बोर्ड के आदेश द्वारा
हस्ता./-
हिमांशु बैद
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 12 अगस्त, 2019

IOL

आइओएल केमिकल्स एंड फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(करोड़ों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30.06.2018 (अनंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2019 (अंकेक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	496.12	365.40	1,695.70
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, विशेष तथा/या असाधारण मदों से पूर्व)	131.02	19.67	336.15
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद)	131.02	19.67	336.15
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद)	85.32	14.41	236.70
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य (कर के व्यापक आय बाद) को शामिल करके]	85.32	14.41	235.30
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	56.89	56.21	56.89
7.	अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	-	-	417.45
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी और बंद प्रचालनों के लिए) (31.03.2019 को समाप्त वर्ष को छोड़कर वार्षिकी नहीं)			
	मूल	15.00	2.56	42.11
	तनुकृत	15.00	2.56	42.11
	नकदी	16.70	4.15	52.77

टिप्पणियां:

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण तथा अन्य प्रकटीकरण अपेक्षांए) विनियमनों, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। समाप्त तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवरण बीएसई लि. और नेशनल स्टोक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. की वेबसाईट अर्थात: www.bseindia.com तथा www.nseindia.com और कम्पनी की वेबसाईट www.iolcp.com पर उपलब्ध है।
2. उपरोक्त परिणाम की ऑडिट एवं रिस्क मैनेजमेंट कमेटी द्वारा समीक्षा की गई है और 12 अगस्त, 2019 को आयोजित उनकी संबंधित निदेशकों के बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किए गए है तथा ये परिणाम सांविधिक लेखापरीक्षिकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन किए जा रहे है।
3. कंपनी ने ऋण को कम करने के लिए, अधिसूचित पुनः अदायगी के लिए अतिरिक्त में बैंक को 98.18 करोड़ रु. (अर्थात पूर्व वित्तीय वर्ष में 20.05 करोड़ रु. और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 78.13 करोड़ रु.) की पूर्व अदायगी की है।
4. 01 अप्रैल 2019 से प्रभावी, कंपनी ने इंड एएस 116 'लीज' को अपना लिया है और संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण के प्रयोग द्वारा इसके लीज पर मानक लागू किया है। इसके परिणामस्वरूप 4.16 करोड़ रु. के अनुरूप लीज दायित्व और परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार को मान्यता मिली है और इसके अनुप्रयोग कंपनी के वित्तीय परिणामों पर प्रभाव डालने वाली कोई सामग्री नहीं रखते हैं।
5. पूर्व अवधि के आंकड़ों को जहां जरूरी विचारा गया, पुनः एकत्रित/पुनः व्यवस्थित/पुनः वर्णित किया गया है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते आइओएल केमिकल्स एंड फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
हस्ता./-
विजय गर्ग
संयुक्त प्रबंध निदेशक
DIN: 06510248

स्थान: लुधियाणा
तिथि: 12 अगस्त, 2019

CIN: L24116PB1986PLC007030 ... contact@iolcp.com, www.iolcp.com

---

ANANT RAJ LIMITED

Anant Raj Group

(FORMERLY KNOWN AS ANANT RAJ INDUSTRIES LIMITED)
CIN: L45400HR1985PLC021622
Regd. Office : Plot No.: CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Haryana -122051, Telefax: 0124-4265817
Head Office : H-65, Connaught Circus, New Delhi-110001, Tele: 011-43034400, 011-23324127
E-mail: manojpahwa@anantrajlimited.com, Website: www.anantrajlimited.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019

(Rs. in Crores Except Per Share Data)

Sl. No.	PARTICULARS	QUARTER ENDED 30.06.2019 (Unaudited)	QUARTER ENDED 31.03.2019 (Audited)	QUARTER ENDED 30.06.2018 (Unaudited)	YEAR ENDED 31-03-2019 (Audited)
1.	Total Income from Operations (Net)	**100.74**	171.96	102.26	**523.87**
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional items, and items and share of profit (loss) in associates & Joint Venture)	**7.92**	35.07	5.25	**67.50**
3.	Net Profit for the period (before Tax, Share of Profit/(Loss) in associates and joint venture and after Exceptional items)	**7.92**	35.07	5.25	**67.50**
4.	Net Profit for the period after Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items and share of profit (loss) in associates and Joint Venture)	**8.35**	35.27	4.13	**66.47**
5.	**Total comprehensive income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)**	**8.35**	34.66	4.15	**66.58**
6.	Paid up Equity Share Capital (face value of Rs. 2/- each)	**59.02**	59.02	59.02	**59.02**
7.	Other Equity (Reserves Excluding Revaluation Reserves)	-	-	-	**4161.24**
8.	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each)				
	(a) Basic EPS (Rs.) (Not Annualised)	**0.31**	1.29	0.15	2.33
	(b) Diluted EPS (Rs.) (Not Annualised)	**0.31**	1.29	0.15	2.33

NOTES :

1. The above un audited consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2019 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on August 12, 2019. The Statutory Auditors of the Company have conducted limited review of these results.
2. These consolidated financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of India Accounting Standards (Ind AS-34) 'Interim financial reporting ' as notified under Section 133 of the Companies ACT, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended. The said financial results represent the result of the Company, its subsidiaries together referred as 'Group' and its share in results of Associates and Joint venture which have been prepared in accordance with Ind AS-110 - 'Consolidated financial statement' and Ind AS-28 'Investment in associates and joint ventures'.
3. **The Standalone financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2019 are available on the Company's Website (www.anantrajlimited.com)**

KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION IS GIVEN BELOW :- (Rs. in Crores)

Sl. No.	PARTICULARS	QUARTER ENDED 30.06.2019 (Unaudited)	QUARTER ENDED 31.03.2019 (Audited)	QUARTER ENDED 30.06.2018 (Unaudited)	YEAR ENDED 31-03-2019 (Audited)
1.	Total Income from Operations	87.01	147.01	90.05	466.62
2.	Profit before tax	6.07	26.69	5.02	59.58
3.	Net Profit after tax	3.82	20.90	3.11	46.40
4.	Other Comprehensive Income	-	(0.53)	0.02	0.12
5.	Total Comprehensive Income	3.82	20.37	3.13	46.52

4. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2019, filed with stock exchanges under regulation 33 of SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of unaudited(Standalone & Consolidated) Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2019 are available on websites of National Stock Exchange of India Limited & BSE Limited **(www.nseindia.com&www.bseindia.com)** and on the Company's website at **www.anantrajlimited.com**

FOR & ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

For **ANANT RAJ LIMITED**
Sd/-
AMIT SARIN
Director & CEO (Real Estate Division)
DIN : 00015837

For **ANANT RAJ LIMITED**
Sd/-
AMAR SARIN
Director & CEO (Projects Division)
DIN : 00015937

Place : NEW DELHI
Date : AUGUST 12, 2019

ईद पर दो समूहों के बीच झड़प

मुंबई, 12 अगस्त (भाषा)।

महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में सोमवार को शिवसेना के समर्थकों और मुसलिम समुदाय के लोगों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। झड़प में किसी के घायल होने के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।

एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना सुबह साढ़े नौ बजे औंधा ईदगाह और नांदेड़ नाका इलाकों के बीच हुई, जहां शिवसेना के कावड़ यात्रा के सदस्य और ईद-उल-अजहा की नमाज अदा करने के लिए एकत्र हुए मुसलिम समुदाय के लोगों का आमना-सामना हो गया।

पर्यावरण मंत्रालय पीवीसी पाइपों में लैड के मानकों पर रिपोर्ट दे : हरित पंचाट

नई दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा)।

राष्ट्रीय हरित पंचाट ने केंद्र सरकार को लैड (सीसा) के मानकों पर रिपोर्ट देने का और अधिकतर इमारतों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पाइपों में स्टेबिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल लैड को चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्देश दिया है। पंचाट के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाले पीठ ने इस बात पर चिंता जताई कि उसके निर्देश के बावजूद अधिसूचना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। पीठ ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को 21 अक्तूबर से पहले रिपोर्ट जमा करने को कहा है। पीठ ने हालिया आदेश में कहा, '21 मई की रिपोर्ट कहती है कि प्रक्रिया अभी लंबित है। वन और पर्यावरण मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी है, अब इसे विधि मंत्रालय को दिया जाना है। अगली तारीख से पहले आगे की रिपोर्ट दी जाए।' एनजीटी ने मार्च में केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि पीवीसी पाइपों में लैड के इस्तेमाल के मानकों को दो महीने के अंदर अंतिम रूप दिया जाए।

SHIVALIK BIMETAL CONTROLS LIMITED

Regd. Office: 16-18, New Electronics Complex Chambaghat, Distt. Solan -173213 (HP).
Ph. +91-26027174, E-mail: investor@shivalikbimetals.com,
website: www: shivalikbimetals.com,CIN : L27101HP1984PLC005862

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2019

(₹ in lakhs, except EPS)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.19 Unaudited	Year Ended 31.03.19 Audited	Quarter Ended 30.06.18 Unaudited
1	Total Income from operations	5,187.98	19,877.81	5,150.49
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	422.59	3,249.96	809.57
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	422.59	3,249.96	809.57
4	Net Profit for the period after Tax(after Exceptional and / or Extraordinary items)	293.91	2,307.89	580.43
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)]	293.91	2,305.14	580.43
6	Equity share capital (Face Value of the Share ₹ 2/- each)	768.06	768.06	768.06
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserves) as per audited balance sheet of previous year	-	9,786.06	-
8	Earnings Per Share (Face value of the share ₹ 2/- each)(not annualised)			
	a) Basic	0.77	6.00	1.51
	b) Diluted	0.77	6.00	1.51

NOTES:
1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone Financial Results for the quarter ended 30th June, 2019 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Unaudited Standalone Financial Results for the quarter ended 30th June, 2019 are available on the websites of the Stock Exchange (*www.bseindia.com*) and the company's website (*www.shivalikbimetals.com*).
2. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee in their meeting held on 12th August, 2019 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 12th August, 2019. The Statutory Auditors of the Company have expressed an unmodified Audit opinion.

For and on Behalf of Board of Directors
sd/-
(N.S.Ghumman)
Managing Director
DIN : 00002052

Place : New Delhi
Dated :12.08.2019

BERVIN INVESTMENT & LEASING LIMITED

Regd. Office: 607, Rohit House, 3 Tolstoy Marg, New Delhi-110001
CIN : L65993DL1990PLC039397, Email: secretary@bervin.com, Web: www.bervin.com

Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the quarter ended 30.06.2019

(Amount in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2019 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2018 (Unaudited)	Year ended 31.03.2019 (Audited)
01	Total Income from Operations	101.81	383.28	1,553.10
02	Net profit / (Loss) for the period before tax (before Exceptional and/or Extraordinary items)	77.25	348.24	1,401.32
03	Net profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	77.25	348.24	1,401.32
04	Net profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	77.25	348.24	1,103.52
05	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	77.25	348.24	1,103.52
06	Equity Share Capital	589.81	589.81	589.81
07	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous Year	1,282.25	97.39	1,282.25
		31/03/2019	31/03/2018	31/03/2019
08	Earnings per share (of Rs. 10/-each) (for continuing and discontinued operations)			
	(1) Basic	1.31	5.90	23.76
	(2) Diluted	1.31	5.90	23.76

NOTES:
1. No Leasing Business has been undertaken during the quarter.
2. The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter taken on record and approved by Board of Directors at their meeting held on August 12, 2019.
3. Figures for the quarter ended 30th June, 2018 and year ended 31st March 2019 have been regrouped wherever necessary to make them comparable with figures of the current quarter ended 30th June, 2019.
4. As the Company is engaged in a single primary business segment, the disclosure requirement of Accounting Standard (AS-17) 'Segment Reporting' notified under Section 133 of the Companies Act 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 are not applicable.
5. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges for the quarter ended 30th June, 2019 under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed format of the same is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) & Company's website (www.bervin.com)

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
S. K. Murgai
(Director)
DIN : 00040348

Place : New Delhi
Date : 12th August 2019

JINDAL SAW LIMITED

JINDAL

CIN - L27104UP1984PLC023979
Regd. Off.: A-1, UPSIDC Indl. Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, Distt. Mathura (U.P.)-281403
Corp. Office : Jindal Centre, 12, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019

(₹ Crores)

S. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter ended			Year ended	Quarter ended			Year ended
		30.06.2019 Unaudited	31.03.2019 Unaudited	30.06.2018 Unaudited	31.03.2019 Audited	30.06.2019 Unaudited	31.03.2019 Unreviewed	30.06.2018 Unreviewed	31.03.2019 Audited
1.	Total income from continuing operations	2,628.94	2,904.24	2,345.96	10,050.59	3,081.64	3,478.39	2,796.52	12,263.17
2.	Net profit/(loss) from continuing operations for the period/ year (before tax, exceptional items and share of profit/(loss) of associate and joint venture)	216.35	238.84	137.19	739.00	175.29	203.26	114.30	609.71
3.	Net profit/(loss) from continuing operations for the period/ year before tax (after exceptional items and share of profit/(loss) of associate and joint venture)	216.35	238.84	137.19	739.00	175.29	581.16	114.30	987.61
4.	Net profit/(loss) from continuing operations for the period/ year after tax (after exceptional items and share of profit/(loss) of associate and joint venture)	145.55	152.58	95.05	498.09	110.96	502.28	78.26	775.99
5.	Total comprehensive income for the period / year [Comprising profit/(loss) for the period/ year (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	145.22	146.46	96.72	498.74	106.83	467.90	66.06	734.59
6.	Equity share capital	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95
7.	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the Audited Balance Sheet				6,301.56				6,218.41
8.	Earnings per share (of ₹ 2/- each)								
	(1) Basic	4.55	4.77	2.97	15.58	4.16	16.60	2.96	26.97
	(2) Diluted	4.55	4.77	2.97	15.58	4.16	16.60	2.96	26.97

Note:
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/annual financial results are available on the websites of the stock exchanges, www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website, www.jindalsaw.com.

On behalf of Board of Directors of Jindal Saw Limited
Sd-
Sminu Jindal
Managing Director
DIN : 00005317

Place: New Delhi
Date: August 12, 2019

HDFC — हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

WITH YOU, RIGHT THROUGH

उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-110 067
दूरभाष: 011-41115111, कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L70100MH1977PLC019916, वेबसाइट: www.hdfc.com

कब्जा सूचना

चूंकि, **हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारियों ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि और/या वसूली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना(ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम/ऋण खाता संख्या	बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण
1.	श्री राजीव कुमार शर्मा ऋण खाता संख्या 588784166	30-अप्रैल-18* को बकाया रु. 37,48,156/- (केवल सैंतीस लाख अड़तालीस हजार एक सौ छप्पन रुपए)	18-जनवरी-2018	07-अगस्त-2019 (भौतिक)	फ्लैट नं. 0501, पांचवा तल, टॉवर सी1, यूनिटेक दि रेजीडेंसेज, सोहना रोड, गाँव इस्लामपुर, सेक्टर 33, गुड़गांव - 122001 एवं उस पर वर्तमान एव भावी निर्माण
2.	श्रीमती त्रिशा शेट्टी ऋण खाता संख्या 606371326	30-नवम्बर-17* को बकाया रु. 10,27,996/- (केवल दस लाख सत्ताईस हजार नौ सौ छियानवे रुपए)	26-दिसम्बर-2017	07-अगस्त-2019 (भौतिक)	फ्लैट नं. 686, पहला तल, डीडीए जसोला, पॉकेट-11, जसोला, नई दिल्ली - 110025
3.	श्री अमन दुग्गल एव सुश्री जूही अरोरा ऋण खाता संख्या 613946581	30-अप्रैल-18* को बकाया रु. 64,74,886/- (केवल चौंसठ लाख चौहत्तर हजार आठ सौ छियासी रुपए)	23-जून-2018	07-अगस्त-2019 (प्रतिकात्मक)	फ्लैट नं. 104, 10वॉं तल, टावर बी, लुम्बिनी टैरेस होम्स, सेक्टर-109, गुड़गाँव के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण
4.	श्री राजीव कुमार ऋण खाता संख्या 621417354	28-फरवरी-19* को बकाया रु. 1,11,77,907/- (केवल एक करोड़ ग्यारह लाख सतहत्तर हजार नौ सौ सात रुपए)	08-अप्रैल-2019	07-अगस्त-2019 (प्रतिकात्मक)	फ्लैट नं. 1501, 14वॉं तल, टावर एल, गोदरेज समिट, सेक्टर 104, गुड़गॉव के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा
5.	श्री अनुराग तोमर एवं सुश्री सुनयना तोमर ऋण खाता संख्या 618315524 एवं 589758775	30-अप्रैल-18* को बकाया रु. 27,06,863/- (केवल सत्ताईस लाख छह हजार आठ सौ तिरसठ रुपए)	30-जून-2018	08-अगस्त-2019 (भौतिक)	फ्लैट नं. ए-2, एमआईजी, भू तल, अग्र भाग एलएचएस, ज्ञान खण्ड-I, प्लॉट नं. 152, इंदिरापुरम, गाजियाबाद और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण
6.	श्रीमती रंजना भारती एवं श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव ऋण खाता संख्या 621152389	31-अगस्त-18* को बकाया रु. 24,96,449/- (केवल चौबीस लाख छियानबे हजार चार सौ उनचास रुपए)	17-अक्टूबर-2018	08-अगस्त-2019 (भौतिक)	फ्लैट नं. ई-1902, 18वॉं तल, विक्टरी वन सेन्ट्रल, टावर ई, प्लॉट नं. जीएच02/ई, सेक्टर 12, ग्रेटर नोएडा के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा
7.	श्री विनय कुमार मित्तल एवं श्रीमती गुंजन मित्तल ऋण खाता संख्या 581362769	31-दिसम्बर-18* को बकाया रु. 9,69,635/- (केवल नौ लाख उनहत्तर हजार छह सौ पैंतीस रुपए)	07-फरवरी-2019	08-अगस्त-2019 (प्रतिकात्मक)	एसएसएफ - 27, दूसरा तल, अंसल प्लाजा, डेस्टिनेशन पॉइन्ट, गोल्फ कोर्स एक्सप्रेसवे के सामने, ग्रेटर नोएडा के साथ उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण
8.	श्री रोहित कुमार अग्रवाल एवं सुश्री रीतू अग्रवाल ऋण खाता संख्या 616094384	31-मार्च-19* को बकाया रु. 28,69,575/- (केवल अट्ठाईस लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ पचहत्तर रुपए)	14-मई-2019	08-अगस्त-2019 (प्रतिकात्मक)	फ्लैट के-1604, 15वॉं तल, टावर के, विक्टरी वन सेन्ट्रल, सेक्टर 12, प्लॉट नं. जीएच02ई, सेक्टर 12, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण
9.	श्री विवेक गुप्ता ऋण खाता संख्या 615359822	31-मार्च-19* को बकाया रु. 1,05,50,770/- (केवल एक करोड़ पांच लाख पचास हजार सात सौ सत्तर रुपए)	11-मई-2019	09-अगस्त-2019 (भौतिक)	फ्लैट नं. टी1-604, छठा तल, टावर 1, सनवर्ल्ड अरिस्ता, प्लॉट जीएच-1सी, सेक्टर 168, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा
10.	श्रीमती नीरज त्यागी एवं श्री पंकज त्यागी ऋण खाता संख्या 613869358	28-फरवरी-19* को बकाया रु. 41,32,651/- (केवल इकतालीस लाख बत्तीस हजार छह सौ इक्यावन रुपए)	12-अप्रैल-2019	09-अगस्त-2019 (भौतिक)	फ्लैट-टी10/702, 7वॉं तल, टावर 10, सनवर्ल्ड अरिस्टा, प्लॉट जीएच-1सी, सैक्टर 168, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा
11.	श्री नरायणन श्रीनिवास बद्री ऋण खाता संख्या 615046706	31-जनवरी-19* को बकाया रु. 41,14,773/- (केवल इकतालीस लाख चौदह हजार सात सौ तिहत्तर रुपए)	11-अप्रैल-2019	09-अगस्त-2019 (भौतिक)	फ्लैट नं. टी10/1004, 10वॉं तल, टावर 10, सनवर्ल्ड अरिस्टा, प्लॉट जीएच-1सी, सेक्टर 168, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण
12.	श्री मृणाल कांत नौटियाल ऋण खाता संख्या 600388113	31-जनवरी-19* को बकाया रु. 17,51,464/- (केवल सत्रह लाख इक्यावन हजार चार सौ चौंसठ रुपए)	12-अप्रैल-2019	09-अगस्त-2019 (प्रतिकात्मक)	फ्लैट नं. 233, भू तल, ब्लॉक बी-1, सेक्टर 34, नोएडा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण
13.	श्री नीरज रावल एव श्री धनत्तर सिंह रावल ऋण खाता संख्या 617776827	31-अगस्त-19* को बकाया रु. 12,36,629/- (केवल बारह लाख छत्तीस हजार छह सौ उनतीस रुपए)	24-सितम्बर-2018	10-अगस्त-2019 (प्रतिकात्मक)	श्री. नीरज रावल के नाम पर आबंटन पत्र दिनांक 28.01.2015 के माध्यम से आबंटित सैक्टर 35, नई दिल्ली, 110085 में स्थित डीडीए रोहिणी हाउसिंग स्कीम-2014 में फ्लैट 23, बीएलके-बी1, फ्लोर-भू तल, पॉकेट-5, के साथ उससे सम्बद्ध भी भाग के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण
14.	अंसल हाउसिंग लिमिटेड (कर्जदार/बंधककर्ता) मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित अनुसार लोन खाते के लिए मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित एवं अन्य बंधककर्ता	30-अप्रैल-2019** को बकाया रु. 150,19,99,453/- (एक सौ पचास करोड़ उन्नीस लाख निन्यानवे हजार चार सौ तिरेपन रुपए)	10-मई-19 (पत्र दिनांक 29-जून-2019 के साथ पठित) और मांग सूचना दिनांक 17-मई-2019	08-अगस्त-2019 (प्रतिकात्मक)	**फॉर्च्यून आर्केड, सेक्टर-18, नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित 9117 वर्ग फीट (6206 वर्ग फीट अपर ग्राउंड फ्लोर पर एवं 2911 वर्ग फीट भू तल पर)** के साथ उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण **(स्वामित्व: अंसल हाउसिंग लिमिटेड)**
15.	अंसल हाउसिंग लिमिटेड (कर्जदार/बंधककर्ता) श्री. सत्य साई कंस्ट्रक्शन एंड डेवेलपमेंट प्रा. लि. (बंधककर्ता) और मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित अनुसार लोन खातों के लिए मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित एवं अन्य बंधककर्ता	30-अप्रैल-2019** को बकाया रु.150,19,99,453/- (एक सौ पचास करोड़ उन्नीस लाख निन्यानवे हजार चार सौ तिरेपन रुपए)	10-मई-2019 (पत्र दिनांक 29-जून-2019 के साथ पठित) और मांग सूचना दिनांक 17-मई-2019	8 अगस्त, 2019 (भौतिक)	सवन्ना विल्लाज जेपी ग्रीन्स, विश टाउन, नोएडा, उत्तर प्रदेश में सेक्टर - 128 में स्थित **प्लॉट नं. पीएसवीएनए ई - 22** के साथ उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण **(स्वामित्व: श्री सत्य साई कंस्ट्रक्शन एंड डेवेलपमेंट प्रा. लि.)**
16.	अंसल हाउसिंग लिमिटेड (कर्जदार/बंधककर्ता) श्री. कुशाग्र अंसल (बंधककर्ता) और मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित अनुसार लोन खातों के लिए मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित एवं अन्य बंधककर्ता	30-अप्रैल-2019** को बकाया रु.150,19,99,453/- (एक सौ पचास करोड़ उन्नीस लाख निन्यानवे हजार चार सौ तिरेपन रुपए)	10-मई-19 (पत्र दिनांक 29-जून-2019 के साथ पठित) और मांग सूचना दिनांक 17-मई-2019	08-अगस्त-2019 (प्रतिकात्मक)	फ्लैट नं. **यूजीएफ 10-ए**, अंतरिक्ष भवन, 22 केजी मार्ग, नई दिल्ली के साथ उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण और उससे जुड़े सभी हकविलेख **(स्वामित्व: श्री. कुशाग्र अंसल)**
17.	अंसल हाउसिंग लिमिटेड (कर्जदार/बंधककर्ता) श्री. कुशाग्र अंसल (बंधककर्ता) और मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित अनुसार लोन खातों के लिए मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित एवं अन्य बंधककर्ता	30-अप्रैल-2019** को बकाया रु.150,19,99,453/- (एक सौ पचास करोड़ उन्नीस लाख निन्यानवे हजार चार सौ तिरेपन रुपए)	10-मई-19 (पत्र दिनांक 29-जून-2019 के साथ पठित) और मांग सूचना दिनांक 17-मई-2019	08-अगस्त-2019 (प्रतिकात्मक)	फ्लैट नं. **यूजीएफ-19**, अंतरिक्ष भवन, 22 केजी मार्ग, नई दिल्ली के साथ उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण और उससे जुड़े सभी हकविलेख **(स्वामित्व: श्री. कुशाग्र अंसल)**
18.	अंसल हाउसिंग लिमिटेड (कर्जदार/बंधककर्ता), श्री. दीपक अंसल (बंधककर्ता) और मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित अनुसार लोन खाते के लिए मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित एवं अन्य बंधककर्ता	30-अप्रैल-2019** को बकाया रु. 150,19,99,453/- (एक सौ पचास करोड़ उन्नीस लाख निन्यानवे हजार चार सौ तिरेपन रुपए)	10-मई-19 (पत्र दिनांक 29-जून-2019 के साथ पठित) और मांग सूचना दिनांक 17-मई-2019	08-अगस्त-2019 (प्रतिकात्मक)	फ्लैट नं. **यूजीएफ-21**, अंतरिक्ष भवन, 22 केजी मार्ग, नई दिल्ली के साथ उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण और उससे जुड़े सभी हकविलेख **(स्वामित्व: श्री. दीपक अंसल)**
19.	अंसल हाउसिंग लिमिटेड (कर्जदार/बंधककर्ता), श्री. करुण अंसल (बंधककर्ता) और मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित अनुसार लोन खाते के लिए मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित एवं अन्य बंधककर्ता	30-अप्रैल-2019** को बकाया रु.150,19,99,453/- (एक सौ पचास करोड़ उन्नीस लाख निन्यानवे हजार चार सौ तिरेपन रुपए)	10-मई-19 (पत्र दिनांक 29-जून-2019 के साथ पठित) और मांग सूचना दिनांक 17-मई-2019	08-अगस्त-2019 (प्रतिकात्मक)	फ्लैट नं. **815**, अंतरिक्ष भवन, 22 केजी मार्ग, नई दिल्ली के साथ उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण और उससे जुड़े सभी हकविलेख **(स्वामित्व: श्री. करुण अंसल)**
20.	अंसल हाउसिंग लिमिटेड (कर्जदार/बंधककर्ता), श्रीमती दिव्या अंसल (बंधककर्ता) और मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित अनुसार लोन खाते के लिए मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित एवं अन्य बंधककर्ता	30-अप्रैल-2019** को बकाया रु.150,19,99,453/- (एक सौ पचास करोड़ उन्नीस लाख निन्यानवे हजार चार सौ तिरेपन रुपए)	10-मई-19 (पत्र दिनांक 29-जून-2019 के साथ पठित) और मांग सूचना दिनांक 17-मई-2019	08-अगस्त-2019 (प्रतिकात्मक)	फ्लैट नं. **यूजीएफ 10**, अंतरिक्ष भवन, 22 केजी मार्ग, नई दिल्ली के साथ उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण और उससे जुड़े सभी हकविलेख **(स्वामित्व: श्रीमती दिव्या अंसल)**
21.	अंसल हाउसिंग लिमिटेड (कर्जदार/बंधककर्ता), श्रीमती दिव्या अंसल (बंधककर्ता) और मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित अनुसार लोन खातों के लिए मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित एवं अन्य बंधककर्ता	30-अप्रैल-2019** को बकाया रु.150,19,99,453/- (एक सौ पचास करोड़ उन्नीस लाख निन्यानवे हजार चार सौ तिरेपन रुपए)	10-मई-19 (पत्र दिनांक 29-जून-2019 के साथ पठित) और मांग सूचना दिनांक 17-मई-2019	08-अगस्त-2019 (प्रतिकात्मक)	फ्लैट नं. **यूजीएफ - 20**, अंतरिक्ष भवन, 22 केजी मार्ग, नई दिल्ली के साथ उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण और उससे जुड़े सभी हकविलेख। **(स्वामित्व: श्रीमती दिव्या अंसल)**
22.	अंसल हाउसिंग लिमिटेड (कर्जदार/बंधककर्ता), श्री. करुण अंसल (बंधककर्ता) और मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित अनुसार लोन खातों के लिए मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित एवं अन्य बंधककर्ता	30-अप्रैल-2019** को बकाया रु.150,19,99,453/- (एक सौ पचास करोड़ उन्नीस लाख निन्यानवे हजार चार सौ तिरेपन रुपए)	10-मई-19 (पत्र दिनांक 29-जून-2019 के साथ पठित) और मांग सूचना दिनांक 17-मई-2019	08-अगस्त-2019 (प्रतिकात्मक)	फ्लैट नं. **712-ए**, अंतरिक्ष भवन, 22 केजी मार्ग, नई दिल्ली के साथ उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण और उससे जुड़े सभी हकविलेख। **(स्वामित्व: श्री. करुण अंसल)**
23.	अंसल हाउसिंग लिमिटेड (कर्जदार/बंधककर्ता), श्री. कुशाग्र अंसल (बंधककर्ता) और मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित अनुसार लोन खातों के लिए मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित एवं अन्य बंधककर्ता	30-अप्रैल-2019** को बकाया रु.150,19,99,453/- (एक सौ पचास करोड़ उन्नीस लाख निन्यानवे हजार चार सौ तिरेपन रुपए)	10-मई-19 (पत्र दिनांक 29-जून-2019 के साथ पठित) और मांग सूचना दिनांक 17-मई-2019	08-अगस्त-2019 (प्रतिकात्मक)	फ्लैट नं. **310**, टॉलस्टॉय हाउस, 15-17, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली के साथ उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण और उससे जुड़े सभी हकविलेख। **(स्वामित्व: श्री. कुशाग्र अंसल)**
24.	अंसल हाउसिंग लिमिटेड (कर्जदार/बंधककर्ता), दीपक अंसल एवं एचयूएफ (बंधककर्ता) और मांग सूचना (ओं) मे विनिर्दिशित अनुसार लोन खातों के लिए मांग सूचना (ओं) मे विनिर्दिशित एवं अन्य बंधककर्ता	30-अप्रैल-2019** को बकाया रु.150,19,99,453/- (एक सौ पचास करोड़ उन्नीस लाख निन्यानवे हजार चार सौ तिरेपन रुपए)	10-मई-19 (पत्र दिनांक 29-जून-2019 के साथ पठित) और मांग सूचना दिनांक 17-मई-2019	08-अगस्त-2019 (प्रतिकात्मक)	फ्लैट नं. **312**, टॉलस्टॉय हाउस, 15-17, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली के साथ उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण और उससे जुड़े सभी हकविलेख। **(स्वामित्व: दीपक अंसल एवं एचयूएफ)**
25.	अंसल हाउसिंग लिमिटेड (कर्जदार/बंधककर्ता), श्रीमती दिव्या अंसल (बंधककर्ता) और मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित अनुसार लोन खातों के लिए मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित एवं अन्य बंधककर्ता	30-अप्रैल-2019** को बकाया रु.150,19,99,453/- (एक सौ पचास करोड़ उन्नीस लाख निन्यानवे हजार चार सौ तिरेपन रुपए)	10-मई-19 (पत्र दिनांक 29-जून-2019 के साथ पठित) और मांग सूचना दिनांक 17-मई-2019	08-अगस्त-2019 (प्रतिकात्मक)	फ्लैट नं. **203**, टॉलस्टॉय हाउस, 15-17, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली के साथ उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण और उससे जुड़े सभी हकविलेख। **(स्वामित्व: श्रीमती दिव्या अंसल)**
26.	अंसल हाउसिंग लिमिटेड (कर्जदार/बंधककर्ता), श्रीमती दिव्या अंसल (बंधककर्ता) और मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित अनुसार लोन खातों के लिए मांग सूचना (ओं) में विनिर्दिशित एवं अन्य बंधककर्ता	30-अप्रैल-2019** को बकाया रु.150,19,99,453/- (एक सौ पचास करोड़ उन्नीस लाख निन्यानवे हजार चार सौ तिरेपन रुपए)	10-मई-19 (पत्र दिनांक 29-जून-2019 के साथ पठित) और मांग सूचना दिनांक 17-मई-2019	08-अगस्त-2019 ((प्रतिकात्मक)	फ्लैट नं. **बी-7बी**, सूर्य किरण बिल्डिंग, केजी मार्ग, नई दिल्ली के साथ उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण और उससे जुड़े सभी हकविलेख। **(स्वामित्व: श्रीमती दिव्या अंसल)**

* साथ में आगे भुगतान की तिथि और/या उसकी वसूली तक उपार्जित लागू अनुसार ब्याज, प्रासंगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि।
** साथ में बकाया मूलधन पर 18% प्रति वर्ष की दर से आगे ब्याज और बकाया ब्याज के साथ प्रासंगिक प्रभार, लागत, व्यय आदि जो कथित मांग सूचना (ओं) में वर्णित अनुसार उपार्जित/भुगतान और/या वसूली तक शामिल हैं।

जैसा कि उपरोक्त वर्णित कर्जदार/रों बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहे हैं, इसलिए विशेषकर कर्जदार/रों/कानूनी उत्तराधिकारी (रियों) और कानूनी प्रतिनिधि (यों) एवं सामान्यतः आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारी ने कथित नियम के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उसे/उन्हें प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित तिथियों को उपर्युक्त क्र. सं. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 और 15 में वर्णित अचल सम्पत्ति (यों)/प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) का **भौतिक कब्जा** ले लिया है और उपर्युक्त **क्र. सं. 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26** में वर्णित अचल सम्पत्ति (यों)/प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) का **प्रतिकात्मक** कब्जा ले लिया है।

विशेषकर यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के साथ लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों पर कोई भी लेनदेन हाउसिंग डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के बंधक के अधीन होगा।

अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसरण में, उपरोक्त वर्णित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आकृष्ट/आमंत्रित किया जाता है/जाते हैं।

लिखित जारी पंचनामा और बनाई गई मालसूची की प्रतियॉं अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और कथित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों से अनुरोध है/हैं कि वे किसी भी सामान्य कार्य दिवस पर कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर लें।

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 12.08.2019

कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
ह0/-
प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय: रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई-400 020

भारत की जीत में कोहली, भुवनेश्वर चमके

पोर्ट आफ स्पेन, 12 अगस्त (भाषा)।

कप्तान विराट कोहली के शानदार शतक के बाद भुवनेश्वर कुमार के चार विकेट की बदौलत भारत ने वर्षा से प्रभावित दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज को डकवर्थ लुईस पद्धति के तहत 59 रन से हराकर कैरेबियाई दौरे पर अपना अजेय अभियान जारी रखा।

रविवार को दर्ज की गई इस जीत की बदौलत भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दोनों टीमों के बीच पहला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। तीसरा और अंतिम एकदिवसीय मैच बुधवार को इसी मैदान पर खेल जाएगा।

टास जीतकर बल्लेबाजी करने उतरे भारत ने कोहली की 125 गेंद पर 14 चौकों और एक छक्के की मदद से 120 रन की पारी से सात विकेट पर 279 रन बनाए। यह वनडे में उनका 42वां शतक है। उन्होंने इस बीच श्रेयस अय्यर (68 गेंदों पर 71) के साथ चौथे विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी की। वेस्टइंडीज ने अंतिम दस ओवर में वापसी की और इस बीच केवल 67 रन दिए और चार विकेट लिए। उसकी तरफ से कार्लोस ब्रेथवेट ने 53 रन देकर तीन विकेट लिए।

मैच में दूसरी बार बारिश का खलल पड़ने के बाद वेस्ट इंडरीज को डकवर्थ लुईस पद्धति के तहत 46 ओवर में 270 रन का लक्ष्य मिला।

वेस्ट इंडीज की टीम इसके जवाब में एक समय चार विकेट पर 148 रन बनाकर अच्छी स्थिति में दिख रही थी लेकिन मेजबान टीम ने अंतिम छह विकेट 62 रन पर गंवा दिए और पूरी टीम 42 ओवर में 210 रन पर ढेर हो गई।

विराट का कीर्तिमान

कोहली ने 19वां रन बनाते ही वेस्टइंडीज के खिलाफ सर्वाधिक व्यक्तिगत रन का रेकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले यह रेकॉर्ड पाकिस्तान के जावेद मियांदाद (1930) के नाम पर था। कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी 34वीं पारी में 2000 रन भी पूरे करके अपने साथी रोहित का कीर्तिमान तोड़ा जिन्होंने आस्ट्रेलिया के खिलाफ 37 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था।

गेल की उपलब्धि

अपना 300वां मैच खेल रहे क्रिस गेल इस पारी के दौरान महान बल्लेबाज ब्रायन लारा को पीछे छोड़कर एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज बने। गेल को इस उपलब्धि हासिल के लिए सात रन चाहिए थे और उन्होंने खलील अहमद के नौवें ओवर में एक रन के साथ इसे हासिल किया। गेल के नाम पर अब 10353 रन दर्ज हैं जबकि लारा ने 10348 रन बनाए थे। वे इस मैच के दौरान सर्वाधिक वनडे खेलने वाले कैरेबियाई बल्लेबाज भी बने।

क्रिस गेल

त्रिनिनाड के पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरे एकदिवसीय मैच के दौरान वेस्ट इंडीज के गेंदबाज शेल्डन की गेंद पर रन के लिए विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा।

भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने 31 रन देकर चार विकेट, जबकि मोहम्मद शमी (39 रन पर दो विकेट) और कुलदीप यादव (59 रन पर दो विकेट) ने दो-दो विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरे वेस्ट इंडीज के लिए क्रिस गेल और एविन लुईस (65) ने पहले विकेट के लिए 9.3 ओवर में 45 रन जोड़े। गेल भुवनेश्वर के पारी के 13वें ओवर में पगबाधा हो गए। उन्होंने 24 गेंद में सिर्फ 11 रन बनाए। शाई होप भी इसके बाद खलील की गेंद को विकेटों पर खेल गए। शिमरोन हेटमायर (18) कुलदीप की गेंद पर शार्ट कवर पर कोहली को कैच दे बैठे।

पैर में जकड़न के बावजूद लुईस ने अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने निकोलस पूरण (42) के साथ चौथे विकेट के लिए 56 रन जोड़े। कोहली ने कुलदीप की गेंद पर लुईस का एक हाथ से शानदार कैच लपका।

पूरण, रोस्टन चेस (18) और केमार रोच (00) को भुवनेश्वर ने पवेलियन भेजा। शमी ने शेल्डन कोटरेल और ओशेन थामस को आउट करके भारत को जीत दिलाई।

इससे पूर्व पहले ओवर में क्रीज पर उतरे कोहली शुरू से ही लय में दिखे। शिखर धवन (दो) की एक और नाकामी के बाद उन्होंने रोहित शर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 74 रन जोड़े। इसमें रोहित का योगदान 34 गेंदों पर 18 रन का रहा।

कोहली ने पिछली 11 पारियों का इंतजार खत्म करते हुए 112 गेंदों में अपना सैकड़ा पूरा किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ यह उनका आठवां और कप्तान के रूप में छठा शतक है जो कि रेकॉर्ड है। अपनी पारी के दौरान सौरव गांगुली (11363) की रन संख्या को उन्होंने पीछे छोड़ा।

अय्यर ने मौके का पूरा फायदा उठाया और चौथे नंबर पर अपना दावा मजबूत किया क्योंकि ऋषभ पंत (35 गेंदों पर 20) फिर से इस नंबर के साथ न्याय नहीं कर पाए। अय्यर ने 49 गेंदों पर अपने करिअर का तीसरा अर्धशतक पूरा किया।

कोहली को आखिर में ब्रेथवेट ने आउट किया जिससे स्कोर चार विकेट पर 226 रन हो गया। इसके बाद भारतीय टीम बाकी बचे 8.3 ओवर में 53 रन ही जोड़ पाई और इस बीच उसने तीन विकेट भी गंवाए। अय्यर ने अपनी 71 रन की पारी में पांच चौके और एक छक्का लगाया।

भारत ने डेथ ओवरों में केदार जाधव (16) और भुवनेश्वर कुमार (एक) के भी विकेट गंवाए। रविंद्र जडेजा 16 और मोहम्मद शमी तीन रन बनाकर नाबाद रहे।

खबर कोना

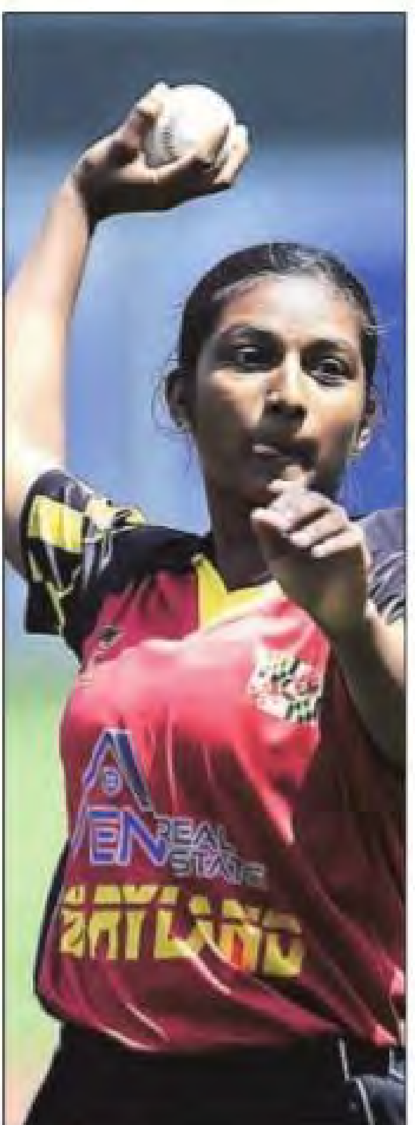

बाल्टीमोर ओरियल्स और हाउसटन एस्टर्स के बीच बेसबाल मुकाबले की शुरुआत पर अमेरिकी महिला क्रिकेटर लिजा रामजित गेंद फेंकती हुई।

बोपन्ना ने लगाई लंबी छलांग, प्रजनेश 91वें स्थान पर खिसके

नई दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा)।

भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना एटीपी मांट्रियल मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के कारण एटीपी की ताजा विश्व रैंकिंग में सात पायदान की लंबी छलांग लगाकर पुरुष युगल में 39वें स्थान पर पहुंच गए जो पिछले 14 सप्ताह में उनकी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। बोपन्ना और उनके जोड़ीदार डेनिस शापोवालोव इस एटीपी टूर्नामेंट के पुरुष युगल सेमीफाइनल में रोबिन हास और वेस्ले कूलहोफ की नीदरलैंड की जोड़ी से 6-7 (3-7), 6-7 से हार गए थे। इस हार के बावजूद बोपन्ना को रैंकिंग में फायदा हुआ और वे अपने अंकों की संख्या 2065 तक पहुंचाने में सफल रहे। पुरुष युगल रैंकिंग में दिविज शरण 47वें और लिएंडर पेस 71वें स्थान पर बने हुए हैं। जीवन नेदुंचेझियन (एक पायदान नीचे 85वें) और पुरव राजा (एक पायदान नीचे 86वें) शीर्ष 100 में शामिल अन्य भारतीय हैं। एकल वर्ग में प्रजनेश गुणेश्वरन एक पायदान नीचे 91वें स्थान पर खिसक गए हैं। साकेत मयनेनी 21 स्थान चढ़कर 250वें स्थान पर पहुंच गए हैं। मयनेनी भारतीय डेविस कप टीम का हिस्सा हैं। महिला एकल वर्ग में अंकिता रैना दो पायदान नीचे 197वें स्थान पर लुढ़क गई हैं।

सीओए बैठक में बीसीसीआइ चुनाव, नाडा के दायरे में आने पर हो सकती है चर्चा

मुंबई, 12 अगस्त (भाषा)।

बीसीसीआई के राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) के दायरे में आने और बोर्ड के चुनावों पर मंगलवार को यहां होने वाली प्रशासकों की समिति (सीओए) की बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है ।पिछले हफ्ते बीसीसीआइ के नाडा के अंतर्गत आने पर सहमति जताने के बाद सीओए की यह पहली बैठक होगी। सीओए सदस्यों के चर्चा करने की संभावना है कि इस नए बदलाव को कैसे बीसीसीआइ के संविधान में जगह दी जाए ।वर्षों के इनकार के बाद बीसीसीआइ नई दिल्ली में खेल मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ अपने सीईओ राहुल जोहरी की बैठक के बाद पिछले शुक्रवार को नाडा के दायरे में आने पर सहमत हो गया। माना जा रहा है कि डोपिंग के प्रति 'शून्य सहिष्णुता' की नीति के कारण सीओए इस मुद्दे पर लंबी चर्चा कर सकता है।

सीओए में अध्यक्ष विनोद राय के अलावा डायना इडुल्जी और लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) रवि थोडगे भी शामिल हैं। समिति राज्य संघों के चुनाव के संदर्भ में और इसके बाद होने वाले बीसीसीआइ के चुनावों को लेकर भी स्थिति का जायजा लेगी। बीसीसीआइ चुनाव 22 अक्तूबर को होने हैं।

'यह मेरे लिए आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने का मौका था'

पोर्ट आफ स्पेन, 12 अगस्त (भाषा)।

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जीत के बाद कहा कि शुरुआती विकेट गंवाने के बाद यह आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की उनकी बारी थी। 30 साल के कोहली ने 125 गेंद में 120 रन की पारी खेली। भारत ने डकवर्थ लुईस पद्धति के तहत मैच 59 रन से जीता। कोहली ने कहा, 'हमें पता था कि 270 से ऊपर का कोई भी लक्ष्य चुनौतीपूर्ण होगा। टीम को जब जरूरत थी तब शतक जड़कर अच्छा लग रहा है। शिखर और रोहित बड़ी पारी नहीं खेल पाए। शीर्ष तीन में से एक को हमेशा बड़ी पारी खेलनी होती है।'

उन्होंने कहा, 'हमने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया। अगर वेस्ट इंडीज की पारी का दूसरा हिस्सा देखो तो बल्लेबाजी करने में मुश्किल हो रही थी। मुझे लगता है कि बारिश से उन्हें मदद मिली, अन्यथा बल्लेबाजी करना और मुश्किल होता।' कोहली ने कहा कि श्रेयस अय्यर काफी आत्मविश्वास से खेलने वाले बल्लेबाज हैं और उनका रवैया भी सही है। उन्होंने तेजी से रन बनाए और मेरे ऊपर से दबाव कम किया। मेरे आउट होने के बाद अतिरिक्त रन भी बनाए।'

बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी : होल्डर

पोर्ट आफ स्पेन, 12 अगस्त (भाषा)।

वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने कहा कि अंतिम छह विकेट 62 रन पर खोने के कारण वेस्ट इंडीज को मैच गंवाना पड़ा। होल्डर ने कहा, 'बेहद निराशाजनक। हमने काफी अच्छी गेंदबाजी की और मैच हमारे हाथों में था। हमने अंतिम लम्हों में अहम विकेट गंवाए और मैच हार गए।' 'हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें मैच को और लंबा खींचना होगा। पिच काफी अच्छी थी और उमस भरे हालात के बावजूद गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी।

मुझे अब अधिक मौके मिलने की उम्मीद : श्रेयस

पोर्ट आफ स्पेन, 12 अगस्त (भाषा)।

भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को उम्मीद है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में 71 रन की पारी से उन्हें भारतीय टीम में नियमित जगह बनाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने अपने इस प्रदर्शन का श्रेय भारत ए टीम के साथ बिताए समय को दिया। कप्तान विराट कोहली ने भी मैच के बाद कहा कि अय्यर की पारी ने उनके ऊपर से दबाव कम किया।

टी20 श्रृंखला के दौरान मौके से वंचित रहे 24 साल से अय्यर ने कहा, 'मैं कुछ समय के लिए टीम में रहना चाहता हूं, निरंतरता हमेशा महत्त्वपूर्ण होती है। मैं अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं और टीम के लिए योगदान देना चाहता हूं।' पिछले महीने भारत ए के वेस्टइंडीज दौरे पर दो अर्धशतक जड़ने वाले अय्यर ने कहा कि परिस्थितियों की जानकारी होने के कारण वे एकदिवसीय श्रृंखला में अच्छे प्रदर्शन करने को लेकर आश्वस्त थे।

अय्यर ने कहा, 'यह अच्छा दिन रहा। मुझे पता था कि मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा, मैं भारत ए के लिए खेला और मैं इन मैदानों पर खेला, अपनी पारी को मैंने अच्छी गति दी और मुझे लगता है कि मैं अच्छा खेला।' कोहली के साथ साझेदारी पर अय्यर ने कहा, 'मैंने फैसला किया कि मैं कोई जोखिम नहीं उठाऊंगा, विराट ने कहा कि हमें साझेदारी करने की जरूरत है।' उन्होंने कहा, 'उन्होंने मेरा अच्छा समर्थन किया, हमने एक और दो रन लिए और जब मौका मिला तो बाउंड्री लगाई। हमने फैसला किया कि 250 रन अच्छा स्कोर रहेगा, बेशक हमने 30 रन अधिक बनाए।

अय्यर को वनडे टीम में स्थायी जगह मिले : गावस्कर

नई दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा)।

पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का मानना है कि ऋषभ पंत की तुलना में श्रेयस अय्यर एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में चौथे स्थान के लिए बेहतर विकल्प हैं और भारतीय मध्यक्रम में उन्हें स्थायी जगह मिलनी चाहिए।

एक साल बाद भारतीय टीम में जगह बनाने वाले अय्यर ने रविवार पोर्ट आफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में 68 गेंद में 71 रन की पारी खेली।

गावस्कर ने 'सोनी टेन' चैनल से कहा, 'मेरे नजरिये से ऋषभ पंत महेंद्र सिंह धोनी की तरह पांचवें या छठे स्थान पर फिनिशर के रूप में बेहतर है क्योंकि यहीं वे अपना स्वाभाविक खेल दिखा सकते हैं।' उन्होंने कहा, 'विराट कोहली, शिखर धवन और रोहित शर्मा अगर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाते हैं और 40-45 ओवर तक बल्लेबाजी करते हैं तो पंत चौथे नंबर पर ठीक है लेकिन अगर 30-35 ओवर तक बल्लेबाजी करनी है तो मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर चौथे और पंत पांचवें स्थान पर होना चाहिए।' गावस्कर ने कहा, 'अय्यर ने मौके का फायदा उठाया। वे पांचवें नंबर पर उतरे। उनके पास काफी ओवर थे और कप्तान विराट कोहली उसके साथ खेल रहे थे। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कप्तान आपके ऊपर से दबाव कम करता है।'

क्लिक लंदन में सोमवार को आस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पैन नेट अभ्यास से पहले ग्रुप फोटो खिंचवाने की तैयारी में ।

मैं जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठाना चाहता हूं : कोहली

पोर्ट आफ स्पेन, 12 अगस्त (भाषा)।

विराट कोहली नहीं चाहते कि क्रिकेट और जिंदगी का लुत्फ उठाते समय कप्तानी उनके आड़े आए और भारतीय कप्तान ने कहा कि यही वजह है कि अक्सर कानों में संगीत पड़ने पर वे मैदान पर थिरकने लग जाते हैं।

कोहली को वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले एकदिवसीय मैच में बारिश के खलल के दौरान क्रिस गेल और मैदानकर्मियों के साथ कैरेबियाई धुनों पर थिरकते हुए देखा गया।

कोहली ने दूसरे वनडे के बाद युजवेंद्र चहल से कहा, 'मैं बेहद खुले दिमाग का इंसान हूं और इसलिए जब भी मुझे संगीत सुनाई देता है तो मेरे पांव खुद ही थिरकने लग जाते हैं।'

बीसीसीआइ.टीवी पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में कोहली ने कहा, 'मैं मैदान पर हर पल का लुत्फ उठाना चाहता हूं। यह मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। यह मायने नहीं रखता कि मैं कप्तान हूं या नहीं। मैं एक खास अंदाज में नहीं चलता कि मैं कप्तान हूं तो मुझे इस तरह से खड़ा रहना है।' कोहली ने कहा, 'भगवान ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है, देश के लिए खेलने का इतना अच्छा मौका दिया है तो मुझे लगता है कि हमें इन पलों का भरपूर आनंद लेना चाहिए। विरोधी टीमों के साथ भी कभी-कभी मजाक करना अच्छा लगता है।'

कोहली ने कहा, 'मैं हमेशा अपनी टीम के लिए किसी भी तरह से कड़ी मेहनत करना चाहता हूं चाहे फिर वह जरूरी कैच लेना हो या रन आउट करना।' उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि हर खिलाड़ी को अपनी जीवनशैली इस तरह से बनानी चाहिए और अनुशासित रहना चाहिए ताकि वह मैदान पर शत प्रतिशत दे सको। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपनी टीम के साथ न्याय नहीं कर सकते।

मैं वह हर काम करता हूं जिससे मैं टीम के लिए अपना पूरा योगदान दे सकूं।'

कोहली ने कहा, 'मैंने अपनी जीवनशैली, अभ्यास और खानपान इस तरह से बदला है ताकि मैं कड़ी परिस्थितियों में भी टीम के लिए योगदान देने में सक्षम रहूं। इससे इस तरह के दिनों में मदद मिलती है जबकि परिस्थितियां काफी कठिन होती हैं।'

डेविस कप पर सरकार फैसला नहीं कर सकती : रिजीजू

नई दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा)।

खेल मंत्री कीरेन रीजीजू ने सोमवार को कहा कि भारत को पाकिस्तान में अगले महीने होने वाले डेविस कप मुकाबले में भाग लेना चाहिए या नहीं इस पर सरकार फैसला नहीं कर सकती क्योंकि यह द्विपक्षीय प्रतियोगिता नहीं है।

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया ओसियाना क्षेत्र ग्रुप ए डेविस कप मुकाबला 14 और 15 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण इस पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं।

रीजीजू ने खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के एक कार्यक्रम से इतर कहा, 'अगर यह द्विपक्षीय खेल प्रतियोगिता होती तो फिर भारत को पाकिस्तान से खेलना चाहिए या नहीं, यह राजनीतिक फैसला बन जाता। लेकिन डेविस द्विपक्षीय प्रतियोगिता नहीं है और इसका आयोजन एक विश्व खेल संस्था करती है।' उन्होंने कहा, 'भारत ओलंपिक चार्टर को मानता है और उस पर उसके हस्ताक्षर हैं, इसलिए भारत सरकार या राष्ट्रीय महासंघ यह फैसला नहीं कर सकते कि भारत को इसमें भाग लेना चाहिए या नहीं।'

अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआइटीए) इस मुकाबले को तटस्थ स्थल पर करवाना चाहता है लेकिन पाकिस्तान टेनिस संघ ने रविवार को स्पष्ट कर दिया कि वह स्थल बदलने पर सहमत नहीं होगा क्योंकि इस्लामाबाद में पहले से ही तैयारियां चल रही हैं। आइटीएफ से स्थान बदलने की मांग करते हुए एआइटीए दोनों के बीच तनाव और सुरक्षा चिंताओं को कारण बताएगा।

भारत की कोई भी डेविस कप टीम 1964 के बाद पाकिस्तान दौरे पर नहीं गई तथा मुंबई में 2008 के आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखलाएं भी नहीं खेली गई हैं।

रजिस्ट्रेशन नं. 42500/1987 वर्ष 26 अंक 180 हवाई शुल्क: 30 पैसा-पूर्वोत्तर राज्य, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायपुर और भिलाई 50 पैसा-काठमांडू, उदयपुर और आगे एक रुपया-लेह, वाराणसी और आगे, 50 पैसा-खजुराहो, रांची और आगे।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुकेश कुमार भटनागर द्वारा आई.ई.प्रेस, सी-5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-6, पंचकूला-134109, (हरियाणा) से मुद्रित और एससीओ-2441-42, फर्स्ट फ्लोर, जगदीश ज्वैलर्स के ऊपर, सेक्टर 22-सी, चंडीगढ़-160022 से प्रकाशित। फोन नं. 0172-5024400, 0172-5024444. ई-मेलः janchd@expressindia.com फैक्स संपादकीय : 0172-5024422, विज्ञापनः 0172-5024426. बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज* *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।